

विषयक्रम CONTENTS

	पृष्ठ Page
अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	04
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	06
वर्ष 2010-11 के लिए लेखा Accounts for 2010-2011	28
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	76
नि.एवं म.ले.प. की टिप्पणी Comments of the C&AG	100

प्रमुख अधिशासीगण (वार्षिक साधारण बैठक की तिथि को)

श्री वाई.एस. मय्या

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

मेजर जनरल (नि.) संजीव लूम्बा

निदेशक (कार्मिक)

श्री एन.एस.एस. प्रसाद राव

निदेशक (तकनीकी)

श्री शिव कुमार नोरि

निदेशक (वित्त)

श्रीमती आरती सी. श्रीवास्तव

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सीएच.वी.आर.एस. गोपालकृष्ण

अधिशासी निदेशक (एरो स्पेस प्रणालियाँ वर्ग)

श्री वी. सत्यनारायण

महा प्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार वर्ग)

श्री पी. सुधाकर

महा प्रबन्धक (रक्षा प्रणालियाँ वर्ग)

श्री पी. विश्वनाथ

महा प्रबन्धक (नियंत्रण प्रणालियाँ वर्ग)

श्री जी. आर. कोटेश्वर राव

महा प्रबन्धक (उपकरण एवं प्रणालियाँ वर्ग)

कॉमोडर ललित मोहन खन्ना

महा प्रबन्धक (संचार प्रणालियाँ वर्ग)

श्री टी. आर. राजा मन्ना

महा प्रबन्धक (साफ्टवेयर समाधान एवं प्रणालियाँ प्रभाग तथा निगमीय अनुसंधान एवं विकास)

श्री जे. सुन्दर राव

महा प्रबन्धक एवं परियोजना निदेशक (राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण परियोजना)

श्री पी. तंगराजु

महा प्रबन्धक (ग्राहक समर्थन प्रभाग)

श्री बी. भास्कर राव

प्रधान (निगमीय योजना एवं परियोजना निगरानी)

श्री जी. उमापति

प्रधान (संघटक प्रभाग)

श्री टी.वी.एस. किशोर कुमार

प्रधान (नियंत्रण उपकरणोंकरण प्रभाग)

श्री बी.पी.आर. मूर्ति

प्रधान (विशेष उत्पाद प्रभाग)

श्री टी. सुरेश

प्रधान (अभियांत्रिकी सेवाएँ प्रभाग)

श्री ए. अशोक कुमार

प्रधान (इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं सेवाएँ प्रभाग)

श्री शंकर दे

(उप परियोजना निदेशक, रा.ज.पं. एवं प्रधान, निगमीय व्यापार विकास वर्ग)

श्री टी.वी. शर्मा

प्रधान (विकिरण संसूचक एवं उपकरणोंकरण प्रभाग)

श्री बी. महावीरा

प्रधान (सुरक्षा प्रणालियाँ एवं परियोजना प्रभाग)

श्री मुहम्मद आरिफुद्दीन

प्रधान (नियंत्रण स्वचालन प्रभाग)

श्री ए. के. अस्थाना

प्रधान (रिएक्टर परियोजनाएँ प्रभाग)

श्री ओ.वी.एल.एन. मूर्ति

प्रधान (एँटीना उत्पाद एवं सैटकॉम प्रभाग)

श्री एम.सी. वेंकट सुब्बय्या

प्रधान (प्रणालियाँ एवं गुणवत्ता आश्वासन वर्ग)

श्री के.एस. शेषाद्री

प्रधान (व्यापार प्रणाली प्रभाग)

श्री वाई. विश्वेश्वर राव

प्रधान (कम्प्यूटर शिक्षा प्रभाग)

श्री आर. महेन्द्रन

प्रधान (सर्वो प्रणालियाँ प्रभाग)

श्री पी. हरेन्द्र

प्रधान (इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली प्रभाग)

श्री ए.वी. अप्पा राव

प्रधान (सेना संचार प्रणाली प्रभाग)

श्री वाई. वी. सुब्बा राव

प्रधान (दूर संचार प्रभाग)

श्री एम. बद्दीनारायण

स्थानापन्न प्रधान (सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ प्रभाग)

श्री रमेश अमिन्हा

स्थानापन्न प्रधान (कार्मिक वर्ग)

श्री जी. नागभूषणम

स्थानापन्न प्रधान (विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग प्रभाग)

शाखाएँ

श्री एच सी कालरा

महा प्रबन्धक (उत्तर), न.दिल्ली

श्री डी एस कुलकर्णी

ऑचलिक प्रबन्धक (पश्चिम), मुम्बई

श्री बी के मजुमदार

ऑचलिक प्रबन्धक (पूर्व), कोलकाता

श्री जी. सुब्रमणियन

उप ऑचलिक प्रबन्धक (दक्षिण), चेन्नई

श्री डी आर वेन्कटसुब्बु

उप ऑचलिक प्रबन्धक (दक्षिण), बेंगलूर

लेखा परीक्षक

मैसर्स आंजनेयुल एण्ड कंपनी, सनदी लेखापाल

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इण्डिया

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

बैंक आफ महाराष्ट्र

आन्धा बैंक

बैंक आफ बेहरैन एण्ड कुवाइट बीएससी

आईसीआईसीआई बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

KEY EXECUTIVES (as on date of AGM)

SHRI Y S MAYYA

Chairman & Managing Director

MAJ. GEN.(Retd.) SANJEEV LOOMBA

Director (Personnel)

SHRI N S S PRASADA RAO

Director (Technical)

SHRI SHIV KUMAR NORI

Director (Finance)

SMT. ARTI C. SRIVASTAVA

Chief Vigilance Officer

SHRI Ch V R S GOPALAKRISHNA

Executive Director (Aerospace Systems Group)

SHRI V SATYANARAYANA

General Manager (Information Technology & Telecom Group)

SHRI P SUDHAKAR

General Manager (Defence Systems Group)

SHRI P VISWANATH

General Manager (Control Systems Group)

SHRI G R KOTESWARA RAO

General Manager (Instruments & Systems Group)

Cmde LALIT MOHAN KHANNA

General Manager (Communication Systems Group)

SHRI T R RAJA MANNAR

General Manager (Software Solutions & Systems Division and Corporate R & D)

SHRI J SUNDARA RAO

General Manager & Project Director
(National Population Registry Project)

SHRI P THANGARAJU

General Manager (Customer Support Division)

SHRI B BHASKARA RAO

Head (Corporate Planning & Projects Monitoring)

SHRI G UMAPATHI

Head (Components Division)

SHRI T V S KISHORE KUMAR

Head (Control Instrumentation Division)

SHRI B P R MURTHY

Head (Special Products Division)

SHRI T SURESH

Head (Engineering Services Division)

SHRI A ASHOK KUMAR

Head (Electronics Manufacturing & Services Division)

SHRI SANKAR DEY

Dy. Project Director, NPR & Head
(Corporate Business Development Group)

SHRI T V SARMA

Head (Radiation Detectors & Instrumentation Division)

SHRI B MAHAVEERA

Head (Security Systems & Projects Division)

SHRI Md. ARIFUDDIN

Head (Control Automation Division)

SHRI A K ASTHANA

Head (Reactor Projects Division)

SHRI O V L N MURTHY

Head (Antenna Products & Satcom Division)

SHRI M C VENKATASUBBAIAH

Head (Systems & Quality Assurance Group)

SHRI K S SHESHADRI

Head (Business Systems Division)

SHRI Y VISWESWARA RAO

Head (Computer Education Division)

SHRI R MAHENDRAN

Head (Servo Systems Division)

SHRI P HARENDER

Head (Electronic Warfare Systems Division)

SHRI A V APPA RAO

Head (Military Communication Systems Division)

SHRI Y V SUBBA RAO

Head (Telecommunication Division)

SHRI M BADRINARAYANA

Offg. Head (Information Technology Services Division)

SHRI RAMESH AMINHA

Offg. Head (Personnel Group)

SHRI G. NAGABHUSHANAM

Offg. Head (Manufacturing & Engineering Division)

BRANCHES

SHRI H C KALRA

General Manager (North), New Delhi

SHRI D S KULKARNI

Zonal Manager (West), Mumbai

SHRI B K MAJUMDAR

Zonal Manager (East), Kolkata

SHRI G SUBRAMANIAN

Dy. Zonal Manager (South), Chennai

SHRI D R VENKATASUBBU

Dy. Zonal Manager (South), Bangalore

AUDITORS

M/s Anjaneyulu & Co., Chartered Accountants

BANKERS

STATE BANK OF INDIA

STATE BANK OF HYDERABAD

BANK OF MAHARASHTRA

ANDHRA BANK

BANK OF BAHRAIN & KUWAIT BSC

ICICI BANK

PUNJAB NATIONAL BANK

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय अंशधारियों,

वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कंपनी का कार्य निष्पादन प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हुआ है। कंपनी ने टर्नओवर के संबंध में 1382 करोड़ रूपयों का टर्नओवर प्राप्त कर एन नया कीर्तिमान स्थापित किया। वेतन संशोधन बकाया तथा बढ़ाये गए ग्रेज्युटी के कार्यान्वयन के कारण कंपनी के लाभ में बड़ी कटौती हुई। राष्ट्र मंडल खेल 2010 के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में कंपनी द्वारा निभाई गई भूमिका की काफी प्रशंसा की गई। इस प्रणाली के सफल सुपुर्दगी ने अपनी व्यापार इकाइयों में फैले हुए मल्टी-क्षमताओं के बीच ताल-बिठा पाने की कंपनी की क्षमता को उजागर किया। वर्ष 2011-12 की शुरुआत में कंपनी की आदेश पुस्तिका की स्थिति 1148 करोड़ रुपये रही और निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने में आश्वस्त है। मैं अब वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन क स्थिति तथा भविष्य के दृष्टिकोण पर नजर डालता हूँ।

2010-11 में कार्य निष्पादन

वर्ष के दौरान, कंपनी का टर्नओवर 1382 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 40 प्रतिशत का प्रमुख योगदान सुरक्षा क्षेत्र से, रक्षा क्षेत्र से 27 प्रतिशत, परमाणु क्षेत्र से 10 प्रतिशत और सरकारी डोमेन में शेष 23 प्रतिशत की आपूर्ति रही। गत वर्ष के दौरान कर से पहले लाभ 54 करोड़ रुपये के विरुद्ध इस वर्ष करसे पहले लाभ 22 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2011-12 की शुरुआत में आर्डर बुक की स्थिति 1148 करोड़ रुपये रही जबकि 2010-11 में आदेश पुस्तिका की स्थिति 1490 करोड़ रुपये थी।

उपलब्धियाँ :

नाभिकीय क्षेत्र में, कंपनी ने अधिकतर सी एण्ड आई उपकरणों की आपूर्ति की जिसमें पहले 500 एमडब्ल्यू प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए सिम्युलेटर शामिल हैं जो कलपाकम में पूरा होने के अंतिम चरण में है। ईसीआईएल, कुदनकुलम नाभिकीय बिजली परियोजना के लिए एनपीसीआईएल को फील्ड समर्थन दे रहा है। तारापुर संयंत्र के लिए ईंधन पुनर्प्रसंस्करण हेतु नियंत्रण एवं उपकरण प्रणालियों और विकिरण निगरानी उपकरणों का आरंभ किया गया।

राष्ट्र मंडल खेल 2010 के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की सुपुर्दगी ही वर्ष के दौरान कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जो विपरीत तथा कठिन परिस्थितियों में भी सहजता से कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। दिल्ली शहर के बाजारों तथा दिल्ली मेट्रो पर वीडियो निगरानी प्रणाली कार्य का कार्यान्वयन चल रहा है।

नव निर्मित एम 7 रेडियो के लिए उत्पादन लाइन ने बिक्री में 111 करोड़ रूपयों का योगदान दिया जबकि आदेश पुस्तिका में 93 करोड़ रुपये जमा किये गए। कंपनी ने आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम के लिए सी-4आई प्रणाली बाहर लाना शुरू कर दिया है। वर्ष के दौरान एडीए के लिए एंटीना प्लेटफॉर्म यूनिट की आपूर्ति का कार्य पूरा किया है। आईसीएनएस परियोजना के लिए उपकरण की आपूर्ति तथा स्थापना कार्य जोरों पर है।

राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) परियोजना के भाग के रूप में कंपनी ने डाटा डिजिटाइजेशन एवं बयोमेट्रिक केपचर कार्यक्रम आरंभ किया जो वर्ष 2011-12 के टर्नओवर में मुख्य योगदान देगा। कंपनी ने इस

परियोजना के लिए रेसिडेंट आईडेंटिटी कार्ड बनाने हेतु तिरुपति में एक विनिर्माण सुविधा का सृजन किया।

वर्ष 2011-12 के लिए दृष्टिकोण :

वर्ष 2011-12 के लिए परमाणु विभाग के साथ किये गए समझौता ज्ञापन में कंपनी ने टर्नओवर का लक्ष्य 1500 करोड़ रुपये निर्धारित किया। वर्तमान आदेश पुस्तिका की स्थिति, प्राप्त रूझान यह इंगित करते हैं कि निर्धारित लक्ष्य को पार किया जायेगा।

वर्तमान तथा निष्पादनयोग्य आदेश जैसे परमाणु विभाग के परियोजनाओं के लिए नि एण्ड उ प्रणालियाँ आकाश एवं ब्रह्मोस के लिए सी-4आई प्रणालियाँ, एम 7 रेडियो, सीओएमआईएनटी परियोजनाएँ, एनपीआर परियोजना, एम एसीई, आईसीएनएस एवं एपीएल सुपुर्दगी, सुरक्षा परियोजनाएँ एवं महाराष्ट्रा एसईसी के लिए इलक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें।

वर्ष 2011-12 के दौरान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना परियोजना के लिए कंपनी को इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ जिसका मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपये हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी को प्रमुख बंदरगाहों के लिए रेडियोलोजिकल डिटेक्टर उपकरण, दिल्ली बाजार (चरण-2) के लिए रेडियो, निगरानी प्रणाली, नाभिकीय बिजली संयंत्रों के लिए सी एण्ड आई उपकरण, आर्टिलरी फ्यूज तथा मिसाइल कार्यक्रमों के लिए सी-4 आई प्रणाली हेतु आदेश प्राप्त करने की उम्मीद है।

कंपनी प्रमुख विज्ञान कार्यक्रमों को अपने योगदान के मजबूत परंपरा को जारी रखते हुए जर्मनी के (एफएआईआर) एन्टिप्रोटान एवं अयान रिसर्च के लिए पवर कन्वर्टर सुविधा और फ्रान्स में थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रियाक्टर (आईटीईआर) की आपूर्ति करने जा रही है।

चुनौतियाँ और रोडमैप

कंपनी उत्पाद विकास, क्षमता निर्माण, आधुनिकीकरण और मानव संसाधन जैसे मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

एक दशक के लिए कंपनी के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा के रूप में एक विजन 2020 दस्तावेज तैयार किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र के व्यापार में संभावनाओं के मद्देनजर तकनालेजी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन की आवश्यकता है।

कंपनी द्वारा किये गए पहल के कारण अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं जिससे कंपनी के निष्पादन में बढ़ोतरी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कंपनी आनेवाले वर्षों में प्रभावशाली रूप से सतत वृद्धि करेगी और अपने परिदृश्य में अंतर्निहित सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करेगी।

धन्यवाद

वाई.एस. मर्या

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

I have great pleasure in presenting to you the performance of your company during the year 2010-11. The Company created a new record in terms of turnover registering Rs.1382 crores. The huge liabilities arising out of pay revision arrears and implementation of enhanced gratuity significantly eroded the profits of the Company. The role played by the Company in ensuring timely implementation of Integrated Security System for Common Wealth Games 2010 drew much appreciation. The successful delivery of this system highlighted the ability of the Company to synergize its multi-disciplinary capabilities spread across business units and offer a total solution. The Company has logged a record order book position of Rs. 1148 crores at the beginning of 2011-12 and is confident of exceeding the targeted performance. Now I present to you a bird's eye view of the performance during the year and the Outlook for future.

Performance in 2010-11

During the year, the Company posted a turnover of Rs.1382 crore which is 16% higher than the turnover of the previous year. The major contribution of 40% came from the Security sector, 27% from Defence sector, 10% from Nuclear sector and balance 23% from supplies to other sectors in the government domain. The Company has earned a Profit Before Tax of Rs.22 crores as compared to Rs.54 crores during the previous year. The order book stood at Rs.1148 crores at the beginning of 2011-12 as compared to Rs.1490 Crores at the beginning of 2010-11.

Achievements

In the nuclear sector, the Company has delivered most of the C&I equipment including simulator for the first 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor which is in advanced stage of completion at Kalpakkam. ECIL is rendering field support to NPCIL for the Kudankulam Nuclear Power Project. The C&I systems and Radiation Monitoring equipment for the fuel reprocessing plant at Tarapur has been commissioned.

The most significant achievement during the year was the delivery of Integrated Security System for Common Wealth Games 2010 which showcased company's innate resilience to succeed under very trying circumstances. Progressive implementation of Video Surveillance systems at Delhi city markets and Delhi Metro continued.

The newly created production line for M7 Radios contributed Rs.111 crores towards sales while adding Rs.93 crores to the order book. After years of development work, Company has started rolling-out C4I systems for Akash and Brahmos missile programs. Delivery of Antenna Platform Unit for ADA was completed during the year. Progressive delivery and installation of equipment for ICNS project continued.

The Company has launched data digitization and bio-

metric capture campaign as part of the National Population Registry (NPR) project, which is expected to contribute significantly to the turnover in 2011-12. The Company has created manufacturing facility at Tirupati to roll out Resident Identity Card for this project.



Outlook for 2011-12

The Company set a target of Rs.1500 crores in turnover in its MoU with Department of Atomic Energy for the year 2011-12. The present order book position, orders in pipeline and the leads available, point towards a promising performance exceeding the targets.

The existing and executable orders comprise of C&I systems for DAE projects, C4I system for Akash and Brahmos, M7 radios, COMINT projects, NPR project, MACE, ICNS and APL deliveries, Security projects and EVMs for Maharashtra SEC.

Company has received a Letter of Intent for carrying out the Socio Economic Caste Census project during 2011-12 valued at around Rs.300 crores.

During the year Company is expecting to receive orders for Radiological Detector Equipment for major ports, Radios, Surveillance systems for Delhi markets (Phase 2), Artillery Fuzes, C&I equipment for Nuclear Power Plants and C4I systems for missile programs.

Continuing its strong tradition of contributing to major Science programs, the Company is poised to supply power converters to Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) at Germany and International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) in France.

Challenges and Roadmap

The Company continues to focus on product development, capability building, modernization and human resource development as thrust areas.

A VISION 2020 document was prepared as an outcome of systematic effort to outline a roadmap for the Company for the decade. Along with forecast on business in each sector, need for technology upgradation, R&D and HR development are identified.

The initiatives taken and being pursued by the Company have started showing results which are expected to facilitate increasingly improved performance of the Company. I am confident that your Company is poised for impressive and sustainable growth in the years to come and realize the strategic objectives underlying its VISION.

Thank you

Y S Mayya

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारी

सज्जनों,

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की 44 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं उसके साथ 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिये परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालन परिणामों पर एक झलक

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2010-11	2009-10
टर्नओवर	1382	1187
रियलाइजेबल मूल्य पर उत्पादन	1226	1114
कर के पहले लाभ	22	54
कर के बाद लाभ	23	42
नेट वर्त	606	593
नियोजित पूँजी	872	755
वेल्यू एडेड	498	401

शेयर पूँजी व अप्रतिभूति ऋण

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह 200 करोड़ रुपये पर स्थिर रहा। 31-03-2011 तक मांगी तथा प्रदत्त पूँजी 163.37 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान सरकार से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया।

लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2010-11 के लिये 1000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 48.97 रुपयों का लाभांश की सिफारिश की है जो 8 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2010-11 में प्रस्तुत किये गए नये उत्पाद

- आईआरएनएसएस परियोजना के लिये मल्टी एलिमेंट मोनो पल्स ट्रेकिंग फीड प्रणाली
- ट्रेकिंग राडार के लिये एस बैंड फीड प्रणाली
- 206.5 एमएचजेड बैंड अनुप्रयोगों के लिए ट्रान्समिट/रिसीव माडल
- आईईडब्लू प्रचालनों के लिए जेनरिक कमांड एवं नियंत्रण साफ्टवेयर
- भारतीय रेलवे के लिए डिजिटल नाच इंडिकेटर डीएनआई-200

एफ) गामा एवं न्यूट्रान के लिए वाहन निगरानी प्रणाली

जी) डूरवे मानीटर

एच) न्यूट्रान ड्रम मानीटर

ऊर्जा बचत, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेश मुद्रा अर्जन और निर्गम

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अंतर्गत आवश्यक विवरण इस प्रतिवेदन के अनुबंध-1 में दिये गये हैं।

मानव संसाधन

कर्मचारीगण की संख्या

वर्ष के दौरान कुल 80 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई (सामान्य 57, ओबीसी 10, अ.जा. 11, अ.ज.जा. 2 जिसमें 2 विकलांग शामिल हैं)। 442 कर्मचारीगण निगम से अलग हुए। 31-03-2011 तक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4332 और वर्गवार ब्रेकअप तथा कंपनी में वर्ग ए-1892, वर्ग बी-820, वर्ग सी-1221, वर्ग डी-297 एवं वर्ग डी1 (सफाई कर्मचारी) 102। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की तुलना में इनकी प्रतिशतता वर्गवार निम्नलिखित है:-

	अ.जा. कर्मचारीगण	अ.ज.जा. कर्मचारीगण
वर्ग ए	272 (14.40%)	62 (3.28%)
वर्ग बी	149 (18.17%)	46 (5.60%)
वर्ग सी	162 (13.26%)	58 (4.75%)
वर्ग डी	63 (21.21%)	9 (3.03%)
वर्ग डी-1 (सफाई कर्मचारी)	40 (39.21%)	01 (0.98%)

प्रबन्धन में कर्मचारों की भागीदारी :

संयुक्त समितियों में कर्मचारों एवं अधिकारियों की प्रतिनिधियों की भागीदारी निम्न प्रकार हैं :

- निगमीय प्रबन्धन समिति: यह समिति एक उच्च नीति निर्धारण समिति है जिसके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष है। सभी कार्यात्मक निदेशकगण, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबन्धकगण एवं प्रभाग प्रमुखगण शामिल हैं। इस समिति के बैठकें नियमित रूप से होती हैं और इसमें कंपनी के प्रधान मुद्दों पर चर्चा होती है जिसमें कंपनी का कार्य निष्पादन भी शामिल है। ईसीएस एण्ड डब्ल्यू यू के अध्यक्ष एवं महा सचिव तथा ईसीओए के अध्यक्ष तथा सचिव बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं।

DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders of
Electronics Corporation of India Limited

Gentlemen,

Directors of ECIL have pleasure in presenting herewith the 44th Annual Report of your Company, together with the audited statement of accounts for the year ended 31st March, 2011.

OPERATING RESULTS AT A GLANCE

(Rs Crores)

Particulars	2010-11	2009-10
Turnover	1382	1187
Production at realizable value	1226	1114
Profit before tax	22	54
Profit after tax	23	42
Net worth	606	593
Capital employed	872	755
Value added	498	401

SHARE CAPITAL & UNSECURED LOANS

During the year, the authorised share capital of the Company remained unchanged at Rs.200.00 Crores. The called up and paid up share capital as on 31.03.2011 stood at Rs 163.37 crores. No loans were taken from Government during the year.

DIVIDEND

The Directors are pleased to recommend a dividend of Rs 48.97 per share of Rs. 1000/- amounting to Rs. 8 crores for the year 2010-11.

NEW PRODUCTS INTRODUCED IN 2010-11

- Multi element Mono-pulse Tracking Feed System for IRNSS Project
- S band Feed System for Tracking Radar
- Transmit / Receive Modules for 206.5 MHz band applications
- Generic Command and Control Software for IEW operations
- Digital Notch Indicator DNI-200 for Indian Railways

- Vehicle Monitoring System for Gamma & Neutron
- Doorway Monitor
- Neutron Drum Monitor

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION & FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Particulars as required under the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 are given in Annexure – I to the report.

HUMAN RESOURCES:

Staff Strength:

During the year a total of 80 persons were recruited (General = 57, OBC = 10, SC = 11, ST = 2, which included 2 persons with disabilities (PWD). 442 employees were separated during the year. The Manpower as on 31.03.2011 stood at 4332 and Group wise breakup is, Group A = 1892, Group B = 820, Group C = 1221 and Group D = 297, Group D1 (Sweepers) 102.

The number of SC employees and their percentages to the total number of employees in different groups are Group "A" – 272(14.40%), Group "B" – 149 (18.17%), Group "C" 162 (13.26%), Group "D" – 63 (21.21%), Group "D1" (Sweepers) – 40 (39.21%).

The number of ST employees and their percentages to the total number of employees in different groups are Group A = 62 (3.28%), Group B = 46(5.60%), Group C = 58(4.75%), Group D = 9 (3.03%), Group D1 (Sweepers) = 01(0.98%).

Workers' Participation in Management:

The participation of workmen and officers' representatives in the joint forums is as given below.

- The Corporate Management Committee: This Committee is a high level policy making body at the Corporate level which is headed by the Chairman & Managing Director. The Committee consists of all Functional Directors, Executive Directors, General Managers and Heads of Divisions. The Committee meets regularly and deliberates upon the major policy issues including performance of the Company. The President and General Secretary of ECS&WU and President and Secretary of ECOA are the special invitees.

बी) सर्वोच्च समिति : प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी की योजना के अंतर्गत समिति गठित की गई। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति में बोर्ड के कार्यात्मक निदेशकगण, कार्मिक वर्ग के प्रधान एवं ईसीएस एण्ड डब्ल्यू यू के अध्यक्ष एवं महा सचिव तथा अधिकारी संघ के अध्यक्ष एवं सचिव सम्मिलित हैं। समय-समय पर समिति की बैठक होती है तथा उत्पादन में वृद्धि, कार्य निष्पादन एवं निगम में मधुर औद्योगिक संबंधों के संरक्षण तथा अन्य मुख्य नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के उपरान्त उचित सिफारिश करती है।

सी) प्रभागीय उत्पादन समितियाँ : यह समितियाँ प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी की योजना के अंतर्गत गठित की गई है। संबंधित प्रभाग प्रमुख इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और उत्पादन शाप्स, गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री प्रबन्धन, कार्मिक एवं वित्त प्रभागों से सदस्य लिये जाते हैं। उत्पादन लक्ष्य, बिक्री लक्ष्य एवं विविध ऋण, आदेश पुस्तक स्थिति को प्राप्त करने के लिये कार्य योजना संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिये समय समय पर बैठकें बुलाई जाती हैं।

औद्योगिक संबंध की स्थिति

2.1 वर्ष 2010-11 के दौरान औद्योगिक संबंध की स्थिति सामान्य रही। डीसीएल,आर-आंचलिक द्वारा ईसीआईएल में बहुमत संघ का निर्माण करने के लिए 22-01-2011 को चुनाव हुए और स्टॉफ और वर्कर्स यूनियन को कर्मचारों के लिए प्रतिनिधि संघ के रूप में निर्वाचित किया गया।

2.2 19.02.2011 को ईसीओए से किये गए समझौता ज्ञापन तथा 25-3-2011 को सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) हैदराबाद के सम्मुख आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 12(3)के अंतर्गत कर्मचारी संघ के साथ किये गए समझौता ज्ञापन तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अनुरूप कर्मगार एवं अधिकारियों के लिए लागू भत्ते एवं अलवेंसेस को संशोधित किया गया।

2.3 नगरद्वय में बंद/गडबडी के कारण कंपनी द्वारा किराये पर लिये गए एपीएसआरटीसी की बस नहीं चल पाई इसके परिणामस्वरूप कुल 3806 मानव दिवस बरबाद हुए।

कल्याण कार्यकलाप

ईआरबी नियमों के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण उपाय

और कर्मचारियों की भलाई के लिए कई गैर सांविधिक उपाय प्रबंधन द्वारा मुहैया कराये गए।

दो पूर्णकालिक कल्याण अधिकारी, तीन चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ संरक्षा अधिकारी कंपनी में कार्यरत हैं।

जन कल्याण क्रियाकलाप निम्नप्रकार हैं -

1. सभी सांविधिक उपाय जैसे ईएसआई, भविष्य निधि, श्रामिकों के लिए ठेका मजदूर, के अलावा रियायती कैटीन और परिवहन इत्यादि मुहैया कराये जा रहे हैं।
2. सभी कर्मगार ऑ.प्र. श्रम कल्याण फंड 1987 के अंतर्गत आते हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत आनेवाले सभी लाभ इन्हें दिये जा रहे हैं। वर्ष 2010 के लिए हमारे कर्मगार के 31 बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति मुहैया कराई गई।
- 3 ए) परियोजना स्थलों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को कर्मगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं के लिए बीमा कराया गया।

बी) जो कर्मचारी सरकारी दौरे पर विभिन्न साइट जैसे सामाजिक रूप से परेशान क्षेत्र और जोखिम क्षेत्रों को जाते हैं उन्हें समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी के अंतर्गत कवरेज दिया गया।

सी) कंपनी के सभी कर्मचारीगण 25000 रूपयों के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी के अंतर्गत हैं।

डी) वर्ष 2010-11 के दौरान समूह बचत लिंक्ड बीमा सह सेवा निवृत्ति लाभ योजना के अंतर्गत जो 19 कर्मचारी सेवा के दौरान मर गए उनके प्रत्येक के परिवार को 1.00 लाख रूपये बीमा राशि मुहैया कराई गई और प्रबंधन की ओर से 10,000 रूपये मुहैया कराये गए। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देकर अलग हुए उन्हें अधिकतम सेवा के आधार पर प्रत्येक को अधिकतम 40,000 तक मुहैया कराये गए।

प्रशिक्षण एवं विकास

आंतरिक प्रशिक्षण :

वर्ष 2010-11 के दौरान निगमीय अध्ययन केन्द्र ने 17 आंतरिक/संगोष्ठी एवं कार्यक्रम आयोजित किये (05 तकनीकी एवं 12 गैर तकनीकी) जिसमें प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों द्वारा वर्तमान विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किये गए।

वर्ष के दौरान नव भर्ती ग्रेजुएट इंजीनियर प्रशिक्षुओं के लिए एक व्यापक

- b) **APEX Committee:** The Committee is constituted under Scheme of Workers' Participation in Management. The Committee is headed by Chairman & Managing Director and other Members include Functional Directors on the Board & ED, Head, Personnel Group and President & General Secretary of ECS&WU and President and Secretary of Officers' Association. The Committee meets periodically and deliberates and makes suitable recommendations on the issues concerning improvement of production, performance and other major policy issues for smooth functioning and maintaining harmonious industrial relations in the Corporation.
- c) **Divisional Production Committees:** These committees are constituted under the Scheme of Workers' Participation in Management. The Head of Division concerned is the Chairman for the committee and the members are drawn from Production shops, Quality Control, Materials Management, Personnel and Finance. The meetings are convened periodically for discussion on the issues pertaining to working plans to realize the production targets, sales targets and sundry debts, order booking status etc.

EMPLOYEE RELATIONS SITUATION:

- 2.1 The employee relations situation was normal during the year 2010-11. The elections for determining the majority Union in ECIL were held on 22-01-2011 by DCL, RR Zone and the EC Staff & Workers Union was elected as representative Union for all workmen of ECIL.
- 2.2 The perks and allowances applicable to Workmen and Executives were revised in terms of the approval accorded by the Board and also as per Memorandum of Understanding reached with ECOA on 19-02-2011 and Memorandum of Settlement under Sec. 12(3) of I.D. Act, 1947 entered into with the EC Staff and Workers Union before Asst. Labour Commissioner (central), Hyderabad on 25-03-2011.
- 2.3 A total number of 3806 man days were lost due to non-operation of Company hired APSRTC buses on account of bundhs / disturbances in twin cities.

WELFARE ACTIVITIES:

All Health, Safety and welfare measures as laid down under the AERB Rules and also a number

of non-statutory measures for the well being of all employees of the Company have been provided by the Management.

There are two full time Welfare Officers as per the requirement, three Medical Officers and one Senior Safety Officer to look after the requirements.

Some of the Welfare activities are given under:

1. All statutory measures viz., ESI, Provident Fund, Minimum Wages for contract labour are provided in addition to subsidized Canteen and Transport.
2. All the workmen are covered under AP Labour Welfare Funds 1987 and are extended with the benefits laid down under the Act. For the year 2010, 31 children of our workmen have been provided with merit scholarships.
3.
 - a) The employees deputed at project sites have been insured for Contingent Liabilities under the Workmen Compensation Act.
 - b) The employees proceeding on official tours to various sites, socially disturbed areas and hazardous areas have been provided coverage under Group Personal Accident Policy.
 - c) All employees of the Company are covered under a Janata Personal Accident Policy for an assured sum of Rs 25000/-
 - d) Under Group Savings Linked Insurance Cum Retirement Benefit Scheme during the Year 2010-11, the families of nineteen employees who expired while in service have been provided with insurance amount of Rs. 1.00 lakh each in addition to Rs. 10,000/- from Management. Employees who have separated on superannuation / resignation have also been provided with amounts varying on the number of year of service upto a maximum of Rs. 40,000/- each.

TRAINING & DEVELOPMENT

In-House Training:

During the year 2010-11 Corporate Learning Centre has organized 17 In-house / Seminars and Programmes (05 Technical & 12 Non-Technical) on themes of current interest by eminent faculty from reputed institutions.

During the year a comprehensive four months intensive technology training programme called

चार महीने गहन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसे जीईटी-2010 प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा गया (16-02-2010 को उद्घाटित) का आयोजन गया। इस कार्यक्रम को प्रति वर्ष के दौरान भर्ती किये गए स्नातक इंजीनियरों के लिए दोहराया जायेगा।

कुल 780 कर्मचारी (734 कार्यपालक गण एवं 46 कर्मगार) जिसमें जीईटीयों के लिए संपन्न हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर और तकनीकी संगठनों को छोड़कर 1973 श्रम दिवस का प्रशिक्षण दिया गया।

बाह्य प्रशिक्षण :

वर्ष 2010-11 के दौरान औद्योगिक विकास एवं तकनीकी कुशल उन्नयन तथा प्रबंधन विकास थीम पर प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए 139 कर्मचारियों को भेजा गया था।

विकलांग अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यान्वयन:

वर्ष के दौरान, उनके लिए आरक्षित पदों के लिए शारीरिक रूप से अपंग 2 कर्मचारियों की भर्ती की गई।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

वर्ष के दौरान 60 अनुरोध प्राप्त हुए तथा सभी अनुरोधों को उत्तर दिये गए।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :

आंचलिक कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2010 को एक हिन्दी कार्यशाला और 16-9-2010 को पुनर्गठित राभाकास के सदस्यों के लिए हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। 14 से 20 सितंबर, 2010 तक “हिन्दी सप्ताह” मनाया गया। 10 जनवरी, 2011 को “विश्व हिन्दी दिवस” मनाया गया। तेलुगु, हिन्दी एवं अंग्रेजी में संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण नीति चार्ट छपवाये गए। संसदीय राजभाषा समिति ने 5 जनवरी, 2011 को आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली तथा 10 फरवरी, 2011 को आंचलिक कार्यालय, मुंबई का निरीक्षण किया। उत्पादों पर द्विभाषी विवरण, बिल्ट्स, वाउचर, रसीदें आदि पर द्विभाषी विवरण सुनिश्चित करने के लिए द्विभाषी प्रलेखन निगरानी समिति गठित की गई।

गुणवत्ता प्रबंधन :

ए) आईएसओ 9001:2008 के अनुसार ईसीआईएल के सभी प्रभाग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन बनाये रख रहे हैं।

बी) मेसर्स बीएसआई इंडिया लि. के पी ए एस 99 के अनुसार समीकृत स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए कंपनी को प्रमाणित किया गया।

सी) निगमिय स्तर पर आईएसओ/आईसीसी 17025:2005 के अनुसार एनएबीएल एक्रिटेशन को बनाए रखने के लिए कैलिब्रेशन एवं मेशरमेंट एसक्यू एजी की प्रयोगशाला कार्यरत है।

डी) एसक्यूएजी प्रभाव परीक्षण सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

ई) ईएमआई/ईएमसी बिल्डिंग निर्माण पूरा हुआ है। चैम्बर की स्थापना होनी है। एमआईएल/आईसीसी उपकरण आना है।

एफ) एसक्यूएजी के ईटीएल को दो नये पर्यावरण चैम्बर्स जोड़ना है।

संयुक्त उद्यम कंपनी

ईसीआईएल-रेपिस्कान लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनी ने (लेखा परीक्षण नहीं किया गया) 67.88 करोड़ रूपयों टर्नओवर प्राप्त किया जबकि गत वर्ष लक्ष्य 65 करोड़ रुपये था इस टर्नओवर में एक्सरे बैगज निरीक्षण प्रणाली और पुर्जों की बिक्री के 42.07 करोड़ रुपये और सर्विसिंग और अन्य आय के प्रति 25.81 करोड़ रुपये शामिल है।

वर्ष के लिए कंपनी के आपरेशन के लिए मूल्यहास के बाद लाभ 11.59 (अंतिम) करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष के लिए 12.28 करोड़ रुपये था।

वर्तमान वर्ष के लिये संयुक्त उद्यम कंपनी ने गत वर्ष के लक्ष्य 65 करोड़ रुपये से 15% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि एक्सबीआईएस उपकरणों के लिये कई देशों से मांग की जा रही हैं और साथ ही साथ बाजार में नए विक्रेताओं के प्रवेश के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है।

निगमिय अभिशासन

अनुबंध II में रिपोर्ट दी गई।

राष्ट्र मंडल खेल

राष्ट्र मंडल खेल 2010 के सभी स्थानों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणालियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं आरंभ के लिये सीडब्ल्यूजी 2010 के आयोजन मालिकों से गृह मंत्रालय की नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी को 375.17 करोड़ रूपयों के लिये जिसमें सभी कर समावेश है का ठेका प्राप्त हुआ। यह सम्पूर्ण परियोजना ‘टर्नकी’ आधारित है और मूल्य तय और स्थाई है।

गृह मंत्रालय को दिये गये अपनी रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) ने कहा है कि कंपनी ने अत्यधिक लाभ प्राप्त किया। सीएजी ने कुछ चुने हुए मदों पर विचार किया है जबकि इसने कुल खरीद मद, इनपुट सामग्री, श्रम शक्ति लागत आदि अनदेखी किया और अनुबंध एक तथ्य ‘टर्नकी फिक्स्ड एवं तय अनुबंध’ का

GET-2010 Training Programme for newly recruited Graduate Engineer Trainees was organized (inaugurated on 16.02.2010). This programme will be repeated every year for the batch of Graduate Engineers recruited during the year.

In all, 780 employees (734 Executives and 46 Workmen) excluding GETs have participated in the training programmes including Technical Seminars resulting in 1973 man days of training.

External Training:

During the year 2010-11, 139 employees were sent for Technical Management training programmes organized by various reputed training organizations on Technology Development & Technical skill upgradation as well as Management Development themes.

IMPLEMENTATION OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 1995:

During the year 2 employees with disabilities were recruited to fill up the vacancies reserved for them.

RTI ACT 2005:

During the year, 60 queries were received and answered.

PROGRESSIVE USE OF HINDI:

One Hindi workshop was organized on 1st July 2010 for the employees of zonal offices and another workshop was organized on 16th September 2010 for new members of reconstituted OLIC. "Hindi Week" was observed, from 14 to 20th September, 2010. "World Hindi Day" was observed on 10th January 2011. "Safety, Health and Environment Policy" was printed in Telugu, Hindi and English. The Parliamentary Committee on Official Language inspected Zonal Office, New Delhi on 5th January 2011 and Zonal office, Mumbai on 10th February 2011. Bilingual documentation Monitoring Committee was constituted to ensure bilingual details on products, bills, vouchers, receipts etc.

QUALITY MANAGEMENT

- All the divisions of ECIL continue to maintain Quality Management System Certification as per ISO 9001:2008.
- The Company was certified for Integrated Safety Health and Environmental Management System as per PAS 99 of M/s BSI India Ltd.

- Calibration and Measurements Laboratory of SQAG continues to maintain NABL accreditation as per ISO/IEC 17025:2005 at corporate level.
- SQAG is under the process of establishing Impact Test Facility.
- EMI / EMC building construction completed. Chamber is under installation. MIL/IEC Test Equipment is about to arrive.
- Two new Environmental Chambers are about to be added to ETL of SQAG.

JOINT VENTURE COMPANY

ECIL – Rapiscan Ltd, the JV Company has achieved a turnover of Rs. 67.88 Crores (Unaudited) against a target of Rs. 65 Crores for the previous year. The turnover consists mainly of Rs. 42.07 Crore from sale of X-ray Baggage Inspection System and Spares Rs. 25.81 crore towards servicing and other income.

The Profit after depreciation for the operation of the Company for the year is Rs. 11.59 crore (provisional), compared to Rs. 12.28 crores for the previous year.

The JVC is targeting for current financial year a growth of 15% over the previous year target of Rs. 65 Crore even though there is a good demand for XBIS equipment from numerous establishment in the country, and at the same time the competition in the market has increased with the entry of new vendors.

CORPORATE GOVERNANCE

A report is given at Annexure – II.

COMMON WEALTH GAMES

The Company was awarded Contracts, with Ministry of Home Affairs (MHA) as the nodal agency, from the venue owners of CWG 2010, on nomination basis, for supply, installation, testing and commissioning of Integrated Security Systems at all the venues of CWG 2010 for 375.17 crores inclusive of all taxes. The total Project is on a 'Turnkey' basis and the prices firm and fixed.

Comptroller & Auditor General (CAG) in its report to MHA observed that the Company has made exorbitant profit. In arriving at this conclusion CAG has considered only a select items ignoring the cost of total procured items, input materials, manpower cost etc. Without taking cognizance of the fact that the contract is a 'turnkey fixed and firm contract' and that the Company has proactively

संज्ञान लिया है और कंपनी ने अनुबंध के दायरे में जो शामिल नहीं है उसके साथ जुड़े हुए आवश्यकताओं के लिये व्यापक समाधान प्रदान किया है, पर गृह मंत्रालय ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर पत्र सं. VI. 23014/134/2011-वीएस/सीडब्ल्यूजी दिनांक 21.7.2011 के द्वारा आयोजकों को एसएस एंड एफ ए (गृह) समिति के सिफारिशों के अनुसार अंतिम रूप देने और वसूली करने के लिए कहा है। कंपनी को ग्राहक यानी आयोजकों से इस संबंध में औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ जिन्होंने आदेश दिया था। जब पत्र प्राप्त होगा तब मामले को उचित रूप से निपटाया जायेगा।

लेखा परीक्षा

वर्ष 2010-11 के लिये मेसर्स आंजनेयुलु एंड कंपनी, सनदी लेखापालों को संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। दिनांक 31-03-2011 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के लेखे पर संवैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दिये गये हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की समीक्षा अनुबंध-IV में दी गयी है।

सतर्कता

वर्ष 2010-11 के दौरान कारपोरेट सतर्कता विभाग का ध्यान एक सक्रिय और भागीदारी तरीके से निवारक सतर्कता पर केन्द्रित था। इसीलिये अधिक पारदर्शिता लाने हेतु प्रौद्योगिकी लाभ पर ज्यादा जोर दिया गया। ईसीआईएल कर्मचारियों के लाभ के लिये मुख्य सतर्कता विभाग द्वारा मुख्य कदम उठाये गये जैसे विक्रेताओं की सूची होस्ट करना, सीडीए नियम, कार्मिक (स्थापना) पुस्तिका का मसौदा और ईसीआईएल वेब साइट पर क्या करें और क्या न करें पुस्तिका रखी गई। आन लाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रणाली और आनलाइन पर आईपीआर भरना इस दिशा में और एक कदम है। जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिए सीवीडी ने ई-खरीदी, ई-भुगतान, ई-निलामी, ट्रेकिंग बिल और फाइल ट्रेकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रणालियों में सुधार पर ध्यान दिया गया और भर्ती और खरीदी जैसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिये सीवीडी ने कई सुझाव दिये हैं।

सीवीडी के आदेशानुसार भ्रष्टाचार के बारे में ईसीआईएल कर्मियों में जागरूकता लाने के लिये कार्मिक वर्ग द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर जैसे सामग्री प्रबन्धन, निगमीय प्रबन्धन में अनुशासनात्मक कार्रवाई नैतिकता, सतर्कता प्रशासन आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम,

संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

इसके अलावा, ईसीआईएल में 25-10-2010 से 1-11-2010 तक सतर्कता जागरूकता अवधि मनाई गई। इस दौरान भ्रष्टाचार विरोध पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे श्री संतोष मेहरा, आईपीएस, पुलिस महा निरीक्षक, आन्ध्र प्रदेश सरकार एवं श्री एम. गोपालकृष्ण, आईएस (सेवा निवृत्त) के व्याख्यान आयोजित किये गये। प्रबन्धन से सतर्कता को एकीकृत करने और व्यापार प्रभागों एवं सीवीडी में बेहतर समन्वय स्थापित करने प्रभागीय प्रबन्धन से संवादात्मक सत्र आयोजित किये गये। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के साथ संरचित समीक्षा बैठकों के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं, वर्ष के दौरान सीवीडी ने 14 शिकायतों की जाँच की और 6 शिकायतों को जाँच के बाद निपटाया गया।

वर्ष 2010-11 के दौरान सीवीडी द्वारा सीटीई टाइप परीक्षण किये गये। प्रबन्धन ने वर्ष के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करनेवाले कर्मचारियों को स्थानांतर किया।

निदेशकगण

डॉ श्रीहरि राव, मुख्य नियंत्रक (अ एवं वि) डीआरडीओ 12 अप्रैल 2010 से निदेशक नहीं रहे।

श्रीमती रेवती अय्यर, संयुक्त सचिव (आई एवं एम) 23 जुलाई, 2010 से निदेशक नहीं रही और उनके स्थान पर डॉ. सी.बी.एस. वेंकटरमणा को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

प्रोफेसर एम. चन्द्रशेखर, निदेशक, अभिनव एवं प्रौद्योगिकी के लिए केन्द्र को 26 अक्तूबर 2010 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री वी.वी.आर. शास्त्री, कार्यकारी निदेशक - टेलिमैटिक्स विकास केन्द्र को 10 मार्च, 2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए ए) के अंतर्गत निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि :

- 31-03-2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यावहारिक अडचनों के कारण छोटे अंतरण को छोड़कर लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3)(बी) के लेखों की टिप्पणियों में स्पष्ट की गयी हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना है तथा उनका प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं प्राकलन किए जो 31 मार्च, 2011 को कंपनी की स्थिति की दृष्टि से सही है और ठीक ही है तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ को दर्शाती है;

provided comprehensive solutions to all emerging requirements connected with CWG though not included in the scope of the Contract, MHA has in turn, based on CAG report, issued instructions to the Venue owners vide letter No. VI.23014/134/2011-VS/CWG dated 21.07.2011 to finalise and recover as per recommendations of SS & FA (Home) Committee. The Company is yet to receive a formal communication from the customers' viz., venue owners who placed orders on the Company, in this regard. The matter will be appropriately dealt with as and when communication is received.

AUDIT

M/s Anjaneyulu & Co., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Company for the year 2010-11. The Company's replies to the Statutory Auditors' Report on the accounts of the Company for the year ended 31.03.2011 are furnished in Annexure-III to this report. Comments of C&AG under Section 619(4) of the Companies Act, 1956, are given in Annexure IV.

VIGILANCE

During the year 2010-11, the focus of Corporate Vigilance Department (CVD) has been on preventive Vigilance in a proactive and participative manner. Emphasis was therefore laid on leveraging technology to bring about greater transparency. The Significant initiatives taken by CVD include ensuring hosting of vendors list, CDA rules, draft Personnel (establishment) manual, and a booklet on Dos and Don'ts on the ECIL website for benefit of ECIL personnel. Introduction of on-line complaint lodging system and on-line filing of IPRs is another step taken in this direction. In order to buildup public trust, CVD has also emphasized the need for implementation of e-procurement, e-payment, e-auction, bill tracking and file tracking system. In line with the spirit of CVC guidelines due attention was given to systems improvement and suggestions have been made by CVD in the areas of recruitment and public procurement to bring about greater objectivity, transparency and accountability.

At the behest of CVD, to sensitize ECIL personnel about corruption and to generate awareness among them, series of training programmes/seminars/workshops on various topics such as material management, disciplinary proceedings ethics in corporate management, vigilance administration etc. were organized by Personnel Group during the year.

Also, Vigilance Awareness period was observed from 25.10.2010 to 01.11.2010 in a befitting manner in ECIL. Talks by eminent persons like Shri Santosh Mehra, IPS, IG of Police, Government of Andhra Pradesh and Shri M GopalaKrishna, IAS (retd.) on anti corruption were arranged during the said period. In order to integrate Vigilance with Management and to bring greater coordination between Business Divisions and CVD interactive sessions were organized with divisional management. Structured vigilance review meetings with CMD have yielded positive results, during the year CVD examined 14 complaints and 6 complaints were disposed of after investigation.

CTE-type examinations were also undertaken by CVD during the year 2010.11. Transfer of employees working in sensitive areas were also effected during the said period by the Management.

DIRECTORS

Dr.Sreehari Rao Chief Controller (R&D) DRDO ceased to be Director from 12th April, 2010.

Smt. Revathy Iyer Jt.Secretary (I&M) ceased to be Director from 23rd July, 2010 and Dr.C B S Venkataramana was appointed as Director in the place of Smt.Revathy Iyer.

Prof.M.Chandrasekhar Director – Centre for Innovation and Technology being appointed as Director from 26th October, 2010.

Shri V V R. Sastry Executive Director – Centre for Development of Telematics being appointed as Director from 10th March, 2011.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Sec 217(2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors confirm:

- i) That in preparation of accounts for the financial year ended 31.03.2011, the applicable Accounting Standards have been followed excepting deviations due to practical constraints, which have been disclosed in the notes forming part of Accounts as per Section 211(3)(B) of the Companies Act, 1956;
- ii) That the Directors have selected the accounting policies, applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31.03.2011 and of the profit of the Company for the year ended on that date;

- iii. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने में तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने और रोकने में पर्याप्त रिकार्ड के रखरखाव के लिये उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और
- iv. निदेशकों ने 31-03-2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'गोइंग कन्सर्न' पद्धति पर लेखे की तैयारी की।

आभार

मंडल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं उनके सहयोगियों तथा सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना अभिलिखित करता है जिनके कारण वर्ष का उत्कृष्ट निष्पादन निरंतर बना रहा और आशा करता है कि आगामी वर्षों में कंपनी उच्चतर कार्य निष्पादन प्राप्त करेगी।

आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसके संघटक यूनिट जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय, बैंकर, विदेशी सहयोगी,

दूरसंचार विभाग, निर्वाचन आयोग, दूरदर्शन, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, कंपनी कार्य विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, रक्षा मंत्रालय एवं इसके यूनिट, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, आंध्र प्रदेश सरकार, सभी ग्राहक और अन्यान्य एजन्सियां जो प्रत्यक्षतः एवं परोक्षतः आपकी कंपनी से संबद्ध हैं, के प्रति समर्थन एवं प्रोत्साहन के लिए कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

वाई.एस. मर्या
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26.08.2011

- iii) That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and
- iv) That the Directors have prepared the Accounts for the financial year ended 31.03.2011 on a 'going concern' basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board wishes to place on record its appreciation of efforts of the Chairman and Managing Director and his colleagues on the Board and all the employees resulting in good performance achieved during the year and hopes that in the years to come, the Company would scale greater heights.

The Directors acknowledge with thanks the support and encouragement received from the Department of Atomic Energy and its constituent units such as

Nuclear Power Corporation of India Limited, Bhabha Atomic Research Centre and Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Ministry of Defence and its constituent units, Election Commission of India, Department of Information Technology, Ministry of Home Affairs, Department of Public Enterprises and other Ministries and departments of Government of India, the Government of Andhra Pradesh, Statutory Auditors, the Chairman and Members of the Audit Committee and the Office of the Principal Director of Commercial Audit, bankers, foreign collaborators, all the customers and agencies, who are directly or indirectly associated with your Company.

For and on behalf of the Board of Directors

Y S Mayya
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: Hyderabad
Date: 26.08.2011

शेयरधारियों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरे का उद्घाटन) नियम, 1988 के अंतर्गत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय अर्जन तथा निर्गम का ब्यौरा ।

ए. ऊर्जा संरक्षण :

ए) निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण कदम उठाये गये :

- एचटी एण्ड एल टी वितरण प्रणाली में बिजली नष्टता को कम करने के लिये सब-स्टेशन उपकरणों जैसे एयर सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन रिलेस, एलटी पैनल्स, ट्रान्सफार्मर का आइल फिल्ट्रेशन में निरोधात्मक अनुरक्षण कार्य किये गये ।
- अच्छे कार्य निष्पादन के लिये सोलार वाटर हीटिंग का रखरखाव किया जा रहा है ।

बी) ऊर्जा खपत कम करने के लिये अतिरिक्त निवेश या प्रस्ताव, यदि कोई हो तो, कार्य रूप दिया जा रहा है :

- सब स्टेशन-5(आईटी एंड टीजी)पर रखरखाव मुक्त पृथ्वी 30 नग पृथ्वी गड्ढों की स्थापना और 8.0 लाख रूपयों के व्यय पर 33 के वी सब स्टेशन की स्थापना।
- ईसीआईएल के विभिन्न प्रभागों में चल रहे परियोजनाओं में बचत लाइटों की स्थापना

सी) ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उपरोक्त (ए) एवं (बी) उपायों का प्रभाव और परिणामस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन लागत पर भी प्रभाव -

- विद्युत मीटरों की जगह पर बहु उद्देशीय मीटरों का प्रभागीय स्तर पर स्थापना के साथ रिकार्डिंग निगरानी है और निमंत्रण कार्य आसान बन गया । प्रभागों में अच्छी तरह से अपने चालू माह की खपत और पिछले साल के महीने की खपत दिखाने के साथ साथ अपने संबंधित क्षेत्रों में संरक्षण के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए सूचित किया जा रहा है ।
- एयर वाशिंग पौधों का न्यूनतम उपयोग,दोपहर भोजन के दौरान,वातानुकूलित संयंत्रों,बल्ब तथा पंखों को बंद करने जैसे उपायों के कारण वार्षिक खपत में

90,580 के डब्ल्यूएच की कमी दर्ज की गई ।

डी) अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में कुल खपत और प्रति यूनिट उत्पादन में की गयी खपत फार्म ए के अनुसार:

- लागू नहीं -

बी) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण

प्रपत्र बी के अनुसार प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण में किए गए प्रयास

प्रपत्र बी

ए) अनुसंधान एवं विकास

1) अनुसंधान एवं विकास के लिए किये जा रहे विशेष क्षेत्र

- ट्रैकिंग लो पृथ्वी कक्ष उपग्रहों के लिए एक्सबैंड में 4.5 एम डया,प्रणाली परिचालन
- आई आर एन एस एस परियोजना के 11 एम एर्थ स्टेशन के लिए मल्टी एलिमेंट मोनो पल्स ट्रैकिंग फीड प्रणाली ।
- राडार ट्रैकिंग के लिए एस बैंड फीड प्रणाली
- कोपर वेपर लेसरस के लिए पल्स पावर आपूर्ति
- पोवर प्रोगिकान,माड्यलर पीएलसी प्रणाली
- फास्ट हार्पिंग सिगनल्स के लिए ईसीएम प्रणालियों
- सालिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकार्डर प्रणाली
- टी-90 गैरोस्कोप
- आई)अगली पीढ़ी के बल्क इनक्रिप्शन प्रणालियों
- निगरानी एवं अवरोधन प्रणाली
- बीएमी - 11इंटीग्रेटेड मिसाइल सिम्युलेटर
- आकाश एवं पीजे 10 के लिए वी. 35 इनक्रिप्टर्स
- एसटीएम बल्क इनक्रिप्टर यूनिटें
- वाहन निगरानी प्रणाली
- लाइनक्स आधारित ईसीएससीएडीए सर्वर
- पी 3ए परियोजना के लिए रेफरेंस प्रणाली की स्थापना
- व्यू तेजी से प्रक्रिया पैरामीटर की निगरानी के लिए फास्ट डाटा अधिग्रहण प्रणाली

ANNEXURE – I TO DIRECTORS' REPORT TO SHAREHOLDERS

Particulars of conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo as required under the Companies (disclosure of particulars in the report of Board of Directors) Rules, 1988.

A. Conservation of Energy:

a) Energy conservation measures taken:

- i) Preventive maintenance of Sub-Station equipments like LT Panels, air Circuit breakers, protection relays, oil filtration of the transformers were carried out periodically to minimize the power losses in the HT & LT distribution system.
- ii) Solar water heating system maintenance is carried out periodically for better performance.

b) Additional investments and proposals, if any, being implemented for reduction in consumption of energy:

- i) Instalation of 30 number of maintenance free earth pits at sub-station-5 (IT&TG) and 33KV sub station at an expenditure of Rs 8.0 lakhs.
- ii) Energy saving lights fixtures are being installed in the ongoing projects at different Division in ECIL.

c) Impact of the measures at (a) & (b) above for reduction of energy consumption and consequent impact on the production cost of goods:

- i) With the installation of New multi function energy meters in place of electromechanical meters at Divisional level the recording, monitoring and controlling has become easier. The divisions are well informed for effective implementation of energy conservation measures in their respective areas by showing their current month consumption and last year month consumption.
- ii) Annual energy consumption is decreased by 90,580 KWH units due to implementation of energy conservation measures like minimum usage of Air

washing plants, air conditioning plants and switching off the lights and fans during lunch breaks.

d) Total energy consumption and energy consumption per unit of production as per Form A in respect of industries specified in the Schedule thereto:

Not applicable

B. Technology absorption

Efforts made in technology absorption as per Form B

FORM B

A. Research & Development

1. Specific areas in which R&D is carried out

- a) 4.5M dia. Antenna System operating in X Band for Tracking Low Earth Orbit Satellites.
- b) Multi element Mono-pulse Tracking Feed System for 11M Earth Station Antenna of IRNSS Project
- c) S Band Feed System for Tracking Radar Antenna
- d) Pulse Power Supplies for copper vapor lasers
- e) Power PROGICON, Modular PLC systems
- f) ECM systems for Fast Hopping signals
- g) Solid State Digital Video Recorder System
- h) T-90 Gyroscope
- i) Next Generation Bulk Encryption Units
- j) Surveillance and Interception systems
- k) BMP-II Integrated Missile Simulator
- l) V.35 Encryptors for Akash and PJ10
- m) STM Bulk Encryptor Units
- n) Vehicle Monitoring System
- o) Linux based ECSCADA Server
- p) Setting up of reference System for P3A Project
- q) Fast Data Acquisition System for monitoring of fast process parameters

आर) ट्रान्सफार्मरों के वितरण के लिए आटोमेटिक पॉवर फैक्टर नियंत्रण प्रणाली

एस) कोयला कैलोरी मूल्य की माप के लिए न्यूट्रान आधारित कैलोरिक वैल्यू मीटर

2) उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

ए) 11 एम पृथ्वी स्टेशन के लिए मल्टी एलमेंट मीनोपल्स ट्रेकिंग फीड प्रणाली के विकास के कारण 292 लाख रूपयों के आदेश को पूरा करने में सक्षम हुआ।

बी) 4.5 एम के विकसित करने से 77 लाख रूपयों का आदेश प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ।

सी) एस बैंड फीड विकास के फलस्वरूप 30 लाख रूपये मूल्य के आदेश को निष्पादित कर सके।

डी) आधारभूत संरचना को सम्मिलित करने से ग्रीन आईटी सहित बेहतर प्रबंधन में मदद की।

ई) ट्रान्सैक्शन उन्मुख अनुप्रयोगों के लिए थिन वैनल्ट्स को तैनात किया गया।

एफ) शून्य ग्राहकों सहित वर्चुअल डेटासेटोप इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण आरएण्डडी लैब में मैनेजमेंट आफ डाटा सेंटर प्राप्त कर सके।

जी) भापअके, मुंबई को पल्स पवर आपूर्ति प्रणालियों की आपूर्ति।

एच) जीएसएस सहित 100 नग एसएसडीवीआरएस व्यापार की संभावना।

आई) वायु सेना से ईथरनेट और ई1 एनजीबीईयू की आपूर्ति स्थापना एवं आरंभ के लिए 20 करोड़ रूपयों का आदेश।

जे) सीडब्ल्यूजी में आईएसएस साफ्टवेयर का सफलता पूर्वक आरंभ।

के) बीएमपी-II एकीकृत मिसाइल सिम्युलेटर विकास करने के कारण भारतीय सेना द्वारा आरएफपी के विरुद्ध एनसीएम सी आधार पर यूसर ट्रायल प्रणाली को मुहैया कराने में ईसीआईएल को मदद।

एल) एसटीएमबीईयू के कारण 7 करोड़ रूपयों का व्यापार।

एम) आकाश और पीजे 10 के लिए वी.35 इनक्रिप्टर्स के कारण 3 करोड़ रूपयों का व्यापार।

एन) गैरो मोटर के लिए विपणन की संभावना।

ओ) सीएमएमआई अप्रैसल के लिए ईसीएससीएडीए आधारित सर्वर विकास परियोजना को माडल के रूप में लिया गया। इन प्रक्रियाओं को भविष्य में परमाणु और अन्य क्षेत्रों के साफ्टवेयर विकास परियोजनाओं का पालन किया जायेगा।

पी) डाटा विश्लेषण के लिए प्रणालियों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और अनुप्रयोग विकास में इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्यू) स्वचालित पॉवर फैक्टर नियंत्रण प्रणालियों से 2 करोड़ रूपये के व्यापार की संभावना है।

3. भविष्य कार्य योजना

ए) फेसड अरे एन्टेना

बी) कार्बन फाइबर प्रौद्योगिकी

सी) आईपीवी-4 से आईपीवी-6 मैगेशन के लिए आईपीवी-6 प्रयोगशाला की स्थापना और पऊवि के यूनितों की सेवा प्रदान करना।

डी) स्टेट-द-वर्चुप्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा सुविधाओं के साथ बादल कंप्यूटिंग के लिए रेफरेन्स लैब की स्थापना

ई) 49 एलिमेंट आधारित मिनि विंड प्रोफाइलर रेफरेन्स प्रणाली की स्थापना

एफ) ईडब्लू अनुप्रयोगों के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ स्वदेशी प्रणालियाँ

जी) मानक एवं गैर मानकों कोड का एक डाटा डिकोडिंग सुविधा की स्थापना।

एच) एफडीएम सिग्नल विश्लेषण और डि मल्टीप्लेक्सिंग

आई) बख्तरबंद वाहनों के लिए गोलन्डाजी सिम्युलेटर

जे) उन्नत स्पेक्ट्रो स्कोपी पोर्टल मानीटर और एचपीजीई डिटेक्टर एवं लि6न्यूट्रान डिटेक्टर

के) संचार प्रोटोकाल बढ़ाकर आर टीयू की तरह भी प्रयोग करके ईसीआईएल पीएलसी की विशेषता को बढ़ाना

एल) ओपीसी के भविष्य एकीकृत स्काडा आवश्यकताओं के लिए एकीकृत आर्किटेक्चर विकास

एम) एएमआर सुविधा सहित स्वचालित पवर फैक्टर नियंत्रण प्रणाली।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

(रूपये करोड़ों में)

विवरण	2010-11	2009-10
पूँजी	5.30	2.32
आवर्ती	37.98	28.77
कुल	43.28	31.09
कुल टर्नओवर में अ. एवं वि. व्यय की प्रतिशतता	3.13%	2.62%

- r) Automatic Power Factor Control System for distribution transformers
- s) Neutron based Calorific Value Meter for the measurement of Coal calorific Value.

2. Benefits Derived as a result of the above R&D

- a) The development of Multi Element Mono-pulse Tracking Feed System for 11M Earth Station Antenna enabled to execute order worth Rs. 292 lakhs
- b) The development of 4.5M Antenna helped in getting order worth about Rs. 77 lakhs
- c) S band Feed Development enabled us to execute order worth about Rs. 30 lakhs
- d) Consolidation of infrastructure servers helped in better management with Green IT
- e) Thin clients were deployed for transaction oriented applications
- f) Virtual Desktop Infrastructure with Zero Clients resulted in Secure management of Data Center in R&D Lab.
- g) Pulse Power Supplies Systems were supplied to BARC, Mumbai
- h) Business expected for 100 nos. of SSDVRS with GSS
- i) Orders worth Rs 20 crores have been booked for Supply, Installation & Commissioning of Ethernet and E1 NGBEUs from Indian Air Force.
- j) ISS Software has been successfully commissioned in the CWG
- k) BMP-II Integrated Missile Simulator development has helped ECIL in fielding a system for user trials on NCNC basis against an RFP by Indian Army.
- l) STM BEUs resulted in business worth Rs 7 Crs
- m) V.35 Encryptors for Akash and PJ10 resulted in business worth Rs 3 Crs
- n) Potential market exists for Gyro motors
- o) Linux Based ECSCADA server development project is taken up as a model for CMMI appraisal. These procedures will be followed for future software development projects of nuclear and other areas.

- p) The Fast Data Acquisition expertise can be used in design, engineering and application development of similar systems used for data analysis.
- q) Rs. 2 Cr business expected from Automatic power factor control systems.

3. Future plan of action

- a) Phased Array Antenna
- b) Carbon Fiber Technology
- c) IPv6 Lab setup for IPv4 to ipv6 migration and providing services to DAE units
- d) Reference Lab setup for Cloud computing with state-of-the-art Virtualization Technologies and Security features.
- e) Establishment of 49 element based Mini Wind Profiler Reference System
- f) Indigenous systems with advanced features for EW applications
- g) Setting up a Data decoding facility of standard and non standards codes
- h) FDM signal analysis and de-multiplexing
- i) Gunnery simulators for armored vehicles
- j) Advanced Spectroscopy Portal Monitors using HPGe detectors and Li6 Neutron Detectors
- k) Enhancing the features of ECIL PLC by adding communication protocols to use it as RTU also.
- l) OPC Unified Architecture development for addressing future integrated SCADA requirements.
- m) Automatic power factor control system with AMR facility

4. Expenditure on R & D

(Rs. in Crores)

Particulars	2010-11	2009-10
Capital	5.30	2.32
Recurring	37.98	28.77
Total	43.28	31.09
Total R & D Expenditure as percentage of Gross Turnover	3.13%	2.62%

बी) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, अंगीकरण एवं नवोन्मेष**1) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, अंगीकरण एवं नवोन्मेष की प्राप्ति के लिए किये गए प्रयास संक्षेप में :**

- ए) क्रिटिकल उप प्रणालियाँ जैसे ट्रैकिंग फीड और लो एर्न आरबिट सेटिलैट एर्न स्टेशन का देशीकरण
- बी) 'व्यापार प्रक्रिया' जैसे पीकेआई प्राद्योगिकियों का उपयोग का बोलियों प्रस्तुत की पद्धति शुरू की गई ।
- सी) नेटवर्क केंद्रित अनुप्रयोग साफ्टवेयर का विकास एकीकृत संचालन में मददगार
- डी) विन्ड प्रोलिफायर ट्रायल के लिए 4 का इस्तेमाल तथा डीएसपी प्रणाली सहित टीआरएमएस का एकीकरण करते हुए नेटवर्क का वितरण ।
- ई) नई वीडियो प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता विकसित, एम्बेडेड प्रणाली पर कंपाक्ट फ्लाश इंटरफेसिंग, एम्बेडेड प्रणाली पर एमआईएल-1553 बीयूएस तथा डीएसपी का कार्यान्वयन ।
- एफ) डैनामिक बैलेन्सिंग मशीन आपरेशन में विशेषज्ञता विकसित
- जी) सीजीआई तकनीक में कौशल विभिन्न संसर्गों को तैनात कर डाटा अक्विजिशन एवं प्रोसेसिंग मेथडालोजी., मैक्रो कंट्रोलर्स एवं मेकानिकल टर्स्ट्स की इंजीनियरिंग ।
- एच) पीएलसी प्रोग्रामिंग को एक्सपोजर, परियोजनाओं में सिस्टम इंजीनियरिंग का निर्माण तथा वांडरवेर एवं विजियो सैटेक्ट पैकेजस ने ईसीआईएल को मदद किया ।
- आई) एमएटीएलबी साफ्टवेयर के लिए एक्सपोजर ने फास्ट डाटा अधिग्रहण प्रणाली के साथ एनआई हार्डवेयर इंटरफेसिंग में

सकता है ।

मदद की ।

जे) अयान मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमीटर आधारित विस्फोटक जांच प्रणाली

के) सीकर के लिए स्थिरीकरण प्रणाली

2) उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप लाभों की प्राप्ति उदाहरणार्थ उत्पाद में सुधार लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापना आदि

- ए) मल्टी मोड का आयात प्रतिस्थापन लागत प्रभावी समाधान के साथ मोनोपल्स ट्रैकिंग फीड प्रणाली ।
- बी) ट्रैकिंग राडार एंटीना फीड प्रणाली का आयात प्रतिस्थापन
- सी) पीकेआई प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करते हुए अगली पीढ़ी के सेक्यूर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (मार्क-II) का डिजाइन
- डी) ईडब्ल्यू अनुप्रयोगों के लिए देशज रूप से विकसित उत्पादों जो वैकल्पिक है ।
- ई) समेकित ईडब्ल्यू संचालन के लिए आंतरिक रूप से विकसित साफ्टवेयर
- एफ) भारतीय वायुसेना के लडाकु जेट्स में एसएसडीवीआरएस आयातित वीडियो रिकार्डर को बदल सकते हैं । परमाणु ऊर्जा विभाग के व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिये यह तकनालोजी अपनाई जा सकती है ।
- जी) टी-90 गैरो रूसी गैरो के लिये प्रतिस्थापना है ।
- एच) फास्ट डाटा अधिग्रहण प्रणाली के साथ प्रौद्योगिकी को अवशोषित कर थर्मल हाइड्रोलिक परीक्षण सुविधाओं को क्रियान्वित करते समय वैल्यू अडिशन को बढ़ाया जा

3. आयात तकनालोजी के मामले में (वित्त वर्ष से आरंभ करते हुए विगत 5 वर्षों के दौरान आयातित)

क्र. सं.	सहयोगी का नाम व पता	किस उत्पाद के लिये	आयात का वर्ष	आयातित तकनालोजी	क्या तकनालोजी को पूरी तरह अवशोषित किया गया	यदि पूरी तरह अवशोषित नहीं, ऐसे क्षेत्र जहाँ नहीं अपनाया गया, कारण क्या हैं
1.	पार्कएयर सिस्टम्स लि. यू.के.	डिजिटल ट्रांससीवर रेडियो	2010-11	एम 7 एक्स ट्रांससीवर	नहीं	एसकेडी/सीकेडी स्तर तकनालोजी अवशोषण कार्य प्रगति पर है ।

B. Technology absorption, adaptation and innovation

1. Efforts in brief made towards technology absorption, adaptation and Innovation

- a) Critical sub-systems like Tracking Feeds and Low Earth Orbit Satellite Earth Station Antenna were indigenized.
- b) 'Business processes' like submission of bids were introduced using PKI technologies.
- c) Development of Network centric applications software helped in 'Integrated operations'
- d) Integration of TRMs and RF/CAN distribution network with DSP systems for wind profiler trials using an array of 49 antenna.
- e) Expertise developed in new video technology, Compact Flash interfacing (CF), implementing MIL-1553 BUS and DSP on embedded system
- f) Expertise developed in operating Dynamic balancing machine
- g) Skill set improved in CGI techniques, data acquisition and processing methodologies by deploying different sensors, micro controllers and engineering of mechanical turrets
- h) Exposure to PLC programming, Wonderware and Vijeo Citect packages helped ECIL in building system engineering of projects

- i) Exposure to MATLAB software helped in interfacing NI hardware with Fast Data Acquisition System
- j) Ion Mobility Spectrometer based Explosive Detection System
- k) Stabilization Systems for Seeker

2. Benefits derived as a result of the above efforts, e.g. product improvement, cost reduction, import substitution etc.

- a) Import substitution of Multi Mode Monopulse Tracking Feed System with a cost effective solution.
- b) Import substitution of tracking radar antenna feed system
- c) Design of Next Gen Secure EVMs (Mark – II) using PKI Technologies
- d) Indigenously developed products for EW applications as alternative sources
- e) In-house developed software for integrated EW operations
- f) SSDVRS can replace the imported video recorders in IAF fighter jets. The Technology cans also be adapted for use in commercial applications of DAE
- g) T-90 GYRO is the replacement for Russian Gyro
- h) With the technology absorbed on Fast Data Acquisition System, value addition can be enhanced while executing thermal hydraulic test facilities.

3. In case of imported Technology (imported during the last 5 years reckoned from the beginning of the financial year)

S. No	Name and Address of the collaborator	For which product	Year of Import	Technology imported	Has Tech. been fully absorbed	If not fully absorbed, areas where this has not taken place, reasons thereof
1.	Park Air Systems Ltd, UK	Digital Transceiver radios (M7)	2010-11	M7X Transceiver	No	SKD / CKD level technology absorption is in progress

4. वर्ष 2010-11 में आरंभ किये गये नए उत्पाद

- ए) आईआरएनएस परियोजना के लिए मल्टी एलमेंट मोनो पल्स ट्रैकिंग फीड प्रणाली
- बी) ट्रैकिंग राडार के लिए एस बैंड फीड प्रणाली
- सी) 206.5 एमएचजेड बैंड अनुप्रयोगों के लिए ट्रान्समिट/रिसीव माडल्स
- डी) आईईडब्ल्यू परिचालन के लिए जेनेटिक कमान्ड और नियंत्रण साफ्टवेयर
- ई) भारतीय रेलवे के लिए डिजिटल नॉच इंडिकेटर डीएनआई 200
- एफ) गामा और न्यूट्रान के लिए वाहन निगरानी प्रणाली
- जी) दरवाजा निगरानी
- एच) न्यूट्रान ड्रम निगरानी

सी) विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय :

- i) वर्ष के दौरान कंपनी ने 139.68 करोड़ रुपये (तीसरी पार्टी निर्यात शामिल है) मूल्य के उत्पादों को निर्यात किया, जिसमें यूएसए को स्पीच सीक्रेसी उपकरण, साउदी अरेबिया को एसओईआर एम एम आई साफ्टवेयर, यूएसए को हाइब्रिड मैक्रो सर्किट्स एवं रूस महासंघ को जीएसएचबी
- ii) कुल विदेशी विनिमय का उपयोग एवं अर्जन

(रुपये करोड़ों में)

	2010-11	2009-10
विदेशी विनिमय का उपयोग	299.78	371.12
विदेशी विनिमय का अर्जन	0.82	0.38

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

वाई. एस. मय्या

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 26.08.2011

4. New Products introduced in 2010-11

- a) Multi element Mono-pulse tracking Feed system for IRNSS Project
- b) S band Feed System for Tracking Radar
- c) Transmit / Receive Modules for 206.5 MHZ band applications
- d) Generic Command and Control Software for IEW operations
- e) Digital Notch Indicator DNI- 200 for Indian Railways
- f) Vehicle Monitoring System for Gamma & Neutron
- g) Doorway Monitor
- h) Neutron Drum Monitor

C Foreign exchange earnings and outgo:

- i) During the year, the Company exported (including third party exports) 139.68 crores worth of its products, which include Speech Secrecy equipment to U.S.A., SOER MMI Software to Saudi Arabia, Hybrid Micro Circuits to U.S.A. and GSHB Systems to Russian Federation

- ii) Total foreign exchange used and earned

(Rs. in Crores)

	2010-11	2009-10
Foreign Exchange used	299.78	371.12
Foreign Exchange earned	0.82	0.38

For and on behalf of the Board of Directors

Y S Mayya

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: Hyderabad**Date:** 26.08.2011

शेयरधारियों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध - II

निगमिय अभिशासन

कंपनी ने अपने सभी परिचालनों में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत ई सी आई एल एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की पूरी प्रदत्त पूंजी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है जिसमें उनके नामिनीज द्वारा रखे गये 3 शेयर शामिल हैं।

निदेशक मंडल में इस समय 31-03-2011 को कुल 10 निदेशकगण हैं: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 पूर्ण कालिक निदेशक और 6 गैर - कार्यपालक निदेशकगण। मंडल की नियमित बैठकें होती हैं और कंपनी की सही दिशा एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की 8 बैठकें हुईं जो दिनांक 24-05-2010, 29-06-2010, 13-08-2010, 27-09-2010, 8-11-2010, 28-01-2011, 1-3-2011 एवं 14-03-2011 को संपन्न हुईं। निदेशकगणों का गठन, वित्तीय वर्ष के दौरान संपन्न मंडल बैठकें तथा अंतिम वार्षिक सामान्य बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार हैं :

नाम व स्थिति	मंडल की बैठकें		13.08.2010 को सम्पन्न गत वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशकताओं की संख्या
	कार्यकाल के दौरान संपन्न	उपस्थिति		
पूर्णकालिक निदेशकगण				
श्री वाई. एस. मर्या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	8	7	हाँ	1
श्री यू. विष्णुमूर्ति निदेशक (वित्त) (30.06.2010 तक)	2	2	-	-
मेजर जनरल संजीव लूम्बा, से.मे. (सेवानिवृत्त) निदेशक (कार्मिक)	8	6	हाँ	शून्य
श्री एन. एस. एस. प्रसाद राव निदेशक (तकनीकी)	7	7	हाँ	शून्य
श्री शिवकुमार नोरी निदेशक (वित्त)	6	6	हाँ	1
गैर-कार्यपालक निदेशकगण				
श्री वी आर सदाशिवम	8	5	हाँ	4
श्री उमेश चन्द्र	8	8	-	शून्य
डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमणा	6	5	हाँ	2
ले. ज. पी. मोहापात्रा	8	3	-	2
प्रो. एम. चंद्रशेखर	4	2	-	2
श्री वी. वी. आर. शास्त्री	1	1	-	4

पूर्णकालिक निदेशकगणों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। श्री वीवीआर शास्त्री एवं प्रो. एम चन्द्रशेखर जो एक स्वतन्त्र निदेशक हैं, उन्हें प्रत्येक बैठक की उपस्थिति के लिये 3,000

रुपये भुगतान किये जाते हैं। सभी अंशकालिक निदेशकगण सरकारी अधिकारी हैं या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हैं और इसीलिए वे बैठकों में उपस्थित होने पर पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं।

ANNEXURE – II TO DIRECTORS' REPORT TO SHAREHOLDERS

Corporate Governance

The Company continued to take several measures to enhance the openness and transparency of all its operations.

Board of Directors

In terms of Sec 617 of the Companies Act, 1956, ECIL is a Government Company. The entire paid up capital of the Company is held by the President of India, including 3 shares held by his nominees.

The Board, as at 31.03.2011 comprised of 10 (TEN) Directors, Chairman & Managing Director,

3 (Three) whole-time Directors and 6 (Six) Non-Executive Directors. The Board meets at regular intervals and is responsible for the proper direction and management of the Company.

During the financial year, 8 (eight) Board Meetings were held on 24th May, 2010, 29th June, 2010, 13th August, 2010, 27th September, 2010, 8th November, 2010, 28th January, 2011, 1st March, 2011 and 14th March, 2011. The composition of Directors, their attendance at the Board Meetings during the financial year and at the last Annual General Meeting is as follows:

Name & Position	Board Meetings		Attendance at last AGM held on 13.08.2010	No. of other Directorships
	Held during the tenure	Attended		
Whole Time Directors				
Shri. Y S Mayya Chairman & Managing Director	8	7	Yes	1
Shri U. Vishnumurthy Director (Finance) (up to 30.06.2010)	2	2	-	-
Maj. General (Redt) SM Sanjeev Loomba Director (Personnel)	8	6	Yes	Nil
Shri N S S Prasad Rao Director (Technical)	7	7	Yes	Nil
Shri Shiv Kumar Nori Director (Finance)	6	6	Yes	1
Non – Executive Directors				
Shri. V R Sadasivam	8	5	Yes	4
Shri Umesh Chandra	8	8	-	Nil
Dr C B S Venkataramana	6	5	Yes	2
Lt Gen P Mohapatra	8	3	-	2
Prof M Chandrasekhar	4	2	-	2
Shri V V R Sastry	1	1	-	4

The remuneration of whole-time Directors is fixed by the Government of India. Shri V V R Sastry and Prof. M. Chandrasekhar are an Independent Directors and they are paid Rs. 3000/- (Rs. Three

thousand) only as sitting fee per meeting. All other Part-time Directors on Board are officials from Government / other PSUs and therefore, are not paid any sitting fees for attending the meetings.

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में प्रो. एम. चंद्रशेखर, श्री उमेश चंद्र एवं श्री वीआर सदाशिवम हैं। श्री उमेशचन्द्र 1 नवंबर, 2010 तक समिति के अध्यक्ष रहे और 8 नवंबर, 2010 से प्रो. एम. चंद्रशेखर इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री जे.के. घाई, निदेशक (वित्त), एनपीसीआईएल को सभी बैठकों में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। श्री एन एस एस प्रसाद राव, निदेशक (तकनीकी) 8-11-2010 तक लेखा परीक्षा समिति के सदस्य रहे तथा 8-11-2010 से लेखापरीक्षा समिति के विशेष आमंत्रित हैं। वर्ष के दौरान 4 (चार) बैठकें हुईं दि.29-6-2010, 13-8-2010, 8-11-2010 एवं 28-1-2011 को लेखा परीक्षा समिति की 28 जनवरी, 2011 को आयोजित की जानेवाली बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई और स्थगित लेखा परीक्षा समिति की बैठक 15 अप्रैल, 2011 को आयोजित की गयी थी। समिति ने लेखा मानकों एवं लेखा परीक्षा कार्यक्रमों तथा आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की। वार्षिक वित्तीय विवरण का समिति ने अवलोकन किया और वित्तीय रिकार्ड और साथ ही साथ लागत लेखा रिकार्ड नियम के अंतर्गत आनेवाले डाटा के अनुरक्षण में प्रणाली की वृद्धि करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों से परामर्श किया।

निगमीय प्रबंधन समिति

निगमीय स्तर पर निगमीय प्रबंधन समिति एक महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करनेवाली समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यात्मक निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महा प्रबन्धक

एवं प्रभागों के प्रमुख इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की नियमित रूप से बैठकें होती हैं और यह समिति कंपनी से संबंधित मुख्य नीतियों पर विचार विमर्श करती है जिसमें कंपनी का कार्यानिष्पादन भी शामिल है। इसी स्टाफ एण्ड वर्कर्स संघ के अध्यक्ष व महा सचिव एवं अधिकारी संघ के अध्यक्ष व सचिव को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है।

साधारण सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली 3 वार्षिक साधारण बैठकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2007-08	29.09.2008	12.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय:
2008-09	18.09.2009	14.00 बजे	ईसीआईएल डाक घर,
2009-10	13.08.2010	14.00 बजे	हैदराबाद - 500 062

कंपनी ने मेसर्स के.के. राव एण्ड असोसियेट्स कंपनी सचिवगण से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

वाई.एस. मर्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26.08.2011

Audit Committee

The Audit Committee comprises of Prof. M Chandrasekhar, Shri Umesh Chandra and Shri V R Sadasivam. Shri. Umesh Chandra was the Chairman of the committee upto 1st November, 2010 and from 8th November, 2010 Prof. M Chandrasekhar is the Chairman of the Audit Committee. Shri J K Ghai, Director (Finance) NPCIL is special invitee for all the meetings, Shri N S S Prasada Rao, Director Technical was a member of the Audit Committee till 08.11.2010 and is a special invitee to Audit Committee since 08.11.2010. During the year 4 (four) meetings were held on 29th June, 2010, 13th August, 2010, 08th November, 2010 and 28th January, 2011. Audit Committee Meeting to be held on 28th January, 2011 has been adjourned for the lack of quorum and the adjourned Audit Committee meeting was held on 15th April, 2011. The Audit Committee reviewed the implementation of Accounting Standards and Audit Programmes and Internal Audit Reports. The Committee perused the Annual Financial Statements and interacted with the Statutory Auditors for improvement in the systems for maintaining financial records as well as the data under Cost Accounting Record Rules.

Corporate Management Committee

The Corporate Management Committee is a high level policy making body at the Corporate level which is headed by the Chairman & Managing Director. The Committee consists of all Functional

Directors, Executive Directors, General Managers and Heads of Divisions. The Committee meets regularly and deliberates upon the major policy issues including performance of the Company. The President and General Secretary of ECS&WU and President and Secretary of ECOA are the special invitees.

General Body Meetings

The details of the last three Annual General Meetings of the Company are given below:

Year	Date	Time	Venue
2007-08	29.09.2008	12.00 hrs	Registered office, ECIL Post Office, Hyderabad - 500062
2008-09	18.09.2009	14.00 hrs	
2009-10	13.08.2010	14.00 hrs	

The Company has obtained a Compliance Certificate from M/s K K Rao & Associates Company Secretaries.

For and on behalf of the Board of Directors

Y S Mayya
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: Hyderabad

Date: 26.08.2011

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

लेखा का आधार :

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों (आई जी ए ए पी) के अनुसार ऐतिहासिक लागत कनवेन्शन के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किये गए और प्रस्तुत किये गए।

अनुमान का उपयोग:

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में अनुमान एवं धारण (संशोधन सहित, यदि कोई हो) बनाया जाना पड़ता है जो वित्तीय विवरण एवं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की राशि एवं रिपोर्टेड परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियों की राशि को प्रभावित करती है। जिस अवधि में परिणाम को जाना जाता है उस अवधि के दौरान वास्तविक परिणाम/अनुमान के बीच के अंतर को मान्यता दी जाती है।

ए. राजस्व की मान्यता:

- i) निम्नलिखित मामलों में (कर एवं शुल्क को मिलाकर) बिक्री स्थापित की गई है और अक्रूअल के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है :
 - ए) एफओआर डेस्टिनेशन के मामले में, लेखे की अवधि में ही माल यदि अपने गंतव्य स्थान को उचित समय में पहुँचने की संभावना हो।
 - बी) सभी मामलों में जब मालों को खरीददार को पहुँचाने के लिए वाहक के सुपुर्द किया गया हो यद्यपि कंपनी द्वारा ही परिवहन और बीमा कार्य किये गए हो।
 - सी) समग्र ठेकों के संबंध में जहाँ आपूर्ति एवं सेवाएँ समाहित हैं वहाँ कीमत ब्रेकअप उपलब्ध है, आपूर्ति के राजस्व के संबंध में जहाँ माल बिना शर्त ग्राहकों को वितरित किये गये और सेवाओं के पूरा होने के आधार पर आय को मान्यता दी जाती है। जहाँ मूल्य ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है, संविदा मूल्य के अनुसार बिना शर्त प्रदान किये गये सेवाओं एवं आपूर्ति के लिये अनुमानित के आधार पर राजस्व को मान्यता प्राप्त है।
 - डी) साफ्टवेयर के लिए/पावतियों के पूरे होने पर/स्वीकार्यत/पावती जहाँ पर ठेके में उपलब्ध प्रत्येक प्रणाली/पैकेज के लिए अलग-अलग मूल्य प्रदान कराना है जो तकनीकी अनुमान पर आधारित है और जहाँ पर ऐसे अलग अलग मूल्य उपलब्ध नहीं हैं और राजस्व की मान्यता दी गई।

ई) यदि बिक्री मूल्य पर अंतिम निर्णय लंबित हो तो, संभावित मूल्य के आधार पर राजस्व की मान्यता दी जाती है। जहाँ पर सब यूनिटों के बेचे गए ब्रेकअप मूल्य का प्रावधान नहीं किया गया, इसका एस्टिमेंट किया गया।

- ii) बोनडेड स्टोर्स को स्थानांतर किये गए माल (रक्षा के लिए) का फील्ड टेस्टिंग किया जाना है।
 - iii) यदि ठेका दिया गया हो तो ग्राहक द्वारा पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति होने पर भी ग्राहक के अनुरोध पर कंपनी के संरक्षण में माल रख लिया जाता है।
 - iv) पेचीदा उपस्कर/प्रणालियों के टर्नकी/काम्पोजिट ठेके के मामले में, जहाँ पर पूरा करने के लिए समय चक्र 12 महीनों से ज्यादा है, इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित तकनीकी समिति द्वारा यथा अनुमोदित काम पूरा होने की प्रतिशतता के आधार पर प्रत्याशित घाटे के लिए प्रावधान रखते हुए राजस्व मान्य किया जाता है।
- ए) विशेष रूप से सामग्री बनाई गई/ प्राप्त की गई तथा
- बी) दी गई सेवाएँ सीधे तौर से परिसंपत्ति के निर्माण के संबंध में हैं।

बी. आंतरिक पूंजीकरण और अंतर-वर्ग अंतरण :

- i) आंतरिक पूंजीकरण : आंतरिक उपभोग के लिये विनिर्मित उपस्करों का लागत पर पूंजीकृत किया गया है।
- ii) अंतर-वर्ग अंतरण : सहमत अंतरण मूल्य के आधार पर अंतर वर्ग या अंतरावर्ग अंतरण किया जाता है। यद्यपि, वर्ष के अंत में उपयोग में लाये बिना बचे हुए मालसूचियों में पड़े हुए ऐसे मदों का लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

सी. मालसूची :

- i) कच्ची सामग्रियाँ, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक भार औसतन लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं या निवल वसूली योग्य जो भी कम हो। लागत को भारित औसत सूत्र का उपयोग करके सौंपा है। उपरोक्त सामग्री के लिये प्रावधान किया गया जो तीन वर्षों से ज्यादा उपयोग नहीं किये गये। अन्य के संबंध में 3 वर्षों से कम अप्रचलन के कारण भविष्य में इस्तेमाल के लिये विचार नहीं किये जानेवाले उन मदों के आधार पर प्रावधान किया गया।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

BASIS OF ACCOUNTING:

The financial statements are prepared and presented under the historical cost convention, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India (IGAAP) and the provisions of the Companies Act, 1956.

Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions (including revisions, if any) to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.

A. RECOGNITION OF REVENUE:

- i) Sales (including Taxes and Duties) are set up and revenue is recognized on accrual basis inter-alia in any of the following cases:
 - a) In case of FOR destination cases, Revenue is recognized on dispatch if there is reasonable expectation of the goods reaching the destination within the accounting period.
 - b) In other cases, revenue is recognized when the goods are handed over to the carrier for transmission to buyer, even if the transport and insurance are undertaken by the Company.
 - c) In respect of composite contracts involving supply and services where price breakup is available, revenue in respect of supplies are recognized when goods are delivered to customers unconditionally and service income is recognized based on completion of services. And where price breakup is not available, revenue is recognized as per contract value duly providing for services on estimated basis for the supplies made unconditionally.
 - d) Revenue is recognized in respect of services/software against completion of milestones/ acceptance / acknowledgement, where breakup

values for each system/package are available in contract or based on technical estimates where such break up values are not available.

- e) If the sale price is pending finalization, revenue is recognized on the basis of price expected to be realized.
- ii) On transfer of items (for Defence) to the bonded stores awaiting field-testings.
- iii) On completion of customer's prior inspection and acceptance in case the contract so provides, even if the goods are retained in the custody of the Company at the request of the customer.
- iv) In case of turnkey/composite contracts of complex equipment/systems, where the normal cycle time for completion is more than 12 months, subject to provision of anticipated losses, revenue is recognized (excluding taxes and duties) based on percentage completion, as certified by a Technical Committee, including
 - a) Materials specially made/procured; and
 - b) Services rendered as are directly related to the construction of an asset.

B. INTERNAL CAPITALISATION AND INTER-GROUP TRANSFERS:

- i) **INTERNAL CAPITALISATION:**
Equipment manufactured for internal use is capitalized at cost.
- ii) **INTER-GROUP TRANSFERS:**
Inter and Intra group transfers are made at agreed transfer price. However, unutilized stock of such items at the year end lying as inventory is valued at cost.

C. INVENTORY:

- i) Raw materials, stores and spares and components are valued at cost (net of CENVAT/VAT) by using weighted average cost formula or NRV whichever is lower. Inventories which are non-moving for more than 3 years and which may not be required for further use are suitably provided and in the case of inventories which are less than 3 years old, provision is made as assessed technically.

- ii) विभिन्न वर्गों में चालू कार्य में उत्पादों को "फैक्टरी लागत" या "उगाही योग्य निवल मूल्य" दोनों में से जो भी कम हो, उसके अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। तकनीकी अनुमान के आधार पर मूल्यांकन काम जारी है।
- iii) तैयार मालों को "फैक्टरी लागत" या "उगाही योग्य निवल मूल्य" दोनों में से जो भी कम हो, उसके अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

डी. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं आस्तियों का अवमूल्यन :

- i) ए) ऐतिहासिक लागत पर स्थाई परिसंपत्तियाँ, निवल सेनवेट/ वेट यदि कोई हो तो
- बी) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान की गयी वृद्धियों/ विलोपनों के लिये मासिक यथानुपात आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है। कंपनी द्वारा अपनायी गई मूल्यहास दर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के अनुसार है, सिर्फ निम्नलिखित मामलों को छोड़कर :
 - i) (यदि 01.04.2003 के बाद अधिप्राप्त आस्तियों के लिए) मद की लागत 10,000 रुपये के समान या उस से कम हो तो, अधिग्रहण/उपयोग के संपूर्ण वर्ष में आस्तियों की लागत को 100% मूल्यहास किया जाता है तथा उस मद के लिये निवल ब्लाक में एक रुपया प्रतिधारित किया जाता है।
 - ii) कंप्यूटर शिक्षा प्रभाग द्वारा प्राप्त कंप्यूटर प्रणालियों का अधिग्रहण किया गया है जो 1.4.2001 से 50% की दर से मूल्यहास किये जाते हैं।
 - iii) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा प्रभाग द्वारा (i) संयंत्र एवं मशीनरी एवं (ii) इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण एवं मापन उपस्कर के अंतर्गत अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ जो 01.04.2003 से 50% की दर से मूल्यहास किये जाते हैं तथा
 - iv) परियोजनाएँ / साइट पर निर्माण, भंडार, इलेक्ट्रिकल स्थापनाएँ तथा अन्य कार्य 01.04.2003 से ठेके की अवधि के अनुरूप मूल्यहास किये जाते हैं।

- ii) परिसंपत्तियों का इम्पैरमेंट : प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक के अंत में कैरीइंग परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है कि क्या इम्पैरमेंट का संकेत है या नहीं। यदि कैरीइंग राशि से प्राक्कलन रिकवरेबल राशि कम हो तो इम्पैरमेंट हानि को मान्यता दी जाती है।

ई. पूर्वावधि समायोजन:

गत वर्षों के भूल एवं चूक से संबंधित 1,00,000/- रुपये या अधिक की राशि की मदों को पूर्वावधि समायोजनों की तरह माना जाता है।

एफ. पूर्वदत्त और बकाया पड़े आय/व्यय :

आय / व्ययों से संबंधित 1,00,000/- रुपयों या उससे अधिक की राशि की मदों को, मामले के अनुसार पूर्वदत्त/बकाया पड़ी देयता की तरह माना जाता है।

जी. तकनीकी जानकारी:

तकनीकी शुल्क, सॉफ्टवेयर कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि पर किया गया व्यय राजस्व पर चार्जड आफ किया गया।

एच. विलंब शुल्क और घाट शुल्क:

सभी आयातों पर चाहे वे पूंजीगत हो या अन्यथा उन पर हुए विलंब शुल्क और/या घाट शुल्कों को राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

आई. विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं विनिमय भिन्नता:

विदेशी मुद्राओं में लेन देन, लेनदेन की तारीख के दिन प्रचलित दर को हिसाब में लेकर किया जाता है। विनिमय दर में होनेवाले उतार चढ़ाव से उत्पन्न लाभ/हानि को उस अवधि के लाभ एवं हानि में मान्यता दी गई।

मौद्रिक वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव को लाभ-हानि के खाते में लाभ और हानि के रूप में लेखे में लिया गया।

जे. सरकारी अनुदान:

विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान संबंधित आस्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में बताये जाते हैं और राजस्व संबद्ध अनुदानों को जिसमें राशियाँ खर्च की गयीं, उनके संबंधित व्यय खातों से कटौती की जाती हैं।

के. अनुसंधान एवं विकास व्यय:

जब अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किया गया तब इस व्यय को प्रभारित किया गया। यद्यपि स्थायी परिसंपत्तियों पर किये गये व्यय को पूंजीकृत किया गया।

- ii) Work in Progress of products / projects is valued at Factory Cost or NRV whichever is lower and such valuation is based on technical estimate as to the stage of progress.
- iii) Finished goods are valued at "factory cost" or "net realizable value" whichever is lower.

D. FIXED ASSETS & DEPRECIATION OF ASSETS:

- i) a) Fixed Assets are stated at historical cost net of CENVAT/VAT, if any.
- b) Assets are depreciated on straight line method and depreciation is charged on monthly prorata basis for the additions / deletions during the year. The rates of depreciation adopted by the Company are as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956, except in the following cases:
 - (i) Where the cost of the asset is Rs.10,000/- or below (for assets acquired after 01.04.2003) depreciation is at 100% of the cost retaining Re.1/- in the net block.
 - (ii) Computer Systems acquired by CED and systems sent on hire or for demonstration or for use outside factory is depreciated @50% w.e.f. 01.04.2001.
 - (iii) Assets acquired by Electronic Manufacturing Services Division under the heads of (i) Plant and Machinery and (ii) Electronic Testing and Measuring Equipment which are depreciated at a rate of 50% with effect from 01.04.2003 and
 - (iv) Structures, erections, Warehouses, Electrical Installations and other similar enabling works at projects / sites are depreciated considering the tenure of the contracts w.e.f. 01.04.2003.
- ii) Impairment of Assets: As at the end of each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is assessed as to whether there is any indication of impairment. If the estimated recoverable amount is found less than its carrying amount, the impairment loss is recognized and assets are written down to their recoverable amount.

E. PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior period adjustments are those adjustments, which are Rs.1,00,000/- and above in each case, arising out of errors and omissions made in the earlier years.

F. PREPAID AND OUTSTANDING INCOME/EXPENSES:

Items of income/expenses amounting to Rs.1,00,000/- and above in each case are accounted as Prepaid/Outstanding liability as the case may be.

G. TECHNICAL KNOW HOW:

Expenditure on Technical Know how fees, Software, Training of Personnel etc., are charged off to revenue on incurrence.

H. DEMURRAGES AND WHARFAGES:

Expenditure on demurrages and/or wharfages on all imports, whether capital or otherwise, is charged to revenue.

I. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS AND EXCHANGE VARIATION

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rate prevailing on the date of transactions. Gains / losses arising out of the fluctuations in the exchange rate are recognized in the profit & loss account in the period in which they arise.

The foreign currency fluctuations relating to monetary items at the year ending are accounted as gains / losses in the profit & loss account.

J. GOVERNMENT GRANTS:

Govt. Grants related to specific fixed assets are shown as a deduction from the gross value of the assets concerned and those related to Revenue are deducted from the relevant expense accounts in the year in which the expenditure is incurred.

K. RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENDITURE:

Research and development expenditure is charged to revenue when incurred. Expenditure incurred on fixed assets is however capitalised.

एल. अशोद्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान:

केवल ऐसे ऋणों, जो ठेके के शर्तों के अनुसार वसूली के लिये देय नहीं हैं या प्रबंधन द्वारा मामलावार समीक्षा की जाने पर यह माना है कि वे ऋण वसूली योग्य हैं, को छोड़कर एक साल से अधिक अवधि के लिये बचे हुए ऋणों के लिये अशोद्य तथा संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया जायेगा।

एम. कर्मचारियों का लाभ:

- i) वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण की देयताओं के लिये प्रावधान किया गया। लाभ और हानि के विवरण में बीमांकित लाभ और हानि को आय या व्यय के रूप में मान्यता दी गई।
- ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति को राजस्व पर चार्जड आफ किया गया।

एन. उधार लागत:

योग्यता प्राप्त परिसंपत्तियाँ, जो उपभोग करने के लिये जिस महीने में तैयार हैं, तब तक पूँजीगत किये जाते हैं, के अधिग्रहण, निर्माण एवं उत्पादन से उधार लागत सीधे संबंध लगाते हैं। अन्य उधार लागत जिस अवधि में व्यय किये गये हैं उस अवधि में व्यय के रूप में मान्य हैं।

ओ. आस्थगित कर:

परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधार के बीच वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनार्थ रखाव राशि तुलन पत्र तारीख को सभी अस्थायी समय परिवर्तनों पर देयता पद्धति अपनाते हुए आस्थगित आयकर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का मापन, उन कर दरों के अनुसार जिस अवधि में परिसम्पत्तियों की उगाही होती है या देयता निश्चित होती है, वित्तीय विवरण के अनुमोदन की तारीख तक अपनाये हुए कर दरों के आधार पर, (एवं कर नियमों) किया जाता है।

पी. निवेश:

अस्थायी के अलावा मूल्य में लागत रहित कोई भी हास पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

क्यू. पट्टे:

- ए) आपरेटिंग पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का पूँजीकृत करना। इस तरह से पट्टे की वजह से उत्पन्न हुई राशि को आय के रूप में मान्यता देय। पट्टे एवं उप पट्टों के संबंध में पट्टा किराया प्राप्ति एवं देय को लाभ और हानि खाते में उपचन आधार पर आय और व्यय के रूप में मान्यता दी गई।
- बी) फैनान्स पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ सामान्य बिक्री मूल्य/फेयर मूल्य/निवल वर्तमान मूल्य पर बिक्री के रूप में मान्यता दी गई। पट्टे अवधि पर फैनान्स आय को मान्यता दी गई। व्यय किये गये वर्ष में इनिशियल डायरेक्ट कास्ट को व्यय किया गया। वित्तीय पट्टे तथा बाद में उप पट्टे पर दिये गए परिसंपत्तियों के संबंध में, वित्तीय पट्टे के लिए लेखनीति लागू है।

आर. निवारण हर्जाना:

कंपनी के विरुद्ध निवारण हर्जाना के लिए प्रोद्घदन पर मान्यता प्राप्त है। जहाँ तक राजस्व को मान्यता प्राप्त नहीं है उसे आकस्मिक देयता के रूप में माना गया।

एस. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ:

पर्याप्त प्रावधानों के आंकलन के लिये अतीत की घटनाओं के परिणामस्वरूप जहाँ वर्तमान दायित्व है और संभव है कि संसाधनों का एक बहिर्वाह है। आकस्मिक देयताओं को मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु टिप्पणियों में खुलासा किया जा रहा है। वित्तीय विवरणों में, आकस्मिक आस्तियों को न मान्यता प्राप्त है न दर्शाया गया है।

L. PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS:

Provision for bad and doubtful debts is made for the debts outstanding for more than one year, excepting those which are contractually not due as per the terms of the contract or those which are considered realisable based on a case to case review by the management.

M. EMPLOYEE BENEFITS:

- i) Provisions for gratuity and leave encashment liability to employees are made on the basis of actuarial valuation as at the year end. Actuarial gains and losses are recognized in the statement of profit and loss as income or expense.
- ii) Compensation under VRS is charged off to revenue in the year of incurrence

N. BORROWING COSTS:

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised till the month in which the asset is ready to use as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which these are incurred.

O. DEFERRED TAXES:

Deferred Income Tax is provided using the liability method on all temporary timing differences at the Balance Sheet date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that expected to apply to the period when the asset is realised or the liability settled, based on tax rates (and the tax laws) that have been enacted upto the date of approval of the financial statements.

P. INVESTMENTS:

Long term investments are valued at cost less any diminution in value that is other than temporary.

Q. LEASES:

- a) Assets given on operating lease are capitalized. The related lease income is recognized as income, over the lease period, on accrual basis. In respect of lease and sub-lease arrangement, the lease rental received and payable are recognized as income and expenditure respectively in the Profit & Loss Account on accrual basis.
- b) Assets given on finance lease are recognized as sale at normal sale price/fair value/Net Present Value. Finance income is recognized over the lease period. Initial direct costs are expensed in the year of incurrence. In respect of assets taken on finance lease and subsequently sub-leased, the Accounting Policy for finance lease, as stated is applicable.

R. LIQUIDATED DAMAGES:

Claims for liquidated damages against the Company are considered, to the extent revenue recognized except those which are considered by Management as negotiable and not payable. However, the same are treated as Contingent Liability.

S. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will an outflow of resources. Contingent Liabilities are not recognized but are disclosed in the notes. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2011 को स्थित तुलन-पत्र

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची	31.03.2011 तक	31.03.2010 तक
I. नियोजित निधियाँ			
1. शेयरधारियों की निधियाँ			
ए) शेयर पूँजी	ए	16337.12	16337.12
बी) आरक्षित और अधिशेष	बी	44298.77	60635.89
2. ऋण निधियाँ			
ए) रक्षित ऋण	सी	13943.85	10018.50
बी) अनारक्षित ऋण	डी	20071.76	15028.77
	कुल (I)	94651.50	84329.60
II. निधियों का उपयोग			
1. नियत आस्तियाँ	ई		
ए) सकल अवरुद्ध		24153.55	23676.88
बी) घटाएँ : मूल्यहास		14294.62	14224.27
सी) निवल अवरुद्ध		9858.93	9452.61
डी) चालू कार्य पूँजी	एफ	3146.54	13005.47
2. निवेश	जी	164.64	164.64
3. आस्थगित कर (निवल आस्ति)		4103.24	4021.55
4. ऋणों, अग्रिमों एवं चालू आस्तियाँ			
ए) माल सूचियाँ	एच	15660.79	19467.87
बी) फुटकर देनदार	आई	143887.28	141744.87
सी) नकदी व बैंक में शेष राशियाँ	जे	27799.68	31147.46
डी) अन्य चालू आस्तियाँ		914.71	604.74
ई) ऋण व अग्रिम राशियाँ	के	16136.54	13975.48
		204399.00	206940.42
5. घटायें : चालू देयताएँ व प्रावधान	एल		
ए) चालू देयताएँ		116322.59	129885.57
बी) प्रावधान		10698.26	11014.20
6. निवल चालू आस्तियाँ (4) - (5)		77378.15	66040.65
	कुल (II)	94651.50	84329.60
III. लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ			
	क्यू		

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियाँ 'ए' से 'क्यू' तक लेखों का अंग बनती हैं।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आंजनेयुलु एण्ड कंपनी

कृते एवं बोर्ड की ओर से

सनदी लेखापाल

शिवकुमार नोरि
निदेशक (वित्त)वाई एस मर्या
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकवी.एस. वेंकटेश्वर्
भागीदार
एम. नं.025805

स्थान : तिरुपति

दिनांक : 29.06.2011

ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LIMITED

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011


(Rupees in Lakhs)

	Schedule	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010
I. SOURCES OF FUNDS			
1. Shareholders' Funds			
a) Capital	A	16337.12	16337.12
b) Reserves and Surplus	B	44298.77	42945.21
		60635.89	59282.33
2. Loan Funds			
a) Secured Loans	C	13943.85	10018.50
b) Unsecured Loans	D	20071.76	15028.77
		20071.76	15028.77
Total (I)		94651.50	84329.60
II. APPLICATION OF FUNDS			
1. Fixed Assets	E		
a) Gross Block		24153.55	23676.88
b) Less: Depreciation		14294.62	14224.27
c) Net Block		9858.93	9452.61
d) Capital Work-in-Progress	F	3146.54	4650.15
		13005.47	14102.76
2. Investments	G	164.64	164.64
3. Deferred Tax (Net Asset)		4103.24	4021.55
4. Current Assets, Loans and Advances			
a) Inventories	H	15660.79	19467.87
b) Sundry Debtors	I	143887.28	141744.87
c) Cash and Bank balances	J	27799.68	31147.46
d) Other Current Assets		914.71	604.74
e) Loans and Advances	K	16136.54	13975.48
		204399.00	206940.42
5. Less: Current Liabilities and Provisions	L		
a) Current Liabilities		116322.59	129885.57
b) Provisions		10698.26	11014.20
		127020.85	140899.77
6. Net Current Assets (4) - (5)		77378.15	66040.65
Total (II)		94651.50	84329.60
III. NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS			
	Q		

Accounting Policies, Schedules A to Q form part of the Accounts

for and on behalf of the Board


SHIV KUMAR NORI
Director (Finance)

Y S MAYYA
Chairman & Managing DirectorAs per our report of even date attached
for ANJANEYULU & Co
Chartered Accountants

V.S. VENKATESWARLU
Partner
M No. 025805Place: Tirupati
Date : 29-06-2011

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2011 तक का लाभ तथा हानि लेखा

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची	2010-11	2009-10
I. आय			
विक्रय		110858.49	94305.25
सेवाएँ		27079.51	24223.44
पट्टा किराया		232.25	211.55
टर्न ओवर (सकल)		138170.25	118740.24
घटायें : उत्पाद शुल्क		3171.32	4630.04
सेवा कर		2549.25	2267.64
बिक्री कर		5843.65	6039.38
टर्नओवर (निवल)		126606.03	105803.18
अन्य आय	एम	5450.21	5799.98
		132056.24	111603.16
डब्ल्यू आई पी एवं एफ जी के स्टॉक में उपचय(+)/डिक्रीशन(-)	एन-1	-3961.00	5607.75
मूल्य परिवर्तन समायोजन (निवल)		1.95	-118.65
	कुल I	128097.19	117092.26
II. व्यय			
उपभुक्त सामग्री	एन-2	72828.14	71274.90
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं परिलब्धियाँ	एन-3	38176.28	29582.57
विनिर्माण, प्रशासन विक्रय एवं वितरण के अन्य व्यय	एन-4	12059.90	9230.03
अनुसंधान एवं विकास		2696.85	2091.66
	कुल II	125761.17	112179.16
घटायें: परियोजनाओं एवं अन्य लेखों को अंतरण	ओ	3683.63	3457.62
III. निवल व्यय	कुल III	122077.54	108721.54
IV. ब्याज एवं मूल्य हास के पहले लाभ	(I-III)	6019.65	8370.72
ब्याज	एन-5	2848.57	2029.78
मूल्य हास		881.84	839.91
V. वर्ष के लिए लाभ		2289.24	5501.03
(पूर्वावधि/ असाधारण समायोजन के पहले)			
जोड़ें / (घटायें) पूर्व अवधि मर्दे (शुद्ध)	पी	-52.56	-59.23
VI. कर के पहले लाभ		2236.68	5441.80
घटायें : कराधान के लिये प्रावधान - वर्ष के लिये		446.00	1555.00
- पिछले वर्षों के लिये		-413.62	-231.07
आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)/आस्थगित कर देयता (-)		81.69	83.11
घटायें : अनुषंगी लाभ कर के लिये प्रावधान		-0.44	0.00
VII. कर के बाद लाभ		2286.43	4200.98
जोड़ें : गत वर्ष से आगे ले आया गया शेष		40295.21	37808.78
VIII. अप्रोप्रियेशन्स के लिये लाभ		42581.64	42009.76
घटायें : प्रस्तावित लाभांश	800.00		1470.34
घटायें : प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर	132.87	932.87	244.21
IX. तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		41648.77	40295.21
प्रति शेयर पर अर्जन(रुपये) - मूल		139.95	257.14
- पतला		139.95	257.14

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियाँ 'ए' से 'क्यू' तक लेखों का अंग बनती हैं।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आजनेयुल एण्ड कंपनी
सनदी लेखापालशिवकुमार नोरि
निदेशक (वित्त)वाई एस मर्या
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकवी.एस. वेंकटेश्वर्लू
भागीदार
एम. नं.025805स्थान : तिरुपति
दिनांक : 29.06.2011

ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LIMITED
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED MARCH, 2011

(Rupees in Lakhs)

	Schedule	2010-11	2009-10
I. INCOME			
Sales		110858.49	94305.25
Services		27079.51	24223.44
Lease Rentals		232.25	211.55
Turnover (Gross)		138170.25	118740.24
Less: Excise Duty		3171.32	4630.04
Service Tax		2549.25	2267.64
Sales Tax		5843.65	6039.38
Turnover (Net)		126606.03	105803.18
Other Income	M	5450.21	5799.98
		132056.24	111603.16
Accretion(+)/Decreton(-) in stocks of WIP & FG	N-'1'	-3961.00	5607.75
Price Variation Adjustment (Net)		1.95	-118.65
	Total I	128097.19	117092.26
II. EXPENDITURE			
Materials Consumed	N-'2'	72828.14	71274.90
Employee Remuneration and Benefits	N-'3'	38176.28	29582.57
Other Expenses of Manufacturing, Admn. Selling & Distribution	N-'4'	12059.90	9230.03
Research and Development		2696.85	2091.66
	Total II	125761.17	112179.16
Less: Transfer to Projects and Other Accounts	O	3683.63	3457.62
	Total III	122077.54	108721.54
III. NET EXPENDITURE	(I-III)	6019.65	8370.72
IV. PROFIT BEFORE INTEREST & DEPRECIATION	N-'5'	2848.57	2029.78
Interest		881.84	839.91
Depreciation		2289.24	5501.03
V. PROFIT FOR THE YEAR			
(Before prior period / extraordinary adjustment)			
Add/(Less) Prior Period Items(Net)	P	-52.56	-59.23
VI. PROFIT BEFORE TAX		2236.68	5441.80
Less:Provision for Taxation - For the Year		446.00	1555.00
- For earlier Years		-413.62	-231.07
Deferred tax asset(+)/Deferred tax liability(-)		81.69	83.11
Less:Provision for Fringe Benefit Tax		-0.44	0.00
VII. PROFIT AFTER TAX		2286.43	4200.98
Add: Balance Brought forward from previous year		40295.21	37808.78
VIII. PROFIT FOR APPROPRIATIONS		42581.64	42009.76
Less: Proposed Dividend	800.00	1470.34	
Less: Dividend Tax on Proposed Dividend	132.87	932.87	244.21
IX. BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET		41648.77	40295.21
EARNINGS PER SHARE(Rs) - BASIC		139.95	257.14
- DILUTED		139.95	257.14

Accounting Policies, Schedules A to Q form part of the Accounts

for and on behalf of the Board

H. Pine

SHIV KUMAR NORI
Director (Finance)

Place: Tirupati
Date : 29-06-2011

С. Ю. М. М.

Y S MAYYA
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
for **ANJANEYULU & Co**
Chartered Accountants,

V.S.VENKATESWARLU
Partner
M No. 025805

अनुसूची 'ए' शेयर पूंजी SCHEDULE 'A' SHARE CAPITAL

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
प्राधिकृत पूंजी AUTHORISED CAPITAL		
1,000/- रुपये प्रत्येक मूल्य के 20,00,000/- ईक्विटी शेयर (गत वर्ष 20,00,000/-) 20,00,000 (Previous year 20,00,000) Equity Shares of Rs.1000 each	20000.00	20000.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी ISSUED, SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL		
रु. 1,000 प्रत्येक का 16,33,712 ईक्विटी शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त। (गत वर्ष 16,33,712) ईक्विटी शेयर 16,33,712 (Previous Year 16,33,712) Equity Shares of Rs.1000 each fully paid up	16337.12	16337.12
कुल Total	16337.12	16337.12

अनुसूची 'बी' आरक्षिति एवं अधिशेष

SCHEDULE 'B' RESERVES AND SURPLUS

		(रुपये लाखों में) (Rupees in Lakhs)	
		31.03.2011	31.03.2010
1.	सामान्य आरक्षिति : GENERAL RESERVE :		
	गत तुलन पत्र के अनुसार As per Last Balance Sheet	2650.00	2650.00
	वर्ष के दौरान जोड़े गये Additions during the Year	0.00	0.00
2.	लाभ तथा हानि लेखों में शेष Balance in Profit and Loss Account	41648.77	40295.21
	कुल Total	44298.77	42945.21

अनुसूची 'सी' आरक्षित ऋण

SCHEDULE 'C' SECURED LOANS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
बैंकों से:		
From Banks:		
ए) नकद उधार #		
a) Cash Credit #	0.06	10000.00
उपचित एवं बकाया ब्याज		
Interest accrued and due	0.00	18.50
		10018.50
बी) सावधि जमा के विरुद्ध		
b) Against Fixed Deposits	13916.45	0.00
उपचित एवं बकाया ब्याज		
Interest accrued and due	27.34	0.00
		0.00
कुल Total	13943.85	10018.50

वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित कच्चे माल की गिरवी, भंडार एवं कलपुर्जे, कार्य प्रगति, तैयार माल, बुक ऋण, स्थिर आस्तियाँ तथा भूमि तथा भवनों पर इक्विटेबल मार्टगेज, एक ही समय में कन्सोर्टियम सदस्य बैंकों में रैंकिंग करना आदि से सेक्यूर किया गया।

Secured by first charge by way of hypothecation of present and future Raw Materials, Stores and Spares, Work-in-Progress, Finished Stock, Book Debts, Fixed Assets and Equitable Mortgage on Land & Buildings, ranking pari passu amongst the consortium member banks.

अनुसूची 'डी' अनारक्षित ऋण

SCHEDULE 'D' UNSECURED LOANS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम		
SHORT TERM LOANS & ADVANCES		
ए) बैंकों से		
a) From Banks	19999.91	15000.00
उपचित एवं बकाया ब्याज		
Interest Accrued and due	71.85	28.77
		15028.77
बी) अन्यो से		
b) From Others	0.00	0.00
कुल Total	20071.76	15028.77

अनुसूची 'ई' स्थिर परिसम्पत्तियाँ

SCHEDULE 'E' FIXED ASSETS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

क्र. सं. S. No.	परिसंपत्ति का नाम Name of the Asset	लागत पर सकल अवरुद्ध Gross Block At Cost				मूल्य हास Depreciation				निवल अवरुद्ध Net Block	
		01.04.2010 को स्थित As at 01.04.2010	वर्ष के दौरान जोड़ व समायोजन Additions & Adj. During The Year	वर्ष के दौरान कटौती व समायोजन Deductions & Adj. During The Year	31.03.2011 को स्थित कुल Total As At 31.03.2011	31.03.2010 तक upto 31.03.2010	वर्ष के लिए For the year	गत वर्षों में कटौती व वर्ष के दौरान समायोजन Previous Years Deductions & Adj. During The Year	31.03.2011 तक कुल Total upto 31.03.2011	31.03.2011 को स्थित As At 31.03.2011	31.03.2010 को स्थित As At 31.03.2010
1.	भूमि (पूर्ण स्वामित्व) Land (Freehold)	869.13	-	-	869.13	-	-	-	-	869.13	869.13
2.	भूमि विकास Development of Land	13.22		13.22	-	13.22		13.22	-		
3.	सड़कें, पुल और नाले Roads, Bridges & Culverts	71.32	4.23	-	75.55	26.41	1.14	-	27.55	48.00	44.91
4.	फैक्टरी भवन Factory Buildings	1,666.49	210.93	102.92	1,774.50	1,238.33	36.88		1,275.21	499.29	428.15
5.	प्रशासनिक व अन्य भवन Administration & other Buildings	943.88	-	3.09	940.79	373.60	14.57	3.09	385.08	555.71	570.28
6.	अनुसंधान और विकास - संयंत्र मशीनरी Research & Development - Plant Machinery	124.42	440.31	447.96	116.77	56.18	8.02	12.74	51.46	65.31	68.25
7.	संयंत्र और मशीनरी Plant & Machinery	3,752.61	1,053.49	1,031.09	3,775.01	2,381.95	120.82	144.05	2,358.72	1,416.29	1,370.66
8.	इलक्ट्रॉनिकी परीक्षण और मापन उपस्कर Electronic Testing & Measuring Equipment	9,663.80	686.73	552.65	9,797.88	5,525.60	409.67	461.63	5,473.64	4,324.24	4,138.19
9.	ग्राहकों को किराये पर दी गयी कंप्यूटर प्रणालियाँ Computer Systems Hired out to Customers	1,709.60	-	0.61	1,708.99	1,630.63	43.76	0.61	1,673.78	35.21	78.96
10.	वातानुकूल और एअर कूलर्स/ रेफ्रिजरेटर्स Air conditioners & Air coolers/ Refrigerators	311.87	59.58	18.79	352.66	158.17	14.36	8.19	164.34	188.32	153.72
11.	जल आपूर्ति और मल-निकास Water supply & Sewerage	52.52	-	-	52.52	41.02	0.47		41.49	11.03	11.50
12.	बिजली संस्थापना और उपस्कर Electrical Installation & Equipment	697.26	44.51	12.83	728.94	313.66	26.77	12.80	327.63	401.31	383.59
13.	गाड़ियाँ Vehicles	73.18	24.31	20.07	77.42	50.92	4.80	17.95	37.77	39.65	22.27
14.	फर्निचर, फिटिंग्स और अन्य उपस्कर Furniture, Fittings & Other Equipment	3,566.99	301.40	148.06	3,720.33	2,304.47	196.46	135.80	2,365.13	1,355.20	1,262.53
15.	पुस्तकालय Library	76.82	3.87	0.11	80.58	68.55	2.38	0.12	70.81	9.77	8.25
16.	परियोजना/साइट के पास शेड, फिक्चर्स एवं निर्माण/संरचना Sheds, Fixtures and Structures/ Erections at Projects/Sites	83.77	-	1.29	82.48	41.56	1.74	1.29	42.01	40.47	42.22
कुल / TOTAL		23,676.88	2,829.36	2,352.69	24,153.55	14,224.27	881.84	811.49	14,294.62	9,858.93	9,452.61
गत वर्ष / PREVIOUS YEAR		23,170.15	1,876.90	1,370.17	23,676.88	14,076.72	848.90	701.35	14,224.27	9,452.61	9,093.43

टिप्पण : अनुसूची - 'ई'

1. जहाँ प्राप्त आस्ति(यों) की लागत तत्काल सुनिश्चित नहीं की जा सकती और जहाँ अंतर वास्तविक मूल्यांकन से 0.15 लाख रुपयों या 15% से बढ़ जाता हो वहाँ आनेवाले वर्षों में समायोजन की शर्त के अनंतिम मूल्यांकन आधार पर हिसाब किया जाता है। इस पद्धति के अपनाये जाने के कारण लाभ में 3.49 लाख रुपयों की वृद्धि हुई। (गत वर्ष लाभ में वृद्धि 4.08 लाख रुपये)
2. ए) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने पत्र सं. 5/10(5)/2000-पीएसयू / खंड 3/61 दिनांक 10-01-2002 द्वारा हैदराबाद स्थित फैक्टरी जिस जमीन पर है (लगभग 278 एकड़) उस जमीन का स्वामित्व कंपनी को अंतरण (निःशुल्क) करने के लिए भारत राष्ट्रपति के अनुमोदन सूचित किया है। आगे कुल जमीन 278 एकड़ में से 06-01-2006 के पत्र द्वारा बिना लागत के ईसीआईएल को जमीन के स्वामित्व को स्थानान्तरण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अनुरूप प.ऊ.वि. द्वारा 229.01 एकड़ जमीन "डीड आफ ब्रैन्ट" द्वारा सौंपी गई। दि 19.05.2010 को 229.01 एकड़ भूमि ईसीआईएल के नाम पर म्यूटेड किया गया तथा आवश्यक प्रविष्टियाँ रजिस्टर में की गयीं। बचे हुए जमीन में 49 एकड़ में से 7.36 एकड़ (टैंक बेड) राज्य सरकार की है और जो समुदाय उपयोग के लिये है और जिसे ईसीआईएल के नाम पर हासिल/रूपांतरित नहीं किया जा सकता। शेष 41.08 एकड़ भूमि को स्थानान्तरण करने के लिये प्रक्रिया जारी है।
बी) मौला-अली में कंपनी द्वारा 1982-83 में आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त 0.533 एकड़ भूमि के स्वामित्व दस्तावेज कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किये जाने हैं।
सी) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने पत्र सं. 5/10(5)/2000-पीएसयू/खण्ड 3/61 दिनांक 10.01.2002 द्वारा मुंबई स्थित आंचलिक कार्यालय (लगभग 2773.50 वर्ग गज) का स्वामित्व कंपनी को अंतरण (निःशुल्क) करने के लिए भारत राष्ट्रपति के अनुमोदन सूचित किया है। उक्त अनुमोदन को प्रभावी बनाने संबंधी अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।
डी) 20 वर्षों की अवधि के लिए आंचलिक कार्यालय, मुंबई के एक भाग में निचला तल एवं प्रथम तल 12,820 वर्ग फीट जगह को मेसर्स इंडियन रेअर एर्थस लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम को पट्टे पर देने के लिए ईसीआईएल ने निम्न शर्तों पर पट्टानामा निष्पादित किया है:- i) 1069.20 लाख रुपयों के लिए दिये गये जगह का प्रतिभूति जमा ii) वार्षिक किराया 1070 रुपये प्रति वर्ष।
ई) वर्ष 1998-99 में प्रति वर्ष एक रुपये पट्टा किराया पर परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मौला-अली स्थित सर्वे नंबर 303 में कुशाईगुडा पुलिस थाना भवन सहित 1.7 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गयी।
3. सरकारी अनुदानों से हासिल अडिशनल् एवं समायोजनाओं जो 524.55 लाख रुपये है जिसे कटौतियाँ एवं/समायोजन के स्तंभ के अंतर्गत दर्शाया गया है, वह 1014.51 लाख रुपये हैं जिसमें भा.प.अ.के. द्वारा वित्त पोषित 1539.06 लाख रुपये शामिल है। ऐसी परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य जो 408 रुपये है उसे वर्ष के सकल ब्लाक में शामिल किया गया है।
4. अचल संपत्ति जो कुछ उपयोग में नहीं है और अप्रचलित है, उस नेट मूल्य रु. 1/- अमोनंटिंग है जो 776 रुपये हैं (इन सभी परिसंपत्तियों सकल मूल्य 782.15 लाख रुपये हैं)

NOTES TO SCHEDULE - 'E'

1. Where the cost of the asset(s) acquired is not readily ascertainable, accounting is done on provisional valuation subject to adjustments in subsequent years in value where the variation exceeds Rs.0.15 lakhs or 15% of the actual valuation whichever is higher. The increase in profit on account of this method is Rs.3.49 lakhs for the year (Previous year increase in profit Rs. 4.08 lakhs).
2. a) The Department of Atomic Energy (DAE) vide their letter no: 5/10(5)/2000-PSU/ Vol. III/61 dated 10.01.2002 conveyed the approval of the President of India for transfer of ownership to the Company (free of cost) of the land on which the factory is located at Hyderabad (about 278 acres). Further , out of 278 Acres of Land, a "Deed Of Grant" for the land admeasuring 229.01 Acres is executed by DAE in accordance with President Of India's approval for transfer of ownership of land to ECIL at free of cost through letter dated 06.01.2006. The Land of acres 229.01 has been mutated in the name of ECIL on 19.05.2010 and necessary entries are made in the records of Rights Amendment Register. Out of the remaining Land admeasuring about 49 Acres, a piece of land admeasuring 7.36 Acres (Tank Bed) is State Government's Land and allowed only for community use and cannot be acquired/mutated on ECIL. The remaining land admeasuring 41.08 Acres, the matter for transfer is under process.
- b) Title Deed in favour of the Company is yet to be executed for the freehold land admeasuring 0.533 Acres at Moula-Ali acquired by the Company from Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, Hyderabad in 1982-83.
- c) The Department of Atomic Energy (DAE) vide their letter no: 5/10(5)/2000-PSU/ Vol. III/61 dated 10.01.2002 conveyed the approval of the President of India for transfer of ownership to the Company (free of cost) Zonal office located in Mumbai (about 2773.50 sq.yards). The actions required for giving effect to the above approval are under process.
- d) ECIL had executed Deeds of Lease with M/s Indian Rare Earth's Limited, a Govt. Of India Undertaking, for leasing out a part of Zonal office building at Mumbai, admeasuring 12,820 Sq. Ft in Ground Floor & First Floor for a period of 20 years under the following payment conditions (i) Security Deposit of leased premises for Rs.1069.20 Lakhs and (ii) Annual Rent of Rs.1070/- per annum.
- e) An area of 1.7 acres of land along with building occupied by Kushaiguda Police Station in survey No.303, Moula - Ali, belonging to DAE was leased to the Govt. of AP in the year 1998-99 at lease rent of Re.1/- per annum.
3. Assets acquired out of Government Grants for Rs.524.55 lakhs and BARC funded assets for Rs. 1014.51 lakhs have been shown in additions & deductions thus totaling to Rs. 1539.06 Lakhs. The nominal value of such Assets included in Gross Block for the year is Rs. 408/-
4. Certain fixed Assets which are fully depreciated and not in use and obsolete having a net value of Re 1/- each amounting to Rs. 776 only are reduced from the Gross Block (Gross Value of all these assets is Rs.782.15 lakhs).

अनुसूची 'एफ' पूँजीगत चालू कार्य

SCHEDULE 'F' CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
1. मार्गस्थ पूँजीगत उपस्कर / Capital Equipment-in-Transit	1686.95	2507.90
2. पूँजीगत चालू कार्य / Capital Work-in-progress	588.93	387.02
3. पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम - संयंत्र व मशीनरी Advances against Capital Expenditure-Plant and Machinery	870.66	1755.23
कुल / Total	3146.54	4650.15

अनुसूची 'जी' निवेश (लागत पर)

SCHEDULE 'G' INVESTMENTS (AT COST)

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
भाव न बताये गये (व्यापार से हटकर) - दीर्घावधि UNQUOTED (OTHER THAN TRADE) - LONG TERM		
शेयरों में / IN SHARES		
1. ईसीआईएल एम्प्लॉईज कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 250 शेयर। 250 shares of Rs.10/- each fully paid up in ECIL Employees Consumer Co-operative Society Limited	0.02	0.02
2. मेसर्स ईसीआईएल - रैपिस्कन लिमिटेड में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 14,70,000 ईक्विटी शेयर जिसमें 7,35,000 बोनस शेयर भी सम्मिलित हैं। 14,70,000 equity shares inclusive of Bonus shares 7,35,000 Rs. 10/- each fully paid up in M/s. ECIL - Rapiscan Ltd.	73.50	73.50
3. मेसर्स ए.पी. गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 4,60,960 ईक्विटी शेयर जिनमें बोनस शेयर 1,92,960 शामिल हैं। 4,60,960 equity shares inclusive of Bonus shares 1,92,960 of Rs.10/- each fully paid up in M/s. Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited	26.80	26.80
4. आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में 10 रुपये प्रत्येक के 2,68,000 के ईक्विटी शेयर के 24 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से पूर्ण रूप से प्रदत्त किया गया है। 2,68,000 equity shares of Rs.10/- each, in Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited, Hyderabad at Rs.24/- per share, fully paid up	64.32	91.12
कुल / Total	164.64	164.64

अनुसूची 'एच' मालसूचियाँ

SCHEDULE 'H' INVENTORIES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
प्रबन्धन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किये गये अनुसार As valued and certified by the management		
ए) तैयार स्टॉक a) Finished Stock	1086.64	1207.44
बी) चालू कार्य b) Work-in-Progress	5710.28	9539.72
सी) रद्दी माल c) Scrap	24.49	35.25
डी) कच्ची सामग्रियाँ, असेम्बलीज व संघटक d) Raw Materials, Assemblies and Components	6012.30	4628.42
ई) भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और पैकिंग सामग्रियाँ e) Stores & Spares and Packing Materials	1039.14	989.55
एफ) औजारों का स्टॉक f) Stock of Tools	4.81	6.50
जी) मार्गस्थ सामग्रियाँ g) Materials-in-Transit	1783.13	3060.99
कुल / Total	15660.79	19467.87

अनुसूची 'आई' फुटकर देनदार

SCHEDULE 'I' SUNDRY DEBTORS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
छः महीनों से अधिक अवधि तक बकाया पड़े कर्ज : Debts outstanding for a period exceeding six months	34718.75	34569.81
अन्य कर्ज # Other Debts #	111948.33	109295.86
	146667.08	143865.67
घटायें : संदिग्ध माने गए कर्जों के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Debts	2779.80	2120.80
कुल / Total	143887.28	141744.87

विविध देनदारों का विवरण : Particulars of Sundry Debtors :

सुरक्षित Secured	0.00	0.00
कर्जों साध्य माने गए परंतु उनके संबंध में कंपनी के पास पार्टियों की निजी प्रतिभूति के सिवाय कुछ नहीं हैं। # Debts considered good for which the Company holds no security other than the debtors' personal security #	143887.28	141744.87
संदिग्ध माने गये कर्जों के लिये प्रावधान Debts considered doubtful and provided for	2779.80	2120.80
कुल / Total	146667.08	143865.67

एस-7 'कन्स्ट्रक्शन कंट्राक्ट्स' के अंतर्गत दीर्घावधि परियोजना के संबंध में 62988.01 लाख रुपये (गत वर्ष 57123.23 लाख रुपये) आय को अद्यतन रूप में मान्यता दी गई परंतु ग्राहकों को बिल नहीं किया गया।

Includes Rs. 62988.01 lakhs (Previous year Rs.57123.23 lakhs) towards Income recognised up to date in respect of Long Term Project under AS-7 'Construction Contracts' but not billed to customers.

अनुसूची 'जे' रोकड तथा बैंक शेष

SCHEDULE 'J' CASH AND BANK BALANCES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
1. नगद शेष राशि		
CASH BALANCE		
ए) हाथ में नगद		
a) Cash on hand	2.48	5.34
बी) अधिकारियों के पास अग्रदाय नगद		
b) Imprest Cash with Officers	0.25	0.26
सी) मार्गस्थ/उपलब्ध चेक		
c) Cheques on hand/in-transit	2.21	6.87
डी) उपलब्ध स्टैम्प		
d) Stamps on hand	0.02	0.05
	4.96	12.52
2. अनुसूचित बैंकों के पास बैंक में शेष राशि		
BANK BALANCES WITH SCHEDULED BANKS		
ए) चालू खाते #		
a) Current Accounts #	794.10	4502.99
बी) मार्गस्थ प्रेषित राशियाँ		
b) Remittances-in-transit	0.62	1.95
सी) मियादी जमा [इसमें सम्मिलित 16450 लाख रुपये (गत वर्ष 13500 लाख रुपये) है और बीजी, लीन, ओडी एवं ऋण के मार्जिन मनी की ओर चिह्नित किया गया]		
c) Fixed Deposits	27000.00	26630.00
[includes Rs.16450 lakhs (Previous year Rs.13500 lakhs) marked towards margin money for BGs, Lien for OD and Loan]	27794.72	31134.94
कुल / Total	27799.68	31147.46

चालू खाते में वसूली लेखा शेष 205.34 लाख रुपये शामिल है (गत वर्ष 1252.51 लाख रुपये)

Current Accounts include Collection Accounts balances of Rs. 205.34 Lakhs (Previous Year Rs. 1252.51 lakhs)

अनुसूची 'के' ऋण और अग्रिम राशियाँ SCHEDULE 'K' LOANS & ADVANCES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
1. वसूली योग्य मानी गयी अग्रिम राशियाँ जिनके प्रति कंपनी पूरी तरह सुरक्षित है : ADVANCES CONSIDERED GOOD IN RESPECT OF WHICH THE COMPANY IS FULLY SECURED:		
वाहनों के दृष्टिबंधन पर स्टाफ को दी गयी अग्रिम राशियाँ Advances to staff against hypothecation of vehicles	33.61	35.65
2. असुरक्षित अग्रिम राशियाँ - वसूली योग्य मानी गयी परंतु उनके संबंध में कंपनी के पास पार्टी की निजी प्रतिभूति के सिवाय कुछ नहीं है : ADVANCES UNSECURED - CONSIDERED GOOD IN RESPECT OF WHICH THE COMPANY HOLDS NO SECURITY OTHER THAN THE PARTY'S PERSONAL SECURITY:		
ए) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम a) Advances to employees	164.58	549.83
बी) माल और सेवाओं के लिये आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये अग्रिम b) Advances to suppliers for goods and services	2431.27	574.68
सी) अन्य अग्रिम राशियाँ c) Other Advances	381.03	901.15
डी) ग्राहकों और अन्यो के दावे d) Claims with Customers and Others	666.66	802.34
ई) जमा राशियाँ e) Deposits	2268.63	2198.22
एफ) पूर्व प्रदत्त व्यय f) Prepaid expenses	24.81	41.22
जी) सीमाशुल्क, पोर्ट ट्रस्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि के पास बची शेष राशियाँ आदि g) Balances with customs, Port Trust, Central Excise, etc.	1458.67	875.70
एच) अग्रिम कर /टीडीएस (आयकर 4492.34 लाख रुपयों के लिये निवल प्रावधान) h) Advance Tax/TDS (Net of provision for Income Tax Rs.4492.34 Lakhs)	8707.28	16102.93
3. संदिग्ध माने गये अग्रिम ADVANCES CONSIDERED DOUBTFUL	268.89	228.79
घटायें : संदिग्ध माने गये अग्रिमों के लिये प्रावधान Less: Provision for advances considered doubtful	268.89	0.00
कुल / Total	16136.54	13975.48
# निदेशकों द्वारा देय शामिल है Includes Due by Directors	शून्य NIL	शून्य NIL
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि Maximum amount due at any time during the year	8.73	2.92

अनुसूची 'एल' चालू देयताएँ और प्रावधान

SCHEDULE 'L' CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2011	31.03.2010
1. चालू देयताएँ		
CURRENT LIABILITIES		
ए) मालों, मशीनरी तथा अन्यो के लिये फुटकर लेनदार		
a) Sundry Creditors for goods, machinery etc.	23620.26	20144.58
बी) फुटकर लेनदार - एम एस एम ई		
b) Sundry Creditors - MSME	235.22	98.00
सी) व्ययों के लिए फुटकर लेनदार		
c) Sundry Creditors for expenses	20992.56	44848.04
डी) ग्राहकों से लिये गये अग्रिम		
d) Advances from customers	57257.80	72262.68
ई) सरकारी सहायता अनुदान की राशि		
e) Government Grants-in-Aid	2958.57	4510.54
एफ) जमा राशियाँ		
f) Deposits	1064.42	941.45
जी) परिसर के पट्टे के लिए प्रतिभूति जमा राशि		
g) Security Deposit for Lease of Premises	1069.20	1069.20
एच) अन्य देयताएँ		
h) Other liabilities	9124.56	11943.37
कुल-1		
Total-1	116322.59	129885.57
2. प्रावधान		
PROVISIONS		
प्रस्तावित लाभांश के लिए		
For Proposed Dividend	800.00	1470.34
प्रस्तावित लाभांश पर कर के लिए		
For Tax on proposed Dividend	132.87	244.21
अर्जित छुट्टी के नगदीकरण के लिए		
For Earned Leave Encashment	6298.78	7171.72
वारंटी प्रभार के लिए		
For Warranty Charges	2485.15	2127.93
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		
For Provision for Gratuity	981.46	
कुल-2		
Total-2	10698.26	11014.20
कुल (1+2)		
Total (1+2)	127020.85	140899.77

अनुसूची 'एम' अन्य आय SCHEDULE 'M' OTHER INCOME

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2010-11		2009-10	
1. निम्न पर ब्याज INTEREST ON				
ए) स्टाफ को दिये गये अग्रिमों पर a) Staff advances	6.88		9.64	
बी) बिजली जमा राशियाँ (एपीएसईबी) b) Electricity Deposits (APSEB)	2.96		2.86	
सी) जमा राशि प्राप्तियाँ [मूल स्रोत पर कटौती की गयी कर 185.62 लाख रुपये (गत वर्ष 256.81 लाख रुपये)] c) Term Deposit Receipts [Tax deducted at source Rs.185.62 lakhs (Previous Year Rs.256.81 lakh)]	1734.83		1650.24	
डी) अन्य d) Others	457.83	2202.50	33.22	1695.96
2. नियत आस्तियों की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF FIXED ASSETS		1.05		0.02
3. अन्य OTHERS				
ए) किराये a) Rent	6.73		6.73	
बी) रद्दी की बिक्री b) Sale of scrap	110.24		32.02	
सी) बीमा दावे c) Insurance Claims	5.78		0.27	
डी) सीमा शुल्क दावे d) Customs Duty claims	126.41		0.11	
ई) प्रावधानों की वापसी e) Provisions withdrawn	2174.04		2535.66	
एफ) दावा नहीं की गयीं देयताएँ पीछे लिखी गयीं f) Unclaimed liabilities written back	44.51		13.84	
जी) विनिमय दर परिवर्तन g) Exchange Rate Variation	226.72		783.74	
एच) विविध h) Miscellaneous	508.13	3202.56	687.53	4059.90
4. जॉइंट वेन्चर कंपनी (ईसीआईएल-रैपिस्कैन लिमिटेड) से लाभांश DIVIDEND FROM JOINT VENTURE COMPANY (ECIL - Rapiscan Ltd.)		44.10		44.10
कुल / Total		5450.21		5799.98

अनुसूची 'एन-1'

चालू कार्य एवं तैयार माल के स्टॉकों में अभिवृद्धि (+)/ कमी (-)

SCHEDULE N-'1'**ACCRETION(+)/DECRETION(-) IN STOCKS OF WORK-IN-PROGRESS AND FINISHED GOODS**(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2010-11	2009-10
अंतिम माल CLOSING STOCKS		
i) तैयार माल Finished Stock	1086.64	1207.44
ii) चालू कार्य Work-in-progress	5710.28	9539.72
iii) रद्दी Scrap	24.49	35.25
	6821.41	10782.41
घटाएँ : आरंभिक माल LESS: OPENING STOCKS		
i) तैयार माल Finished Stock	1207.44	795.41
ii) चालू कार्य Work-in-progress	9539.72	4337.80
iii) रद्दी Scrap	35.25	41.45
	10782.41	5174.66
अभिवृद्धि (+) / कमी (-) Accretion(+)/Decretion(-)	-3961.00	5607.75

अनुसूची 'एन-2' उपभुक्त सामग्री

SCHEDULE 'N-2' MATERIALS CONSUMED

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2010-11	2009-10
1. कच्ची सामग्रियों, असेम्बलीज एवं संघटकों का उपभोग		
CONSUMPTION OF RAW MATERIALS, ASSEMBLIES AND COMPONENTS		
आरंभिक माल Opening Stock	4628.42	3517.80
जोड़ें : विक्रय (विक्रय और समायोजन के बाद) Add: Purchases (after sales and adjustments)	73698.23	70966.25
जोड़ें : विभागीय अंतरण - उत्पादन Add: Departmental transfers - Production	384.16	790.02
	78710.81	75274.07
घटायें : लोप के लिये प्रावधान Less: Provision for obsolescence	18.98	0.00
बट्टे खाते डालना Write off	0.00	13.97
	78691.83	75260.10
घटायें : अंतिम माल Less: Closing Stock	6012.30	4628.42
	72679.53	70631.68
2. निम्न का उपभोग		
CONSUMPTION OF		
ए) भंडार और अतिरिक्त पुर्जे a) Stores and Spares	853.77	243.10
बी) पैकिंग सामग्रियाँ b) Packing materials	67.80	892.97
सी) औजार c) Tools	44.02	14.81
	965.59	1150.88
3. बेचे गये/उपभुक्त पुर्जों और उपसाधनों की लागत		
COST OF ACCESSORIES & SPARES SOLD/ CONSUMED	284.97	277.39
उप कुल Sub-Total	73930.09	72059.95
घटायें : सहायता अनुदान विरुद्ध व्यय Less: Expenditure against Grants-in-Aid	1101.95	785.05
कुल / TOTAL	72828.14	71274.90

अनुसूची 'एन-3' कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ

SCHEDULE 'N-3' EMPLOYEES' REMUNERATION AND BENEFITS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2010-11	2009-10
कर्मचारियों को वेतन, मजदूरियाँ और अन्य लाभ		
SALARIES, WAGES AND OTHER BENEFITS TO EMPLOYEES		
ए) वेतन, मजदूरियाँ और बोनस		
a) Salaries, Wages and Bonus	31429.67	25869.01
बी) प्रशासनिक प्रभारों सहित भविष्य निधि में योगदान		
b) Contribution to Provident Fund including administrative charges	2738.77	2288.15
सी) कल्याण व्यय		
c) Welfare expenses	4007.84	1425.41
कुल / Total	38176.28 #	29582.57

वृद्धि की सीमा 3.5 लाख से 10 लाख करने पर 2679.87 लाख रुपये जो 1/5 ग्रेच्युटी देयता शामिल है।

Includes Rs.2679.87 Lakhs being 1/5th of Gratuity Liability on enhancement of limit from Rs. 3.5 lakhs to Rs.10 lakhs

निदेशकगण (अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक शामिल हैं)

Directors (incl. Chairman & Managing Director)

वेतन		
Salary	57.05	28.71
भविष्य निधि में अंशदान		
Contribution to PF	4.05	2.50
पेंशन एवं अन्य लाभ		
Pension and other Benefits	8.03	15.60
	69.13	46.81

अनुसूची 'एन-4' विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण के अन्य व्यय

(रुपये लाखों में)

	2010-11	2009-10
1. बिजली और ईंधन	353.84	288.34
2. जल प्रभार	161.91	155.25
3. मरम्मत एवं अनुरक्षण		
ए) भवन	246.38	164.24
बी) संयंत्र एवं मशीनरी	72.96	35.10
सी) अन्य	212.59	211.80
4. किराया	250.08	166.59
5. पौरकर और कर	69.76	83.02
6. बीमा	52.98	76.17
7. मुद्रण व लेखन सामग्री	122.56	107.16
8. डाक, तार, टेलिफोन और टेलेक्स	131.92	113.69
9. विज्ञापन	69.47	52.13
10. यात्रा और सवारी व्यय	1208.80	1311.59
11. वाहन व्यय	281.26	174.64
12. निदेशकों के शुल्क और यात्रा व्यय	2.15	4.76
13. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय		
लेखा परीक्षकों के रूप में :		
ए) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		
-चालू वर्ष	8.00	7.20
-गत वर्ष	0.80	1.20
बी) व्यय	2.77	1.18
14. विविध व्यय		
i) बैंक प्रभार	15.88	12.90
ii) बैंक प्रतिभूतियों पर कमीशन	113.16	228.79
iii) अतिथि गृह व्यय	13.80	12.96
iv) मनोरंजन व्यय	10.77	7.90
v) व्यवसायी और परामर्शी प्रभार	685.79	665.80
vi) पट्टा भाडे	68.74	75.42
vii) पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ	5.69	6.04
viii) फ्रैन्चाइसीस को भुगतान	2170.04	1583.42
ix) भंडार अनुषांगिक - इनवार्ड्स	495.01	367.04
x) अन्य विक्रय व्यय	408.66	414.63
xi) विविध	1202.00	893.57
15. i) बट्टे खाते डाले गए आर.एम., एस.एस., स्पेर्स आदि	0.00	13.97
ii) अन्य बट्टे खाते डाले गए	670.19	313.65
iii) अन्य बट्टे खाते	0.01	3.06
16. विक्रय एजेंटों का कमीशन	125.62	156.07
17. निर्णीत हर्जाना	1535.72	619.37
18. स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय	20.75	21.53
19. तकनीकी जानकारी	6.62	0.00
20. चंदे	1.15	4.10
21. प्रावधान:		
संदिग्ध अग्रिम	41.36	0.00
अप्रचलन सामग्री	18.98	0.00
संदिग्ध ऋण - विविध देनदार	289.79	288.84
22. माल प्रभार आउटवार्ड्स	155.52	196.59
23. वारंटी पर व्यय	756.42	390.32
कुल	12059.90	9230.03

**SCHEDULE N-'4' OTHER EXPENSES OF MANUFACTURING,
ADMINISTRATION, SELLING & DISTRIBUTION**

(Rupees in Lakhs)

	2010-11	2009-10
1. Power and Fuel	353.84	288.34
2. Water Charges	161.91	155.25
3. Repairs & Maintenance		
a) Buildings	246.38	164.24
b) Plant & Machinery	72.96	35.10
c) Others	212.59	211.80
4. Rent	250.08	166.59
5. Rates and Taxes	69.76	83.02
6. Insurance	52.98	76.17
7. Printing & Stationery	122.56	107.16
8. Postage, Telegram, Telephones & Telex	131.92	113.69
9. Advertisement	69.47	52.13
10. Travelling and Conveyance expenses	1208.80	1311.59
11. Vehicle expenses	281.26	174.64
12. Directors' fees and travelling expenses	2.15	4.76
13. Auditors' fees and expenses		
As Auditors:		
a) Statutory Audit fee		
- Current year	8.00	7.20
- Previous year	0.80	1.20
b) Expenses	2.77	1.18
14. Other Expenses		
i) Bank Charges	15.88	12.90
ii) Commission on Bank Guarantees	113.16	228.79
iii) Guest House expenses	13.80	12.96
iv) Entertainment expenses	10.77	7.90
v) Professional and Consultancy charges	685.79	665.80
vi) Lease Rentals	68.74	75.42
vii) Books and Periodicals	5.69	6.04
viii) Payment to Franchisees	2170.04	1583.42
ix) Stores Incidentals-Inwards	495.01	367.04
x) Other Selling Expenses	408.66	414.63
xi) Miscellaneous	1202.00	893.57
15. i) Write off of RM, SS, Spares etc.	0.00	13.97
ii) Bad Debts written off	670.19	313.65
iii) Other write offs	0.01	3.06
16. Commission to Selling Agents	125.62	156.07
17. Liquidated Damages	1535.72	619.37
18. Staff training expenses	20.75	21.53
19. Technical Know-how	6.62	0.00
20. Donations	1.15	4.10
21. Provisions:		
Doubtful Advances	41.36	0.00
Material Obsolescence	18.98	0.00
Doubtful Debts-S.Debtors	289.79	288.84
22. Freight Outwards	155.52	196.59
23. Expenditure on Warranty	756.42	390.32
Total	12059.90	9230.03

अनुसूची 'एन-5' ब्याज SCHEDULE N-'5' INTEREST

	(रुपये लाखों में) (Rupees in Lakhs)	
	2010-11	2009-10
1. रोकड जमा लेखा Cash Credit Account	773.50	453.04
2. नियत जमाओं/अन्यों के विरुद्ध ऋण Loans against Fixed Deposits / Others	1970.32	1453.82
3. आयकर पर ब्याज Interest on Income Tax	0.00	0.11
4. पेशगियाँ एवं अन्य पर ब्याज Interest on Advances and Others	104.75	122.81
	कुल Total	2848.57
		2029.78

अनुसूची 'ओ' परियोजना और अन्य लेखों को अंतरण SCHEDULE 'O' TRANSFERS TO PROJECTS AND OTHER ACCOUNTS

	(रुपये लाखों में) (Rupees in Lakhs)	
	2010-11	2009-10
1. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर व्यय - आन्तरिक Expenditure on Scientific Research and Dev.- In House	2696.85	2091.66
2. पूँजी उपयोग के लिए आन्तरिक कार्य Internal Jobs for Capital use	0.00	20.42
3. मरम्मत और अनुरक्षण - आन्तरिक Repairs and Maintenance - Internal	82.31	27.40
4. बीमा - क्रय Insurance - Purchases	2.53	4.34
5. विभागीय स्थानान्तरण - उत्पादन Departmental Transfers - Production	349.22	747.92
6. सेवा कर इनपुट क्रेडिट Service Tax Input Credit	552.72	565.88
	कुल Total	3683.63
		3457.62

अनुसूची 'पी' पूर्वावधि समायोजन

SCHEDULE 'P' PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2010-11	2009-10
आय		
INCOME		
1. विक्रय एवं सेवाएँ Sales & Services	87.44	-138.76
2. अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts	-114.00	297.11
कुल-I Total - I	-26.56	158.35
व्यय		
EXPENDITURE		
1. सामग्री का उपभोग Materials Consumed	28.47	130.03
2. प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय Administrative & Selling Expenses	3.73	78.56
3. मूल्यहास Depreciation	0.00	8.99
4. कर एवं शुल्क Taxes & Duties	-6.20	0.00
कुल-II Total - II	26.00	217.58
कुल- (I - II) Total - (I - II)	-52.56	-59.23

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

1. प्रकटीकरण से मुक्ति :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग-2 के यथा संशोधित निम्न प्रावधानों सहित प्रकटीकरण अनुपालन से कंपनी को कंपनी कार्य के दिनांक 08.06.2011 के अधिसूचना सं. 46/50/2011-सी एल-3 के अनुसार मुक्ति दी गयी :

पैरा	व्याख्या
3(i)(ए)	प्रत्येक दर्जे के माल एवं उसकी मात्रा के संबंध में बिक्री संबंधी विवरण
3(ii)(ए)(1) एवं (2), 3(ii)(डी)	माल का प्रारंभिक एवं समापन स्टॉक, कच्ची सामग्री का क्रय, विक्रय एवं खपत उसके मात्रात्मक विवरण और अर्पित सेवाओं से सकल आय के साथ
4सी	विनिर्मित प्रत्येक दर्जे के माल के संबंध में उत्पादन की लाईसेंस क्षमता, प्रस्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के संबंध में विवरण
4डी(ए)	कच्ची सामग्री, संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं पूंजिगत माल के संबंध में वित्त वर्ष के दौरान लागत बीमा भाड़ा आधार पर आकलित आयतों का मूल्य
4डी(सी)	आयातित एवं स्वदेशी कच्ची सामग्री, संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जों की खपत का मूल्य और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

2. लेखांकन मानकों का अनुपालन (ए एस)

(कंपनी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार)

ए) निर्माण ठेके (लेखांकन मानक - 7):

(रु. लाखों में)

ए) लेखांकन नीति सं. ए (iv) की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित पूरे हुए काम की प्रतिशतता के आधार पर एएस-7 के अनुसार (निर्माण ठेके) निर्माण राजस्व रु.29082.93 लाख (गत वर्ष 19605.73 लाख रुपये) को मान्यता दी गई जो निम्न पद्धति पर आधारित है :-

बी) 31.03.2011 तक लागत ठेका और मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानि घटायें)	रु. 161695.31 लाख
सी) प्राप्त अभ्रिम (निवल)	रु. 36560.73 लाख
डी) ग्राहकों से देय सकल राशि	रु. 62988.01 लाख
ई) ग्राहकों को देय सकल राशि	शून्य
एफ) रिटेन्शन्स (यदि कोई हो)	शून्य

जी) वर्ष के दौरान निर्माण कार्य ठेके के संबंध में कुल लागत और कुल राजस्व की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है और चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किये गये हैं।

बी) कर्मचारी लाभ (ए एस - 15) :

ए) कंपनी मासिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और ईपीएफओ को अपना अंशदान देता है और जिसे लाभ-हानि के खाते खर्च में लिखा जाता है।

बी) ग्रेच्युटी एक अनफंडेड डिफाइंड बेनिफिट योजना है जो योग्य कर्मचारी संगठन से अलग होने पर देय है। जीवन बीमा के कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी कम लाइफ अश्योरेंस स्कीम के महाम से कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि द्वारा प्रबंध किया जाता है। वर्तमान सेवा लागत तथा डिफाइंड आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य के आधार पर कंपनी वार्षिक योगदान देती है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड को इस्तेमाल करते हुए देयता का निर्धारण किया जाता है।

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

1. EXEMPTION FROM DISCLOSURE:

Exemption was granted by Ministry of Corporate Affairs vide Notification No. 46/50/2011-CL-III dated 08.06.2011 from disclosure compliance of the following provisions contained in part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 as amended:

PARA	PARTICULARS
3(i)(a)	Details regarding Sales in respect of each class of goods with quantities thereof.
3(ii)(a) (1)&(2), 3(ii)(d)	Value of opening and closing stocks of goods, purchases, sales and consumption of raw materials with value and quantitative break up and Gross Income from services rendered.
4C	Details regarding licensed capacity, installed capacity and actual production in respect of each class of goods manufactured.
4D(a)	Value of imports calculated on CIF basis by the Company during the financial year in respect of raw materials, components and spare parts and capital goods.
4D(c)	Value of imported and indigenous Raw materials, components and spares consumed and percentage of each to the total consumption.

2. COMPLIANCE TO ACCOUNTING STANDARDS (AS) (Pursuant to Sec 211 of the Companies Act)

A) CONSTRUCTION CONTRACTS (AS -7) :

(Rs. In lakhs)

- In terms of Accounting Policy No. A(iv) Contract Revenue of Rs. 29082.93 Lakhs (previous year Rs.19605.73 lakhs) is recognized as per AS-7 (Construction Contracts), based on the percentage completion of works, as certified by a Technical Committee.
- Aggregate amount of costs incurred and recognized profits
(Less Recognized losses) up to 31.03.2011 161695.31
- Advances received (Net) 36560.73
- Gross amount due from customers 62988.01
- Gross amount due to customers NIL
- Retentions, if any NIL
- The estimates of total costs and total revenue in respect of construction contracts are reviewed and updated periodically during the year and necessary adjustments are made in the current year's account.

B) EMPLOYEE BENEFITS- (AS-15):

- The Company makes contribution on monthly basis towards Provident Fund to Employees Provident Fund Trust and Pension contribution to EPFO and the same is charged to the Profit and Loss Account.
- Gratuity is a funded Defined Benefit Plan payable to the qualifying employees on separation. It is managed by Employees Gratuity Fund through Employees Group Gratuity cum Life Assurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India. Company makes annual contribution to the Fund based on the present value of the Defined obligation and the related current service costs which are measured on actuarial valuation carried out as on Balance Sheet date. The liability has been assessed using Projected Unit Credit Method.

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

(जारी...)

ग्रेज्युटी के संबंध में बीमांकक द्वारा दिये गए लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र में निवल देयता को मान्यता दी गई वह निम्नवत् है:-

- i) 31-03-2011 तक डिफाइन्ड बेनिफिट आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य का अथ शेष तथा इति शेष का मिलान जो निम्नवत् है:-

(रु. लाखों में)

I. बेनिफिट आब्लिगेशन में परिवर्तन:	2010-11	2009-10
प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	9295.81	9606.37
ए) ब्याज लागत	743.66	768.51
बी) वर्तमान सेवा लागत	40.94	52.43
सी) प्रदत्त लाभ	2607.42	1001.75
डी) वास्तविक (लाभ) / हानि	13470.49	(129.75)
अवधि के अंत तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	20943.48	9295.81
II. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	2010-11	2009-10
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	9615.56	9735.15
ए) योजना परिसंपत्ति पर संभावित रिटर्न	855.72	882.16
बी) अंशदान	1379.56	
सी) प्रदत्त लाभ	2607.42	1001.75
डी) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ/हानि	शून्य	शून्य
अवधि के अंत तक योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	9243.42	9615.56
योजना परिसंपत्ति पर आब्लिगेशन की अधिकता	11700.06	(319.75)
III. लाभ/हानि लेखे के विवरण में व्यय की मान्यता	2010-11	2009-10
ए) वर्तमान सेवा लागत	40.94	52.43
बी) ब्याज लागत	743.66	768.51
सी) योजना परिसंपत्ति पर संभावित रिटर्न	855.72	882.16
डी) अवधि में मान्यता प्राप्त निवल वास्तविक (लाभ/हानि)	13470.49	(129.75)
लाभ हानि लेखे के विवरण में व्यय की मान्यता	13399.37#	(190.97)
IV. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ	2010-11	2009-10
ए) अवधि के अंत तक आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य	20943.48	9295.81
बी) अवधि के अंत तक योजना परिसंपत्तियों का स्वच्छ मूल्य	9243.42	9615.56
सी) वित्त पोषण की स्थिति	(11700.06)	319.75
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	11700.06	(319.75)
V. 31 मार्च 2011 पर योजना संपत्तियों की प्रमुख श्रेणी	शून्य	
VI. प्रमुख अवधारणाएँ	2010-11	2009-10
ए) छूट की दर	8%	8.0%
बी) वेतन वृद्धि दर	6%	8.0%

उपदान का भुगतान अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के परिणामस्वरूप, उपदान का भुगतान करने की सीमा 3.50 लाख रुपयों से 10 लाख रुपयों तक बढ़ाने से लाभ तथा हानि लेखे में चार्ज करने योग्य कुल व्यय 133.99 करोड़ रुपये हुआ है। यद्यपि, मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कुल व्यय का 1/5 भाग जो 26.80 करोड़ रुपये हैं वर्ष के लिए चार्ज किया गया है तथा बकाया राशि अगले चार वर्षों में की जाएगी।

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

(Contd....)

The net liability to be recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet as furnished by the Actuary in respect of Gratuity is given below :

- i) Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the defined benefit obligation as at the year ended 31.03.2011 are as follows :

(Rs. in lakhs)

I. Change in Benefit obligation :	2010-11	2009-10
Present value of obligation as at the beginning	9295.81	9606.37
a) Interest Cost	743.66	768.51
b) Current Service Cost	40.94	52.43
c) Benefits paid	2607.42	1001.75
d) Actuarial (gain) / loss	13470.49	(129.75)
Present value of obligation at the end of the period	20943.48	9295.81
II. Change in Fair value of plan assets	2010-11	2009-10
Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	9615.56	9735.15
a) Expected return on plan assets	855.72	882.16
b) Contributions	1379.56	
c) Benefits paid	2607.42	1001.75
d) Actuarial gain/loss on plan assets	NIL	NIL
Fair value of plan assets at the end of the period	9243.42	9615.56
Excess of Obligation over Plan Assets	11700.06	(319.75)
III. Expenses to be recognized in the statement of Profit & Loss a/c	2010-11	2009-10
a) Current service Cost	40.94	52.43
b) Interest Cost	743.66	768.51
c) Expected return on Plan Assets	855.72	882.16
d) Net Actuarial (gain)/loss recognized in the period	13470.49	(129.75)
Expenses to be recognized in the statement of Profit & Loss A/C	13399.37#	(190.97)
IV. Amounts to be recognized in the Balance Sheet	2010-11	2009-10
a) Present value of Obligation as at the end of the period	20943.48	9295.81
b) Fair value of Plan Assets at the end of the period	9243.42	9615.56
c) Funded Status	(11700.06)	319.75
Liability to be recognized in Balance Sheet	11700.06	(319.75)
V. Major Category of plan assets as at 31st March, 2011	NIL	
VI. Principal Assumptions	2010-11	2009-10
a) Discounting Rate	8%	8.0%
b) Salary Escalation rate	6%	8.0%

Consequent to the amendment to The Payment of Gratuity Act, 1972 enhancing the ceiling for payment of gratuity from Rs. 3.50 lakhs to Rs. 10 lakhs, the total expenditure chargeable to P&L Account is Rs.133.99 crores. However, as per Board's approval one fifth of the total expenditure amounting to Rs. 26.80 crores is charged for the year and the balance is to be charged in next four years.

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

(जारी...)

- ii) 31-03-2011 तक पूर्व कर्मचारियों के अल्प कालीन देयता के संबंध में उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया, यह 53.64 लाख रुपये (गत वर्ष 71.98 लाख रुपये) वर्तमान देनदारियों की प्रावधानों में शामिल किया गया।

सी) सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए एस-17):

कंपनी मुख्यतया इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एवं सेवा कार्य में जुड़ी हुई है और लेखा मानक एस-17 के प्रयोजन के लिए एक खण्ड के रूप में माना जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार का काफी हिस्सा भारत में सम्पन्न हुआ। भारत में व्याप्त स्थिति एक समान होती है, कोई अलग भौगोलिक खुलासे की आवश्यकता नहीं है।

डी) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस-18):

- i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

श्री वाई.एस. मर्या	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (एवं निदेशक (तकनीकी) 8-6-2010 तक)
श्री यू. विष्णुमूर्ति	निदेशक (वित्त) (30.06.2010 तक)
मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) संजीव लूम्बा	निदेशक (कार्मिक) (21-5-2010 से)
श्री एनएसएस प्रसाद राव	निदेशक (तकनीकी) (8-6-2010 से)
श्री शिवकुमार नोरि	निदेशक (वित्त) (21-07-2010 से)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को मेहनताना 69.14 लाख रुपये (अनुसूची एन-3) (गत वर्ष 46.81 लाख रुपये)

- ii) ईसीआईएल-रेपिस्कान एक साझा कंपनी (जेवी) है जिसमें ईसीआईएल का शेयर 49% है। वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी निर्णय लेने में जेवी पर ईसीआईएल का कोई प्रभाव नहीं है।

लेन देन का ब्यौरा :

विवरण	(रु. लाखों में)	
	2010-11	2009-10
माल क्रय	158.75	572.00
माल की बिक्री	317.02	2552.82
साझा कंपनी को की गई सेवायें	455.72	140.08
साझा कंपनी से प्राप्त सेवायें	374.04	355.68
एजेन्सी प्रबंधन (मानवशक्ति)	478.15	316.37
साझा कंपनी को देय	562.62	611.30
साझा कंपनी से प्राप्त राशियाँ	683.07	1821.17

ई) कमाई प्रति शेअर (एएस-20) :

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिये एस-20 के अनुसार कमाई प्रति शेयर निम्नप्रकार गणना की गई :

लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ (लाख रुपये)	2286.43
01.04.2010 को ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या (संख्या)	1633712
प्रत्येक शेयर आय की गणना के लिये ईक्विटी शेयरों की भारित औसतन संख्या (सं.)	1633712
ईक्विटी शेयर का सामान्य मूल्य - रु.	1000
कमाई प्रति शेयर (मूल एवं पतला) रु.	139.95

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

(Contd....)

- ii) Short term liability in respect of ex-employees as on 31.03.2011 not included above, amounting to Rs.53.64 lakhs (previous year Rs. 71.98 lakhs) has been included in Current Liabilities and Provisions.

C) SEGMENT REPORTING (AS-17) :

The company is engaged mainly in electronic products and services and considered as a single segment for the purpose of Accounting Standard AS-17. During the year under report, substantial part of the Company's business has been carried out in India. The conditions prevailing in India being uniform, no separate geographical disclosures are considered necessary.

D) RELATED PARTY DISCLOSURE (AS-18):

- i) Key Management Personnel :

Shri Y S Mayya	Chairman & Managing Director (also Director(T) upto 08.06.2010)
Shri U. Vishnumurthy	Director (F) (Upto 30.06.2010)
Shri Maj Gen (Retd) Sanjeev Loomba	Director (P) (from 21.05.2010)
Shri N.S.S Prasada Rao	Director (T) (from 08.06.2010)
Shri Shiv Kumar Nori	Director (F) (from 21.07.2010)

Remuneration to Key Management Personnel – Rs.69.14 lakhs (Refer Schedule N-3) (Previous year Rs.46.81 lakhs).

- ii) ECIL- Rapiscan Limited is a Joint Venture company (JV) in which the share holding interest of ECIL is 49%. ECIL has limited influence over the JV in making operating decisions.

Details of transactions :

(Rs. in lakhs)

Particulars	2010-11	2009-10
Purchase of Goods	158.75	572.00
Sale of goods	317.02	2552.82
Services rendered to JVC	455.72	140.08
Services received from JVC	374.04	355.68
Agency arrangements (manpower)	478.15	316.37
Amounts payable to JVC	562.62	611.30
Amounts receivable from JVC	683.07	1821.17

E) EARNINGS PER SHARE (AS-20):

Earnings per share as per AS-20 are calculated as shown below for the year ended 31.03.2011.

Net Profit after tax as per Profit and Loss Account (Rs. in Lakhs)	2286.43
Weighted Number of equity shares as on 01.04.2010 (Nos.)	1633712
Weighted average number of equity shares for calculation of earnings per share (Nos)	1633712
Nominal value of equity share –Rs.	1000
Earnings per share (Basic & Diluted) Rs.	139.95

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

(जारी...)

एफ) आय पर करों के लिये लेखांकन (एस-22) :

- i) एस-22 के अनुरूप 31-03-2011 को कंपनी ने 4103.24 लाख रुपये शुद्ध संचित आस्थगित कर परिसंपत्ति रिकार्ड किया है (गत वर्ष 4021.55 लाख रुपये)। आगे, चालू वर्ष से संबंधित 81.69 लाख रुपये (गत वर्ष 83.11 लाख रुपये) शुद्ध आस्थगित कर देयता वर्ष 2010-11 के लाभ व हानि लेखों में मान्यता प्राप्त की गयी है।
- ii) समय अंतराल की वजह से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं में सम्मिलित हैं :

(रुपये लाखों में)

आस्थगित कर के घटक	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
	परिसंपत्तियाँ	देयताएँ	परिसंपत्तियाँ	देयताएँ
मूल्यहास		4111.19		3836.28
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	0.00		274.24	
संदिग्ध ऋण तथा अग्रिम के लिये प्रावधान	481.13		655.47	
वेतन संशोधन बकाया	73.36		620.16	
43 बी डिसअलवेन्सस	12025.92		13303.25	
अन्य	1528.46		814.72	
आगे लाई गई हानि	2354.97			
कुल	16463.82	4111.19	15667.84	3836.28
आस्थगित कर परिसंपत्ति	4103.24		4021.55	

जी) प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ (एस-29) :

उत्पाद बिक्री पर 0.5 प्रतिशत वारंटी व्यय तथा पिछले साल की तरह निर्माण ठेके पर 2 प्रतिशत के राजस्व को मान्यता देने संबंधी प्रावधान बनाए गये। वारंटी पर खर्च के लिये बनाए गए प्रावधान निम्न प्रकार हैं :

(रुपये लाखों में)

विवरण	उत्पाद बिक्री पर	एस-7 के अंतर्गत ठेके पर
01.04.2010 तक अथ शेष	645.25	1482.68
वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	384.70	404.31
इस्तेमाल की गई राशि (प्रावधान के विरुद्ध इनकरड एवं चार्जड)	-----	-----
अप्रयुक्त राशि रिवर्सड	219.67	212.12
31.03.2011 तक अंत शेष	810.28	1674.87

एच) संपत्ति की हानि (एस-28)

आंतरिक एवं बाह्य कारकों के मूल्यांकन पर जैसेकि आस्तियों की वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्तियों की ढुलाई लागत से कही अधिक है इसीलिये संपत्ति की हानि के लिये कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया।

आई) पट्टा कारबार (एस-19) :

- i) दिनांक 31.03.2011 को कंपनी की कोई परिसंपत्ति नहीं है जो अपने उपयोगार्थ पट्टे पर ली गई हो। ग्राहकों के अनुरोध पर पट्टा करार के अंतर्गत कतिपय परिसंपत्तियाँ प्राप्त की गयी हैं तथा उप-पट्टा करार के अंतर्गत संबंधित ग्राहकों को उप-पट्टे पर दी गयी हैं। ग्राहकों से प्राप्त 232.25 लाख रुपये पट्टा किराया आय तथा वर्ष 2010-2011 के लिये 68.74 लाख रुपये पट्टा वित्तीय कंपनियों को पट्टा किराया भुगतान लाभ तथा हानि खाते में क्रमशः आय एवं व्यय के रूप में दिखाया गया तथा क्रमशः "पट्टा किराये से आय" एवं "पट्टा किराया भुगतान" दर्शाया गया।

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

(Contd....)

F) ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22):

- i) Pursuant to AS-22, the Company had recorded a net cumulative deferred tax asset of Rs.4103.24 lakhs as on 31.03.2011 (previous year Rs.4021.55 lakhs), recognizing a net deferred tax asset of Rs.81.69 lakhs (previous year Rs.83.11 lakhs) in the Profit and Loss Account for the year 2010-11.
- ii) Major components of deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences are:

(Rs. in lakhs)

Components of Deferred Tax	AS ON 31.03.2011		AS ON 31.03.2010	
	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities
Depreciation		4111.19		3836.28
Voluntary Retirement Scheme	0.00		274.24	
Provision for Doubtful Debts and Advances	481.13		655.47	
Wage Revision Arrears	73.36		620.16	
43B Disallowances	12025.92		13303.25	
Others	1528.46		814.72	
Carry forward loss	2354.97			
TOTAL	16463.84	4111.19	15667.84	3836.28
DEFERRED TAX ASSET	4103.24		4021.55	

G) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS –(AS-29):

Provision is made for warranty expenditure at 0.5% on product sales and at 2% on revenue recognized on construction contracts as in the previous year. The details of provision made towards the expenditure on warranty are as under :

(Rs. in lakhs)

Particulars	On product sales	On contracts under AS-7
Opening Balance as on 01.04.2010	645.25	1482.68
Provisions made during the year	384.70	404.31
Amounts used (i.e, incurred and charged against provision)	-----	-----
Unused amounts reversed	219.67	212.12
Closing balance as on 31.03.2011	810.28	1674.87

H) IMPAIRMENT OF ASSETS (AS-28):

Based on the assessment of internal and external factors, no provision for impairment of assets is considered necessary as the realizable value of assets is more than the carrying cost of the assets.

I) LEASE TRANSACTIONS(AS-19):

- i) The Company does not have any assets as on 31.03.2011, which are taken on lease for its own use. At the instance of the customers, computer systems have been acquired under lease agreements and are sub-leased to the respective customers under separate sub lease agreements. The lease rental income of Rs. 232.25 lakhs received from the customers and lease rental payments of Rs. 68.74 lakhs for the year 2010-11 to the lease financing companies are accounted for as Income and Expenditure respectively in the Profit & Loss Account and included under the heads "Income from Lease Rentals" and "Lease Rental Payments" respectively.

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

(जारी...)

9.44 लाख रुपयों की प्राप्तियों (गत वर्ष 87.67 लाख रुपये) के विरुद्ध कम्प्यूटर प्रणालियों को पट्टे पर लिये जाकर ग्राहकों को पुनः पट्टे पर दिये जाने के संबंध में 10.79 लाख रुपये (गत वर्ष 109.42 लाख रुपये) का भावी पट्टा किराया दायित्व है।

ii) 31.03.2011 को भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	
i)	एक वर्ष से ज्यादा नहीं	9.44
ii)	एक वर्ष से ज्यादा लेकिन 5 वर्षों से ज्यादा नहीं	शून्य
iii)	5 वर्षों से ज्यादा	शून्य

अवधि के लिए पूर्ण कंटेनेन्ट्स रेंट को आय के रूप में मान्यता दी गई शून्य

3. वीएटी :

वीएटी के बारे में लागू होनेवाली पद्धति जो भारतीय लेखापाल संस्थान द्वारा सुझाव दी गयी व्यावहारिक प्रतिबन्धों की दृष्टि से सख्ती से नहीं अपनाई जा सकी। यद्यपि, इस साल के परिणाम पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

4. सहायता अनुदान :

31-03-2011 को विभिन्न अनुसंधान एवं विकास पर व्यय न किया गया सरकारी सहायता अनुदान 2958.57 लाख रुपये (गत वर्ष 4510.54 लाख रुपये) चालू देयताएँ एवं प्रावधान - अनुसूची - "एल" के अंतर्गत निम्न समायोजन के पश्चात् :

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के अंत 31.03.2011	वर्ष के अंत 31.03.2010
i)	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ एवं समायोजन	74.53	2000.00
ii)	वर्ष के दौरान वापसी/आहरण	0.00	0.00
iii)	वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से खर्च किया :		
	ए) राजस्व मर्दे	1101.95	785.05
	बी) पूंजीगत मर्दे	524.55	206.02

5. मालसूचियाँ :

i) मालसूचियों में सम्मिलित है

ए) उप ठेकेदारों के पास की सामग्री 2114.75 लाख रुपये (गत वर्ष 7.74 लाख रुपये) तथा

बी) 43. लाख रुपये (गत वर्ष 57.60 लाख रुपये) मूल्य की तैयार माल जो प्रदर्शनी/अनुमोदन/प्रदर्शन के लिए भेजी गई।

ii) चालू कार्य एवं तैयार माल के मूल्य में कटौती :

वर्ष के दौरान चालू कार्य एवं तैयार माल के मूल्य में कटौती के विरुद्ध अबसालसेन्स 1.49 लाख रुपये रहा (गत वर्ष 16.02 लाख रुपये)

6. वर्ष के लिये बिक्री में शामिल

i) ग्राहकों के अनुरोध पर 641.38 लाख रुपये मूल्य का माल रोका गया जो सुपुर्दगी की स्थिति में हैं। आगे ग्राहकों के अनुरोध पर पहले

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

(Contd....)

Future lease rental obligation in respect of computer systems taken on lease and sub-leased to customers is Rs. 9.44 lakhs (Previous year Rs.87.67 lakhs), as against receivables of Rs.10.79 lakhs (previous year Rs.109.42 lakhs).

- ii) The quantum of future minimum lease payments as at 31.03.2011 is furnished below:

(Rs. in lakhs)

Sl.No.	Particulars	
i)	Not later than one year	9.44
ii)	Later than one year and not later than 5 years	NIL
iii)	Later than five years	NIL

The total contingent rents recognized as income for the period is NIL

3. VAT :

Treatment of VAT with reference to income and expenditure in Profit & Loss Account as suggested by ICAI could not be followed in view of practical constraints. However, there is no financial impact on the results for the year.

4. GRANTS-IN-AID :

Unspent balance of Government Grants-in-Aid for undertaking various Research & Development Projects of Rs.2958.57 lakhs as on 31.03.2011 (Previous year Rs.4510.54 lakhs) under Current Liabilities and Provisions – Schedule – L is after consideration of the following adjustments:
(Rs. in Lakhs)

Sl. No	Particulars	Year ended 31.03.2011	Year ended 31.03.2010
i)	Total receipts & adjustments during the year	74.53	2000.00
ii)	Refund/Withdrawals during the year	0.00	0.00
iii)	Actually utilized during the year towards:		
	a) Revenue Items	1101.95	785.05
	b) Capital Items	524.55	206.02

5. INVENTORIES:

- i) Inventory includes
- a) Material with sub contractors amounting to Rs. 2114.75 lakhs (previous year Rs.7.74 lakhs) and
 - b) Finished goods amounting to Rs. 43 (previous year Rs.57.60 lakhs) sent on Exhibition/ Approval/ Demonstration.
- ii) Reduction in value of Work-in-progress and Finished Goods:
- Reduction in value of Work-in-progress and finished goods towards obsolescence has been Rs. 1.49 lakhs during the year. (Previous year Rs.16.02 lakhs).

6. SALES FOR THE YEAR INCLUDE

- i) Goods which are in deliverable condition and are retained at the instance of the customers for an amount of Rs.641.38 Lakhs which are subsequently despatched. Further, goods retained in earlier

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

(जारी...)

वर्षों में 31-03-2011 तक 3046.32 लाख रुपये (गत वर्ष 3295 लाख रुपये) मूल्य का माल रोका गया जो प्रेषण के लिए तैयार है।

7. 8670.00 रुपये (कर एवं शुल्क को छोड़कर) प्रत्येक यूनिट की दर से भारतीय चुनाव आयोग को किये गए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की आपूर्ति पर राजस्व को मान्यता दी गई है जबकि भारतीय चुनाव आयोग के मूल्य समीक्षा समिति द्वारा मूल्य निर्धारण सिफारिश लंबित है। वर्ष 2006-07 से 248600 यूनिटों के संबंध में इसी मूल्य पर राजस्व को मान्यता दी गई।
8. कम्पनी ने आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास व्यय के अंतर्गत 2696.85 लाख रुपयों के व्यय को प्राथमिक स्तर से कार्यात्मक स्तर को पुनर्वर्गीकृत किया है।
9. एमएसटीडी परियोजना के लिए डेफर्ड क्रेडिट कार्ड शर्तों के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने ईसीआईएल रैफिस्कान लिमिटेड (जेवी-कंपनी) को 28.10 लाख रुपये देय है यह फुटकर लेनदार में शामिल है। जेवी कंपनी के साथ किये गए करार के अनुसार स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में मालबंदन के जरिये उतनी ही राशि ईसीआईएल सेक्यूरिटी के रूप में आफर करेगी जिससे कि प्रोक्यूरमेंट और सुपुर्दगी वित्तीय के लिए टर्म सुविधा प्राप्त कर सकें।
10. भारत डायनामिक्स लिमिटेड के आदेश के अनुसार दो एमसीवी और एक एमसीपी जिस पर बिक्री की मान्यता दी गई ग्राहक के अनुरोध पर पिछले 10 वर्षों से कंपनी के परिसर में रखी हुई है। आदेश को समाप्त करना है और आवश्यक प्रक्रिया जारी है।
11. अन्तिम निपटान लंबित होने के कारण 2006-07 से संबंधित डीएसईआरटी, बेंगलुरु से सेवा आय 194.04 लाख रुपयों (लगभग) को आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई।
12. वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के लिये (दिसंबर 2010 तक) कंपनी पर अमूल्यांकन टर्नओवर पर 2483.59 लाख रुपयों का डिफरेंशियल बिक्री कर पड सकता है जिसके लिये कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई, जैसे कि कंपनी को टैक्स फार्मस संग्रह करने का पूरा भरोसा है।

13. अन्य :

- i. एपीजीपीसीएल के शेयरों में निवेश करने के लिए तथा ऊर्जा एवं बोनस बिजली के स्थानांतरण के लिए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण से प्राप्त ब्याज रहित जमा राशि 128.64 लाख रुपयों को चालू देयताएँ एवं प्रावधानों (अनुसूची एल) में दर्शाया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप 01.04.2004 से अधिशेष/अधिक जनरेट की गई बिजली एपीजीपीसीएल को दे दिया गया क्योंकि उसे कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकी।

इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत एपी ट्रान्स्को बिलिंग चार्जस के लिए मांग कर रहा है, इसके अनुरूप 10.06.2003 से 31.03.2008 की अवधि के लिए उपयुक्त यूनिटों को दृष्टि में रखते हुए 149.26 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया। जैसेकि एपी ट्रान्स्को से कोई मांग नहीं होने के कारण वर्ष के लिए कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं मानी गई।

- ii. आकस्मिक देयताएँ :

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2011 को	31.03.2010 को
ए)	साख पत्र	14171.33	15235.62
बी)	न्यायालय/अधिनिर्णय के मुकदमों	337.30	307.39
सी)	सरकारी प्राधिकारियों से मांग और कंपनी के विरुद्ध दायर किये गए अपील तथा टेक्सेशन मामलों के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया	9512.87	12287.36
डी)	वर्ष 2002-03 से 2010-11 तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत वार्षिक टर्नओवर का 0.1% देय है।	904.35	766.18
ई)	अन्य	2190.72	1702.62

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

(Contd....)

years at the request of the customers worth Rs.3046.32 lakhs (Previous year Rs.3295 lakhs) are also awaiting dispatch as on 31.03.2011.

7. Revenue has been recognized on the supplies of EVMs to Election Commission of India at Rs. 8670 per unit (excluding taxes & duties), pending recommendation of the price by Price Review Committee of Election Commission of India. Revenue has been recognized at this price in respect of 248600 Units since 2006-07.
8. The Company has reclassified the expenditure of Rs.2696.85 lakhs from primary heads to functional heads under In house R&D expenditure.
9. Sundry Creditors include Rs.28.10 lakhs payable to ECIL Rapiscan Ltd., (JV Company) under deferred credit terms towards procurement of materials for MSTD Project. As per the agreement with JVC, ECIL has offered the same as security, by way of hypothecation, in favour of State Bank of Hyderabad, from whom JV secured term facility for financing the procurement and delivery to ECIL.
10. Two MCV and one MCP against the order of M/s. Bharat Dynamics Limited on which sale was recognized has been retained in the premises of the Company for more than 10 years at the request of the customer. The order was short closed and the necessary process is in progress.
11. Service income from DSERT, Bangalore of Rs. 194.04 lakhs (approx) pertaining to 2006-07, has not been recognized as income pending final settlement.
12. No provision is considered necessary in respect of the liability that may devolve on the Company on the differential sales tax of Rs. 2483.59 lakhs on the unassessed turnover for the years 2008-09 to 2010-11 (upto December, 2010) as the Company is confident of collecting the tax forms.

13. OTHERS:

- i. Rs. 128.64 lakhs received from Nuclear Fuel Complex by way of interest free deposit for investment in the shares of APGPCL and for transferring the energy and power entitlement including Bonus power is shown under Current Liabilities and Provisions (Schedule L). Consequent to Supreme Court Order, with effect from 01.04.2004 the surplus/excess power generated is surrendered to APGPCL as the same could not be utilized by the Company.

In pursuance of the demand for wheeling charges from APTRANSCO under Electricity Act, 2003, an amount of Rs.149.26 lakhs is provided in the books considering the number of units consumed for the period 10.06.2003 to 31.03.2008. No provision is considered necessary for the year as there is no demand from APTRANSCO.

- ii. Contingent liabilities: (Rs in Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010
a)	Letters of Credit	14171.33	15235.62
b)	Court/Arbitration cases	337.30	307.39
c)	Demands from Government authorities and appeals filed against the Company not provided for in respect of taxation matters.	9512.87	12287.36
d)	Cess payable under Section 441 A of the Companies Act, 1956 at 0.1% of the Annual Turnover from 2002-03 to 2010-11	904.35	766.18
e)	Others	2190.72	1702.62

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

(जारी...)

(रुपये लाखों में)

iii.	पूँजी खाते में पूरे न किये गए ठेकों की अनुमति राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं (निवल अग्रिम)	3466.47	2847.59
------	--	----------------	---------

iv. विदेशी विनिमय में व्यय (प्रावधान शामिल नहीं) (रुपये लाखों में)

विवरण	2010-11	2009-10
विदेशी यात्रा	88.46	62.51
कुल	88.46	62.51

v. निर्यातों द्वारा अर्जन (निर्यात समझे गए हैं) (रुपये लाखों में)

विवरण	2010-11	2009-10
निर्यात-उत्पाद	81.70	38.41
कुल	81.70	38.41

vi. फुटकर लेनदारों में 235.22 लाख रुपये सम्मिलित है जो माइक्रो एन्टरप्राइजस एवं लघु उद्योगों को देय है और उनके एमएसएमईडी स्टेटस पर आधारित है। 31-03-2011 तक मैक्रो एवं लघु उद्योगों से संबंधित प्रकटन निम्नप्रकार है :-

(रुपये लाखों में)

ए)	लेखा वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता भुगतान न की गई को प्रिंसपल राशि	235.22
बी)	लेखा वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष ब्याज देय	शून्य
सी)	लेखा वर्ष के अंतर्गत अपाइन्टेड दिनांक के बाद भुगतान सहित एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार ब्याज की राशि का भुगतान	शून्य
डी)	भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (भुगतान किया गया परंतु वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद) परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित ब्याज को समाहित किया गया	शून्य
ई)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अकूड तथा शेष भुगतान किये गए ब्याज राशि	शून्य
एफ)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिये देय ब्याज की राशि और आनेवाले वर्षों में भी शेष देय शून्य ब्याज राशि जो छोटे एन्टरप्राइजस को देय ब्याज राशि जो छोटे एन्टरप्राइजस को देय है।	शून्य

vii. फुटकर देनदारों, लेनदारों, अग्रिम प्राप्त/भुगतान को पुष्टि पत्र भेजे गए परंतु चन पुष्टियाँ प्राप्त हुई और तदनुसार कार्रवाई की गई।

viii. चालू वर्ष के वर्गीकरण को पृष्टि करने गत वर्ष के आंकड़े जहाँ भी आवश्यक माना गया था तो पुनः वर्गीकृत किये गए या तो उनको पुनः ढाला गया।

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

(Contd....)

(Rs. in lakhs)

iii.	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)	3466.47	2847.59
------	--	----------------	---------

iv. Expenditure in Foreign Currency (excluding provision) (Rs. in lakhs)

Particulars	2010-11	2009-10
Foreign Travel	88.46	62.51
TOTAL	88.46	62.51

v. Export Earnings: (including Deemed Exports) (Rs. in lakhs)

Particulars	2010-11	2009-10
Exports – Products	81.70	38.41
TOTAL	81.70	38.41

- vi. Sundry Creditors include an amount of Rs.235.22 lakhs being the outstanding due to Micro Enterprises and Small Enterprises to the extent of responses received from such undertakings as to their MSMED status. The disclosures relating to Micro and Small Enterprises as on 31.03.2011 is given below :

(Rs. in lakhs)

a)	The principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	235.22
b)	The interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	NIL
c)	The amount of interest paid in terms of section 16 of MSMED Act, 2006 along with the amount of payment made beyond the appointed day during the accounting year	NIL
d)	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	NIL
e)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	NIL
f)	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise	NIL

- vii. Letters were sent for confirmation of balances to Sundry Debtors, Creditors, Advance received/ paid and confirmations received have been dealt with accordingly.

- viii. Figures relating to previous year are either suitably regrouped or recast wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची 'क्यू' - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

14. तुलन पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य व्यापार रेखा-चित्र

(अधिसूचना संख्या जीएसआर 388 (ई) दिनांक 15-05-1995 के अनुसार)

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या 01149 दिनांक 11-04-1967 - आन्ध्र प्रदेश राज्य कोड : 01 तुलन पत्र तिथि : 31 मार्च, 2011

II. वर्ष के दौरान लगायी गयी पूंजी (राशि लाख रुपयों में)

सार्वजनिक इश्यू	--	आधिकार इश्यू	--
बोनस इश्यू	--	प्राइवेट प्लेसमेंट (भारत के राष्ट्रपति)	--

III. जुटाव की स्थिति और निधियों का नियोजन (राशि रुपये लाखों में)

कुल देयताएँ	221672.35	कुल आस्तियाँ	221672.35
निधियों के स्रोत :			
प्रदत्त पूंजी	16337.12	प्रारक्षित और अधिशेष	44298.77
शेयर पूंजी द्वारा अनिर्णित आबंटन	0.00	प्रतिभूति रहित ऋण	20071.76
प्रतिभूति सहित ऋण	13943.85	आस्थगित कर देयता (निवल)	0.00
निधियों का उपयोग :			
निवल नियत आस्तियाँ	13005.47	निवेश	164.64
निवल चालू आस्तियाँ	77378.15	फुटकर व्यय	0.00
संचयी हानियाँ	0.00	आस्थगित कर आस्ति (निवल)	4103.24

IV. कंपनी का निष्पादन (राशि लाख रुपयों में)

टर्नओवर एवं अन्य आय	143620.46	कुल व्यय	141383.78
+/- कर से पूर्व लाभ/हानि	2236.68	कर के बाद लाभ/हानि	2286.43
प्रति शेयर आय रुपयों में - मूल एवं पतला	139.95	लाभांश दर %	4.90

V. कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के व्यापक नाम (आर्थिक अर्थों के अनुसार) :

शीर्षक संख्या	एचएस कोड	आईटीसी (एचएस) संख्या	उत्पाद वर्णन
84.71 84.73 84.69 84.71	8471.20	847120.09	रियल टाइम के लिए कंप्यूटर आधारित सेवा, विशिष्ट और व्यापारिक उपयोग, सॉफ्टवेयर और परामर्शी सेवाएँ, अतिरिक्त पुर्जें और रखरखाव सेवाएँ और पर्सनल कंप्यूटर ।
85.25 85.28			महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रेडियो संचार प्रणाली, एचएफ/वीएचएफ/ यूएचएफ रिसेवर्स और ट्रांसमिटरों, सैटलाइट टीवी रिसेव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । विशेष एमडब्ल्यू संघटकों जैसे वीसीओ, आईसोलेटर्स, सक्चूलेटर्स, पीएलओएस स्विचेस, ऑम्प्लिफायर्स, फिल्टर्स आदि हैं। अभिकल्पना, विकास, गढ़ान, उत्पादन, आपूर्ति और संस्थापना के लिये विभिन्न प्रकार के एंटीना प्रणालियाँ ।
84.01 84.70 85.32 85.33 85.41 90.30 90.31 90.32 85.43 84.72 90.22	9022.19 9022.31	902221.00 854310.09 903289.04	औद्योगिक और विश्लेषक उपकरण, सुरक्षा प्रणालियाँ-सीसीटीवी फायर अलार्म और एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स, विशेष प्रणालियाँ और फाईबर ऑप्टिक आधारित प्रणालियाँ। हाईब्रिड माइक्रो सर्किट्स, टैटलम कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर संघटक. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स, तकनीकी सिरेमीक संघटक और पोटेंशियोमीटर्स । बिजली संयंत्र के लिये ई एस टी पैकेज, सर्वो प्रणालियों, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल प्रणालियों और औद्योगिक नियंत्रणों, डाटा एक्जिजिशन प्रणालियाँ, टेली-सुपरवाइजरी प्रणालियाँ, नियंत्रण और उपकरणिकरण उपस्करें।

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियाँ 'ए' से 'क्यू' तक लेखों का अंग बनती हैं ।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आंजनेयुलु एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

शिवकुमार नोरि
निदेशक (वित्त)

वाई एस मरया
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वी.एस. वेंकटेश्वर्लू
भागीदार
एम. नं.025805

स्थान : तिरुपति
दिनांक : 29.06.2011

Schedule 'Q' – Notes Annexed to and Forming Part of Accounts

14. BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

(As per notification No.GSR 388(E), dated 15.05.1995)

I. Registration Details

Registration No.01149, Dt.11.04.1967-AP State Code: 01 Balance Sheet Date: 31st March, 2011

II. Capital raised during the year (Amount in Rs. in Lakhs)

Public Issue	--	Rights Issue	--
Bonus Issue	--	Private Placement (President of India)	--

III. Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Lakhs)

Total Liabilities	221672.35	Total Assets	221672.35
Sources of Funds:			
Paid-up Capital	16337.12	Reserves & Surplus	44298.77
Share Money Pending Allotment	0.00	Unsecured Loans	20071.76
Secured Loans	13943.85	Deferred Tax Liability (Net)	0.00
Application of Funds:			
Net Fixed Assets	13005.47	Investments	164.64
Net Current Assets	77378.15	Misc. Expenditure	0.00
Accumulated Losses	0.00	Deferred Tax Asset (Net)	4103.24

IV. Performance of Company (Amount in Rs. Lakhs)


Turnover and Other Income	143620.46	Total Expenditure	141383.78
+/- Profit/Loss Before Tax	2236.68	Profit/Loss After Tax	2286.43
Earning Per Share in Rupees – Basic & Diluted	139.95	Dividend rate %	4.90

V. Generic Names of Principal Products/Services of the Company (as per monetary terms):


Heading Code	H.S. Code	I.T.C(H.S) No.	Product Description
84.71 84.73 84.69 84.71	8471.20	847120.09	Computer based System for Real time, Specific and Business Applications, Software and Consultancy Services, Spares and Maintenance Services and Personal Computers.
85.25 85.28			Radio Communication Systems to cater to Strategic Sectors comprising HF/VHF/UHF Receivers and Transceivers, Satellite TV receiver only and special MW components such as VCO, Isolators, Circulators, PLOs, Switches, Amplifiers, Filters, etc. Design, Development, Fabrication, Production, supply & erection of a variety of Antenna Systems.
84.01 84.70 85.32 85.33 85.41 90.30 90.31 90.32	9022.19		Industrial and Analytical Instruments, Security Systems comprising CCTV Fire Alarm and X-ray Baggage Inspection Systems, Electronic Energy Meters, Special Systems and Fiber Optic based systems. Hybrid micro-circuits, Tantalum Capacitors, Semiconductor Components, Printed Circuit Boards, Technical Ceramic Components and Potentiometers.
85.43 84.72 90.22	9022.31	902221.00 854310.09 903289.04	EAST Packages for Thermal Power Plants, Data Acquisition systems, Tele supervisory systems, Control and instrumentation equipment, Servo Systems, Electro mechanical systems and Industrial Controls.

Accounting Policies, Schedules A to Q form part of the Accounts

for and on behalf of the Board


SHIV KUMAR NORI
Director (Finance)


Y S MAYYA
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
for **ANJANEYULU & Co**
Chartered Accountants

V.S. VENKATESWARLU
Partner
M No. 025805

Place: Tirupati
Date : 29-06-2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये लाखों में)

	2010-11	2009-10
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर के पहले निवल लाभ/(हानि) एवं असाधारण मर्दे	2236.68	5441.80
निम्न के लिए समायोजन :		
मूल्यहास	881.83	848.90
विदेशी मुद्रा	-226.72	-783.74
अन्य आय	0.00	0.00
ब्याज व्यय	2848.57	2029.78
प्राप्त लाभांश	-44.10	-44.10
नियत आस्तियों को बेचने पर लाभ/हानि	-1.05	-0.02
आस्तियों का अपूँजीकरण /बट्टे खाते डाले गये	0.00	1.12
अल्पावधि जमा आवतियों पर प्राप्त ब्याज	-1734.83	-1650.24
चालू पूँजी परिवर्तनों के पहले प्रचालन लाभ	3960.38	5843.50
मालसूचियों में वृद्धि/कमी	3807.08	-6786.89
फुटकर देनदारों में वृद्धि/कमी	-2142.41	1855.99
ऋणों एवं अग्रिमों वृद्धि/कमी	-3113.01	2862.18
चालू देयताओं में वृद्धि/कमी	-11784.29	9620.90
प्रावधानों में वृद्धि/कमी	465.74	1535.91
प्रचालनों से उत्पन्न नकद	-8806.51	14931.59
भुगतान किया सीधा कर	759.98	-1792.70
प्राप्त किया गया अनुदान	74.53	2000.00
वापस किया अनुदान	0.00	0.00
अनुदान उपयोगिता	-1101.95	-785.05
असाधारण मर्दों के पहले नकदी प्रवाह	-9073.95	14353.84
असाधारण मर्दे	--	--
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	-9073.95	14353.84
बी. निवेश प्रचालनों से नकद प्रवाह		
नियत आस्तियों का क्रय (524.55 लाख रुपयों के अनुदान से सम्मिलित)	-1814.85	-1416.18
नियत आस्तियों की बिक्री	3.19	1.01
कंपनियों का अधिग्रहण	--	--
मार्गस्थ नियत आस्तियाँ एवं पूँजी कार्य प्रगति में	1503.61	-4256.23
निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त राशि	--	--
प्राप्त ब्याज	1584.90	1929.16
प्राप्त लाभांश	44.10	44.10
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	1320.95	-3698.14
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूँजी की जारी से वृद्धि	0.00	0.00
बैंकों से सावधि ऋण से वृद्धि	8916.42	-152.75
वित्तपट्टा देयताओं की पुनः अदायगी	--	--
ब्याज व्यय	-2796.65	-2121.81
प्रदत्त लाभांश	-1470.34	-471.93
प्रदत्त लाभांश कर	-244.21	-80.20
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	4405.22	-2826.69
नकद एवं नकद तुल्यमान में शुद्ध वृद्धि	-3347.78	7829.01
नकद एवं नकद तुल्यमान (अथ नकद शेष)	31147.46	23318.45
नकद एवं नकद तुल्यमान (इति नकद शेष)	27799.68	31147.46

टिप्पण : 1. ब्याज, लाभांश, निवेश/नियत आस्तियों का क्रय एवं बिक्री तथा करों को छोड़कर जो नकद के वास्तविक चलन के आधार पर विचार किये गये हैं, आस्तियों एवं देयताओं में संबंधित समायोजन के साथ अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत उपर्युक्त विवरण तैयार किया गया है।

2. अनुसूची "जे" में दर्शाए अनुसार "नकद एवं नकद तुल्यमान" में रोकड शेष, बैंक में शेष एवं जमा राशि सम्मिलित है।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते आंजनेयुलु एण्ड कंपनी

सनदी लेखापाल

कृते एवं बोर्ड की ओर से

शिवकुमार नोरि
निदेशक (वित्त)

वाई एस मय्या
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वी.एस. वेंकटेश्वर्लू
भागीदार
एम. नं.025805

स्थान : तिरुपति

दिनांक : 29.06.2011

CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2011

(Rupees in Lakhs)

	2010-11	2009-10
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
NET PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX & EXTRAORDINARY ITEMS	2236.68	5441.80
Adjustments for :		
Depreciation	881.83	848.90
Foreign exchange	-226.72	-783.74
Other income	0.00	0.00
Interest expense	2848.57	2029.78
Dividends received	-44.10	-44.10
Profit/Loss on sale of fixed assets	-1.05	-0.02
W-off/decapitalisation of assets	0.00	1.12
Interest received on Short Term Deposit Receipts	-1734.83	-1650.24
Operating profit before Working Capital changes	3960.38	5843.50
Increase/Decrease Inventories	3807.08	-6786.89
Increase/Decrease Sundry debtors	-2142.41	1855.99
Increase/Decrease Loans and advances	-3113.01	2862.18
Increase/Decrease Current liabilities	-11784.29	9620.90
Increase/Decrease Provisions	465.74	1535.91
Cash generated from operations	-8806.51	14931.59
Direct taxes paid	759.98	-1792.70
Grants received	74.53	2000.00
Grant returned	0.00	0.00
Grants utilisation	-1101.95	-785.05
Cash flow before extraordinary items	-9073.95	14353.84
Extraordinary items	--	--
Net cash from operating activities	-9073.95	14353.84
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of fixed assets(including from grant Rs.524.55 lakhs)	-1814.85	-1416.18
Sale of fixed assets	3.19	1.01
Acquisition of companies	--	--
Fixed assets in transit and capital work in progress	1503.61	-4256.23
Amt. received on maturity of Investments	--	--
Interest received	1584.90	1929.16
Dividend received	44.10	44.10
Net cash from investing activities	1320.95	-3698.14
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from issue of Share Capital	0.00	0.00
Proceeds from term loan from Banks	8916.42	-152.75
Repayment of finance lease liabilities	--	--
Interest expense	-2796.65	-2121.81
Dividend paid	-1470.34	-471.93
Dividend tax paid	-244.21	-80.20
Net cash used in financing activities	4405.22	-2826.69
Net increase in cash and cash equivalents	-3347.78	7829.01
Cash and cash equivalents (Opening Balance)	31147.46	23318.45
Cash and cash equivalents (Closing Balance)	27799.68	31147.46

Note: 1. The above statement has been prepared under indirect method except in case of interest, dividend, purchase and sale of investments/ Fixed Assets and Taxes, which have been considered on the basis of actual movement of cash, with corresponding adjustments in Assets and Liabilities.

2. "Cash and Cash equivalents" consists of Cash on hand, Balances with Banks and Deposits as shown in Schedule 'J'.

for and on behalf of the Board




SHIV KUMAR NORI
Director (Finance)



Y S MAYYA
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
for **ANJANEYULU & Co**
Chartered Accountants



V.S.VENKATESWARLU
Partner
M No. 025805

Place: Tirupati
Date : 29-06-2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध-III

कंपनी द्वारा उत्तर

प्रति

सदस्य

इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड

हैदराबाद

हमने 31 मार्च, 2011 को संलग्न इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के तुलन पत्र एवं उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिये और उसके साथ अनुबंधित लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

ए) हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की। ये मानक अपेक्षित करते हैं कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करते हैं ताकि सभी द्रव्यात्मक विषयों में पहचानी हुई रिपोर्टिंग ढांचा के अनुसार नया वित्तीय विवरण बनाये जाते हैं तथा द्रव्यात्मक कुछ विवरणों से मुक्त होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करें। लेखा परीक्षा में शामिल है, परीक्षण आधार पर परीक्षा करना, राशि के समर्थन में तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के साक्ष्य। लेखा परीक्षा में यह भी शामिल है कि समूचे वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रयोग किये गये लेखांकन सिद्धान्तों का तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए अपनी लेखा परीक्षा समुचित आधार बनती है।

बी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसार कंपनी विधि मंडल द्वारा जारी विनिर्माण एवं अन्य कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार, हम उक्त आदेश के पैरे 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण अनुबंध में अनुलग्न करते हैं।

सी) उक्त पैरा ("बी") में निर्देश अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अलावा, निम्न मद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

- 1) 8670 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ईवीएम की आपूर्ति से प्रदान करने संबंधित अनुसूची "क्यू" में टिप्पणी संख्या 7 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जबकि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा अंतिम मूल्य निर्धारण लम्बित है।

मान्यता प्राप्त राजस्व की पूरी राशि को कम्पनी में प्राप्त किया गया है।

AUDITORS' REPORT

Annexure- III to the Directors' Report

To
The Members of
Electronics Corporation of India Limited
Hyderabad.

Company's Replies

We have audited the attached Balance Sheet of **Electronics Corporation of India Limited (ECIL)**, Hyderabad, as at 31st March, 2011 and the related Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- A) We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- B) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Central Government of India in terms of Section 227(4A) of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we annex hereto a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.
- C) Further to our comments in the annexure referred to in paragraph (B) above, attention is invited to the following:
- 1) Note No: 7 In Schedule 'Q' regarding Recognition of Revenue on provisional basis / pending recommendation of the final price by the Price Review Committee in respect of Electronic Voting Machines at Rs.8670 per unit for supplies.

The Company has been receiving in full the amount of revenue recognized.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- 2) आंतरिक अनुसंधान एवं विकास व्यय के अंतर्गत 2696.85 लाख रुपयों के खर्च को प्राथमिक शीर्ष से कार्यकारी शीर्ष में पुनः वर्गीकरण से सम्बन्धित अनुसूची 'क्यू' में टिप्पणी सं 8 देखें। हम प्रबन्धन द्वारा दिये गये सूचना पर निर्भर है और जिसे प्रकटीकरण उद्देश्य के लिये स्वीकृत किया है।
- 3) एपीजीपीसीएल में निवेश करने के उद्देश्य से एनएफसी से 128.64 लाख रुपये डिपाजिट प्राप्त करने संबंधी अनुसूची 'क्यू' में टिप्पणी संख्या 13 (i) देखें। शेयरों तथा स्वामित्व से सम्बन्धित एनएफसी तथा कंपनी के बीच मुद्दों पर लम्बित समझौता, इस तरह की जमाराशि को "चालू देयताओं" के रूप में दर्शाया गया।
- 4) वैट लेखांकन के लिये भारत की सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के नोट से विचलन सम्बन्धी अनुसूची "क्यू" में टिप्पणी संख्या 3 देखें।
- 5) टिप्पणी संख्या 6 : कंपनी के अभिरक्षण में स्टॉक है जिसे रिटेन्शन आधार पर वित्तीय वर्ष 2002-03 (1517.40 लाख रुपये) 2003-04 (1040.92 लाख रुपये) 2004-05 (344.88 लाख रुपये), 2009-10 (143.12 लाख रुपये), 2010-11 (641.38 लाख रुपये) की बिक्री की गई, कुल 3687.70 लाख रुपये 31.03.2011 तक प्रेषण के लिये तैयार है। ("राजस्व मान्यता" पर लेखांकन नीति ए)
- 6) कंपनी ने प्राप्त किये गये कार्य आदेशों को निर्माण ठेके (एस-7) एवं उत्पादों की आपूर्ति/सेवाएँ (एस-9) की तरह अलग किया है, हमें एस-7 के अंतर्गत प्रबन्धन की प्रमाणिकता के अनुसार प्रतिशत पूरा होने का भरोसा है।
7. फुटकर देनदार, फुटकर लेनदार ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम, ई एम डी एवं सुरक्षा जमाएँ, वसूली योग्य दावे तथा अन्य राशियाँ जो प्रदत्त / प्राप्त हैं दीर्घकालीन पेन्डिंग हैं। इस दृष्टि से वसूली योग्यता / देयता पर तथा लाभ व हानि विवरण पर उसके प्रभाव पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

कंपनी द्वारा उत्तर

अनुसंधान एवं विकास व्यय की पहचान की गयी है और वर्गीकृत किया गया और इसका अभ्यास लगातार किया जा रहा है।

संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित टिप्पणियाँ तथ्यात्मक एवं स्वतः स्पष्ट हैं।

संदर्भित नोट स्वतः स्पष्ट है। वर्ष के परिणामों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं है।

सभी मर्दे ग्राहक विनिर्दिष्ट थे तथा जहाँ भी पूर्व निरीक्षण शर्त लागू है तथा सुपुर्दगी के लिए तैयार है, निरीक्षण किये गये। आज के दिनांक तक मान्यता प्राप्त कुल रिटेन्शन बिक्री में से 641.38 लाख रुपयों की सामग्री पहले ही भेज दी गयी है।

कंपनी ने बकाया देय के लिए समीक्षा तंत्र को विकसित किया तथा बकाया देय की समीक्षा, पुष्टि एवं वसूली हेतु सभी प्रभागों के प्रधानों एवं विपणन प्रभारियों के साथ आवधिक समीक्षा की जाती है।

AUDITORS' REPORT

Company's Replies

- | | |
|---|--|
| <p>2) Note no. 8 in Schedule 'Q' regarding reclassification of expenditure of Rs.2696.85 Lakhs from primary heads to functional heads under in-house R&D expenditure. We have relied on the information given by the management and accepted the same for the disclosure purpose.</p> | <p>R&D expenditure has been identified and reclassified and the practice is being followed consistently.</p> |
| <p>3) Note No 13 (i) in Schedule 'Q' regarding Deposit of Rs.128.64 Lakhs received from NFC for the purpose of Investment in APGPCL. Pending settlement of issues between NFC and the Company with reference to investment in shares and its ownership, the amount deposited has been exhibited under "Current Liabilities".</p> | <p>The note referred to by the Statutory Auditors is factual and self-explanatory.</p> |
| <p>4) Note No 3 in Schedule 'Q' regarding deviations from the Guidance Note issued by Institute of Chartered Accountants of India for VAT accounting.</p> | <p>The note referred is self-explanatory. It has no financial impact on the results for the year.</p> |
| <p>5) Note No. 6: The company is having the stock in its custody which are sold on retention basis for financial year 2002-03 (Rs 1517.40 Lakhs); 2003-04 (Rs 1040.92 Lakhs); 2004-05 (Rs 344.88 Lakhs); 2009-10 (Rs.143.12 Lakhs) 2010-11 (Rs.641.38 Lakhs)- aggregating to Rs.3687.70Lakhs, awaiting dispatch as on 31.03.2011 (Accounting Policy A on "Revenue Recognition")</p> | <p>All the items were customer specific and inspected wherever pre-inspection clause is applicable and ready for delivery. They were retained on customers' specific requests. As on date, out of the total retention sales recognized, an amount of Rs.641.38 lakhs have already been dispatched.</p> |
| <p>6) The company bifurcated the work orders received into construction contracts (AS 7) and supply of products/ services (AS 9), we have relied on the percentage completion of the projects under AS-7 as certified by the management.</p> | |
| <p>7) The balances appearing under Sundry Debtors, Sundry Creditors, Advances to Suppliers, Advances from Customers, EMDs and Security Deposits, claims recoverable and other amounts paid/ received are long pending. <i>We are unable to comment on the recoverability/ liability and the impact of the same on the profit and Loss statement.</i></p> | <p>The Company has developed a review mechanism for outstanding dues and periodical review is taken up with all the heads and marketing In-charges of the Divisions for review, confirmation and collection of outstanding dues.</p> |

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

8. अनुसूची 'क्यू' के संदर्भ नोट 13 (vi) के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार प्रकटीकरण हमने प्रबन्धन द्वारा दिये गये सूचना पर विश्वास किया है और प्रकटीकरण के लिये इसे स्वीकृत किया है।
9. विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त राशि विवादों में घिरी है इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेषकर आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर दावे, हम इस पर टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कंपनी पर अंतिम देयता पर भार पड सकता है और कंपनी द्वारा दिये गए वक्तव्य पर भरोसा किया गया और ये मामले न्यायालय के विचाराधीन है।

डी) वित्तीय विवरण 2010-11 पर हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं :

- 1) टिप्पणी संख्या 2 (बी) (1) अनुसूची "क्यू" में राशि आईसीआई द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 15 (कर्मचारी लाभ) के अनुसार कंपनी को कुल उपदान दायित्व राशि 133.99 करोड रुपये मुहैया कराना है जबकि कंपनी ने केवल 26.80 करोड रुपये ही प्रभारित किया है। यदि पूरी राशि लाभ और हानि खाते में चार्ज किया होता तो कर से पहले लाभ 22.36 करोड रुपये, 84.83 करोड रुपये हानि में परिवर्तित हो जाते।

उपदान अधिनियम, 1972 के संशोधन के परिणामस्वरूप 24 मई, 2010 से सीलिंग सीमा को 3.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये किया गया, बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार लाभ हानि खाते में 31 मार्च, 2011 तक 133.99 करोड रुपये प्रभार्य किये गये। यह देयता कर्मचारियों की पहली सेवाओं के संबंध में है और यह प्रावधान अधिक होने के कारण एक वित्त वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिये आरबीआई, इरडा, बीमा कंपनियों को सादृश्य लेकर इस देयता को मार्च, 2011 से 5 वर्षों में पूरा करने का है, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने उपदान दायित्व के पांचवे हिस्से का भुगतान किया है। जहाँ तक उपदान भुगतान का संबंध है बैंक एवं बीमा कंपनियों का परिदृश्य एक समान है और कंपनियाँ, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शामिल है।

ई) हमारे उपरोक्त टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- ए) हमने वह सारी सूचना और सभी स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे;

AUDITORS' REPORT

- 8) Refer Note No. 13(vi) of schedule 'Q' regarding disclosure as per section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, we have relied on the information given by the management and accepted the same for the disclosure purpose.
- 9) Considering the substantial amounts involved in disputes at different levels particularly relating to Income Tax, Sales Tax, excise, service tax, etc, we are not in a position to comment on the ultimate liability that may devolve on the company and as such the treatment given by the company showing Contingent Liability has been relied upon by us, as the issues are sub-judice.

D) Further to the above, our comments on the Financial Statements of 2010-11 are as under.

1. **Note No: 2(B)(i) in Schedule 'Q' The Company has charged an amount of Rs.26.80 Crores only against the total gratuity liability amount of Rs.133.99 Crores to be provided as per the Accounting Standard 15 (Employee Benefits) issued by ICAI. Had the entire amount been charged to the Profit and Loss Account, the profit before tax of Rs.22.36 Crores would have become a Loss of Rs.84.83 Crores.**

Consequent to the amendment to The Payment of Gratuity Act, 1972 increasing the ceiling limit from Rs. 3.5 lakhs to Rs. 10 lakhs with effect from 24th May, 2010, the total amount chargeable to Profit & Loss Account, as per actuarial valuation, as on 31st March, 2011 is Rs.133.99 crores. As the substantial increase in liability pertains to the services of the employees of earlier years and the said provision is too huge to be met in a single financial year, drawing analogy from RBI & IRDA guidelines to Banks and Insurance Companies respectively, to amortise the liability over five years beginning March, 2011 the Company has charged one fifth of the gratuity liability during the current financial year, since the scenario of Banks and Insurance Companies with respect of Gratuity is same with that of the Company and the accounting treatment should conceptually remain same irrespective of the nature of industry, i.e., Companies incorporated under Companies Act, 1956 or otherwise.

E) Subject to our above comments, we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- बी) हमारे विचार में, जहाँ तक कंपनी की लेखा पुस्तकों से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित ढंग से उचित लेखा पुस्तकें रखीं ;
- सी) इस रिपोर्ट में निर्देशित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं ;
- डी) हमारे विचार में, तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 सी में उल्लिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं **बजाय उस सीमा तक उन व्यतिक्रमों की उक्त पैरा डी में अभिव्यक्ति की गयी ।**
- ई) विधि मंत्रालय, न्याय तथा कंपनी के मामले द्वारा जारी परिपत्र सं. 8/2002 दि.22-03-2002 के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान के अनुसार यह कंपनी को लागू नहीं है, क्योंकि यह सरकारी कंपनी है।
- एफ) हमारी सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत लेखों के प्रयोजनार्थ तथा उप कर की वसूली हेतु केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं की।
- जी) हम सूचित करते हैं कि उक्त पैरा सी के 5 से 9 पर विचार के बिना जिनका प्रभाव निश्चित न किया जा सकता है या जहाँ हम किसी भी राय को व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है या जहाँ प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना पर हम विशस्त हो गये, पैरा “डी” के अंतर्गत हमारे द्वारा की गयी टिप्पणी पर विचार किया गया ;
- कुल व्यय 122077.54 लाख रुपये के बजाय 132797.04 लाख रुपये होता ;
 - वर्ष के लिए कर से पहले लाभ 2236.68 लाख रुपये के बजाय 8482.82 लाख रुपये हुआ होता ;
 - चालू देयताएँ एवं प्रावधान 127020.85 लाख रुपयों के बजाय 137740.35 लाख रुपये होता ;

कंपनी द्वारा उत्तर

AUDITORS' REPORT

Company's Replies

- b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books,
- c. The Balance Sheet, the Profit & Loss account and Cash Flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section 3C of Section 211 of the Companies Act, 1956 **except to the extent of the deviations expressed in paragraph D above.**
- e. As per circular No.8/2002, dated 22.03.2002 issued by the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, the provisions of section 274 (I)(g) of the Companies Act, are not applicable to the Company, as it is a Government Company.
- f. According to our information, the Central Government has not issued any Notification for the purpose of levy and collection of cess under section 441A of the Companies Act, 1956.
- g. **We report that without considering items 5 to 9 of Para-C above, the impact of which could not be determined or where we have relied on the information given by the management, had the other observations made by us under Para D above been considered;**
 - **Total Net expenditure would have been Rs.132797.04 Lakhs instead of Rs.122077.54 Lakhs;**
 - **Profit before tax for the year would have been Rs.(8482.82) Lakhs instead of Rs.2236.68 Lakhs;**
 - **Current liabilities & Provisions would have been Rs.137740.35 Lakhs as against Rs.127020.85 Lakhs;**

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एच) हमारे विचार में और हमारी जानकारी तथा हमको प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे के अंगीभूत टिप्पण एवं लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर, और आगे निर्देशित अनुबंध पैरा-“बी” में हमारी टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर और आगे पैरा-“डी” में प्रस्तुत हमारी टिप्पणियों के अध्याधीन तथा तदनुसार लेखे पर उसके संचित प्रभाव के फलस्वरूप, मात्रागण निर्धारण किये जाने योग्य सीमा तक पैरा ई (जी) में बनाया गया, कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षानुसार और उपेक्षित ढंग से भारत में सामान्य तथा स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों की पुष्टि की सही एवं उचित ढंग से समाचार देते हैं कि:

- ए) जहाँ तक तुलन पत्र के संबंध में हैं 31-03-2011 को कंपनी के स्थिति-विवरण के बारे में,
- बी) जहाँ तक लाभ-हानि खाते का संबंध है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष की लाभ के बारे में ; तथा
- सी) जहाँ तक नकदी प्रवाह विवरण का सम्बन्ध है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करते हैं।

कृते आंजनेयुलु एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल
एफ आर एन:000180S

(वी. एस. वेंकटेश्वर्लू)
भागीदार
एम. नं. 025805

स्थान : तिरुपति (शिविर)
दिनांक : 29.06.2011

कंपनी द्वारा उत्तर

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(वाई.एस. मय्या)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26.08.2011

AUDITORS' REPORT

- h. In our opinion and to the best of our opinion and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the accounting policies and notes forming part of accounts, further, read with our comments in the Annexure referred to in paragraph B and **subject to our comments given in paragraph D and the cumulative consequent effect thereof on the accounts to the extent quantified, as stated in paragraph E(g) above**, give the information as required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31.03.2011.
 - b) in case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
 - c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For ANJANEYULU & CO
Chartered Accountants,
FRN: 000180S

(V.S.VENKATESWARLU)
Partner
M.No. 025805

Place: Tirupati (Camp)
Date: 29th June, 2011

Company's Replies

For and on behalf of the
Board of Directors

(Y S MAYYA)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: Hyderabad
Date: 26th Aug, 2011

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ “बी” में अनुबन्ध का संदर्भ लें

कंपनी द्वारा उत्तर

i. ए) स्थिर परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण के साथ पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हुए कंपनी ने समुचित रिकार्ड रखा है।

बी) प्रबंधन के अनुसार सभी स्थिर परिसंपत्तियों का तीन वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करने का कंपनी का चरणवार कार्यक्रम है और अगला स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2008-09 में होनेवाला था। जिस के लिए एक बाहरी एजेन्सी को रखा गया जिसने कार्यक्रम के अनुसार सत्यापन कार्य पूरा किया और विभेदों तथा अनसर्वीसेबल तथा अबसोलेट मदों के बारे में रिपोर्ट दिया। चन प्रभागों ने मिलान के बाद मूल्यों के समायोजन की पुष्टि की तथा तदनुसार 782.15 लाख रुपयों के सकल मूल्य का समायोजन किया गया और इसके परिणामस्वरूप नेट बुक वैल्यू में 0.01 लाख रुपयों को बढ़े खाते डाला गया।
यथा दिनांक सत्यापन के दौरान पाये गए विभेदों को पुनःमिलान एवं पुष्टि की जानी है।

सी) कंपनी ने अपने स्थिर परिसंपत्ति से कोई बड़ा हिस्सा नहीं बेचा है जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

ii. ए) वर्षांत में, तैयार स्टॉक तथा निर्माणाधीन स्टॉक का प्रबन्धन ने प्रत्यक्षतः सत्यापन किया है। ए. और बी. दर्जे की कच्ची सामग्री भण्डार एवं तीसरे पक्षकारों के यहाँ पड़ी सामग्री को छोड़कर अतिरिक्त पुर्जे प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान दो बार प्रत्यक्षतः सत्यापित किये गये हैं। वर्ष के दौरान ‘सी’ दर्जे के मदों का सत्यापन संबंधित प्रभागीय भंडार द्वारा किया गया **यह सलाह दी जाती है कि कुछ “सी” दर्जे के मदों का सत्यापन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना है जो भंडार से संबंधित न हो।**

बी) हमारे विचार में, कंपनी द्वारा स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु अनुसरण की जानेवाली कार्यविधियाँ उक्त पैरा (ii) (ए) के साथ पढ़े जाने पर तर्कसंगत हैं और कंपनी के कलेवर तथा उसके कारोबार के स्वभाव के अनुरूप हैं।

अनुसूची “ई” टिप्पण संख्या 4 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है। आँचलों के स्थिर संपत्तियों की जाँच की गयी जिसे आँचलिक आपरेशन्स के लेखा परीक्षा के लिये नियुक्त किये गये सनदी लेखापालों के बाह्य फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा के स्कोप में शामिल किया गया। आगे, समायोजन/डाक्युमेंटेशन कार्य किया जा रहा है।

लेखा परीक्षकों के सुझावों पर ध्यान दिया जाता है।

Annexure referred to in Paragraph B of our report of even date

Company's Replies

- i. a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

- b) The Company has a phased programme of physical verification of all fixed assets once in three years which has fallen due from 2008-09 for which purpose the company engaged external agency who have carried out physical verification and reported discrepancies and also reported unserviceable and obsolete items. Certain divisions have after reconciliation confirmed the values to be adjusted and accordingly adjustments have been carried out for gross value of Rs.782.15 Lakhs resulting in a write off of Rs.0.01 Lakhs being the net book value. **As on date certain differences noticed on physical verification which are yet to be reconciled and confirmed.**

- c) The company has not disposed of major part of fixed assets having effect on going concern.

- ii. a) According to the explanation and information given to us, finished goods and work in progress have been physically verified by the management at the year end and A and B class items of Raw materials, stores and spares excluding materials lying with third parties and branches have been physically verified by the management thrice during the year and **'C' class items have been verified during the current year by the respective divisional stores. It is advisable that the verification of certain 'C' class items also may be got done every year by persons not related to the stores.**

- b) In our opinion, the procedures of physical verification of stocks followed by the Company read with para (ii) (a) above are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and nature of its business.

Reference is invited to Note No. 4 of Schedule "E". The fixed assets at Zones have been verified as included in the scope of audit by the external firms of Chartered Accountants appointed for audit of zonal operations. Further, adjustments/ documentation are being carried out.

The observations of the Audit are noted.

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ “बी” में अनुबन्ध का संदर्भ लें

कंपनी द्वारा उत्तर

- सी) कंपनी मालसूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। किताबी रिकार्डों के साथ तुलना करते हुए स्टार्कों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के समय जो विसंगतियाँ ध्यान में आईं, उनके साथ लेखा पुस्तकों में समुचित ढंग से व्यवहार किया गया।
- iii. ए) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- बी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी द्वारा ऋण देने या लेने पर ब्याज दर या अन्य शर्तों से संबंधित खंड यदि कंपनी के हितों के अनुरूप न हो वे कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
- सी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है तो दिये जानेवाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान संबंधी खंड कंपनी को लागू नहीं होता।
- डी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है तो एक लाख के ऊपर के बकाया राशि पर मूलधन तथा ब्याज को वसूलने के लिए लिये जानेवाले कदम से संबंधित खंड कंपनी को लागू नहीं होता।
- ई) कंपनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से किसी प्रतिभूत या ऋण नहीं किया है।
- एफ) जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा देने या लेने पर ब्याज दर या अन्य शर्तों से संबंधित खंड यदि कंपनी के हितों के अनुरूप न हो तो वे लागू नहीं होंगे।

**Annexure referred to in Paragraph B
of our report of even date**

Company's Replies

- c) The Company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies to the extent noticed on physical verification of stocks as compared to book records have been reconciled and dealt accordingly in books.
- iii. a) The Company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301 of the Companies Act, 1956.
- b) As the Company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to rate of interest and other terms and conditions of loans given by the company, secured or unsecured which are prima facie prejudicial to the interest of the company is not applicable to the company.
- c) As the Company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to receipt of the principal and interest is not applicable to the company.
- d) As the company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to steps taken for recovery of the principal and interest on overdue amount of more than one lakh is not applicable to the company.
- e) The company has not taken any loans, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
- f) As the company has not taken any loans from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956, the clause relating to rate of interest and other terms and conditions of the loan taken which are prima facie prejudicial to the interest of the company is not applicable to the company.

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ “बी” में अनुबन्ध का संदर्भ लें

कंपनी द्वारा उत्तर

जी) जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अन्य पक्षकारों से कोई ऋण नहीं ली है तो, मूलधन तथा ब्याज के भुगतान संबंधी खंड कंपनी को लागू नहीं होता।

iv. हमारे विचार में और हमको प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार भण्डार, कच्ची सामग्री, संघटकों की खरीदी तथा माल लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध कंपनी द्वारा उत्तर की बिक्री हेतु जो आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियाँ हैं, वे और रिकार्डों का रखा जाना मिलकर कार्यविधियों को सुधारने की आवश्यकता है और अन्य दस्तावेज संबंधी कमियाँ टालने की जरूरत है ताकि कंपनी के कलेवर एवं उसके कारोबार के स्वभाव के अनुरूप हो, **ग्राहकों से विभिन्न कर प्रमाणपत्र/प्रपत्रों की वसूली संबंधी क्षेत्रों को छोड़कर ;**

v ए) प्रबन्धन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किसी प्रकार का लेन देन किया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जानेवाले रजिस्टर में दर्ज किया जाना है।

बी) हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जानेवाले रजिस्टर में दर्ज किये गये कंपनियों से, कंपनी ने कोई कांटाक्ट या व्यवस्था नहीं की है जिसका मूल्य 5 लाख रुपयों से अधिक हो और मूल्य की औचित्यता से संबंधित खंड कंपनी पर लागू नहीं है। यथोचित मूल्य से संबंधित खण्ड कंपनी के लिए लागू नहीं है।

यद्यपि, मेसर्स ईसीआईएल रेपिस्कान लि. कंपनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, पर पार्टी डिस्क्लोजर के अंतर्गत अनुसूची “क्यू” में नोट 2(डी)(ii) में इस लेनदेन को दर्शाया गया। एमएसटीडी से संबंध में कंपनी ने ईसीआईएल रेपिस्कान लिमिटेड से समझौता ज्ञापन किया जिसे अनुसूची “क्यू” में नोट सं. 9 में दर्शाया गया।

जैसे कि इसतरह की व्यवस्था निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित/पृष्ठांकित है इसीलिए हम अन्य शर्तों तथा मूल्य के रीजनेबलनेस पर आधारित है।

आवधिक समीक्षा के लिये प्रक्रिया मौजूद है और ग्राहकों से विभिन्न कर प्रमाणपत्र/प्रपत्रों की वसूली के लिये अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

Annexure referred to in Paragraph B of our report of even date

Company's Replies

- g) As no loans are taken by the company from the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the companies Act, 1956, clause relating to payment of principal amount and interest is not applicable to the company.

- iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control systems for purchase of inventory and fixed assets and for sale of goods and services are adequate as commensurate with the size of the company and nature of its business, **except in the area of – Collection of various tax certificates/forms from the customers;**

Procedure exists for periodic review and reminders are sent for collection of various tax certificates/forms from the customers

- v. a) As per the information and explanations provided by the management, there are no contracts or arrangements taken place during the year, which need to be entered in to the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.

- b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not entered into contracts or arrangements exceeding Rs.5 Lakhs in value with companies in which directors are interested as listed in the Register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 and the clause relating to reasonableness of the prices having regard to the prevailing market prices is not applicable to the company.

However the company is having a Joint Venture M/s ECIL Rapiscan Limited, the transaction with whom is exhibited in Note; 2(D) (ii) in Schedule "Q" under related party disclosures. The company also entered into MOU with ECIL Rapiscan Limited with regard to MSTD project as reported in Note No.9 in Schedule Q.

As the above transactions are approved / ratified by the Board, we have relied on the reasonableness of the prices and other terms and conditions.

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ “बी” में अनुबन्ध का संदर्भ लें

कंपनी द्वारा उत्तर

- vi. हमारी राय के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 ए और धारा 58 एए उसके अधीन किये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।
- vii. कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है जो कंपनी के आकार एवं व्यापार के अनुरूप है।
- viii. हम मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन धारा 209 (1) (डी) के अधीन लागत अभिलेखों का रखरखाव के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित खाते की किताबों की समीक्षा की है। हमारी राय में यह प्रथम दृष्ट्या, निर्धारित लेखें और रिकार्ड रखे गये। लेकिन, हम रिकार्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है।
- ix. ए) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सांविधिक देय जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस आदि नियमित रूप से जमा करवा रही है। इस संबंध में 31-03-2011 तक कोई ऐसी अविवादित रकम नहीं है जो छः माह से अधिक समय के लिए अतिदेय हो गई है।

**Annexure referred to in Paragraph B
of our report of even date**

Company's Replies

- vi. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public as per the provisions of Sec. 58A and Sec.58AA or any other relevant provisions of the Companies Act, 1956 and the rules framed there under.
- vii. The Company has an internal audit system commensurate with the size of the company and nature of its business.
- viii. We have broadly reviewed the books of account maintained by the company pursuant to the rules prescribed by the Central Government for maintenance of cost records under Section 209(1) (d) of the Companies Act, 1956 we are of the opinion that prima facie, the prescribed accounts and records have been maintained. However, we have not made a detailed examination of the records.
- ix. a) The Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other material statutory dues applicable to it. There were no outstanding dues as at 31.03.2011 for a period exceeding 6 months from the date they became payable.

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ “बी” में अनुबन्ध का संदर्भ लें

कंपनी द्वारा उत्तर

बी) हमें प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आय कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर बकाया ('ऑन अकान्डट भुगतान' को अग्रिम के रूप में दिखाना) को जमा नहीं करा गया क्योंकि इस संबंध में निम्न अनुबन्ध के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विवाद लंबित है। आकस्मिक देयताओं के अधीन दिखाये गये विभागीय अपील सूची में सम्मिलित नहीं हैं।

कर/शुल्क	लंबित	राशि (रुपये लाखों में)
आय कर	सी आई टी (ए)	148.23
	ए.पी. हाई कोर्ट	623.85
	सी.बी.डी.टी	438.15
	कुल	1210.23
सीमा शुल्क	उच्चतम न्यायालय	134.42
	सीईएसटीएटी, बेंगलूर	24.14
	कुल	158.56
उत्पाद शुल्क	सीईएसटीएटी, बेंगलूर	1349.53
	कुल	1349.53
सेवा कर	आयुक्त (अपील्स) चेन्नई	2.38
	सीईएसटीएटी, चेन्नई	143.89
	कुल	146.27
बिक्री कर	एसटीएटी - नई दिल्ली	42.18
	एसटीएटी - हैदराबाद	168.47
	विशेष ट्रिब्यूनल, चेन्नै	3.95
	उच्च न्यायालय, केरला	213.88
	कुल	428.48

- x. कंपनी को कोई संचित हानि नहीं हुई और हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किये गये वर्ष के दौरान और पूर्ववर्ती वर्ष में कंपनी को नकद हानि नहीं हुई।
- xi. वित्तीय संस्थान या बैंकों को कंपनी बकाया देने में चूक नहीं की है।
- xii. शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कंपनी ने ऋण एवं अग्रिम को प्रदान नहीं किया है।

Annexure referred to in Paragraph B of our report of even date

Company's Replies

- b) According to the information and explanations given to us, the dues (net-after 'on account payments' shown as advances) in respect of Income tax, Customs duty, Excise duty, Service Tax and Sales tax which have not been deposited on account of disputes by the company pending before various authorities as per the details given below. The list does not include Departmental appeals which are shown under contingent liabilities.

Tax/ Duty	Pending before	Amount (Rs. In Lakhs)
Income Tax	CIT(A)	148.23
	AP High Court	623.85
	CBDT	438.15
	TOTAL	1210.23
Customs	Supreme Court	134.42
	CESTAT, Bangalore	24.14
	TOTAL	158.56
Excise	CESTAT, Bangalore	1349.53
	TOTAL	1349.53
Service Tax	Commissioner (Appeals)-Chennai	2.38
	CESTAT, Chennai	143.89
	TOTAL	146.27
Sales Tax	STAT-New Delhi	42.18
	STAT- Hyderabad	168.47
	Special Tribunal- Chennai	3.95
	High court Kerala	213.88
	TOTAL	428.48

- x. The Company has no accumulated losses, and it has not incurred any cash losses during the financial year covered by our audit and in the immediately preceding financial year.
- xi. The Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions or Banks.
- xii. The Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ “बी” में अनुबन्ध का संदर्भ लें

कंपनी द्वारा उत्तर

- xiii. हमारी राय में, कंपनी कोई चिट फंड या निधि / म्यूचुअल बेनिफिट फंड / सोसाइटी नहीं है। इसीलिए, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड -4 (xiii) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xiv. हमारी राय में कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेशों में किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड -4(xiv) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xv. हमारी राय में, बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर उन व्यक्तियों को जिन शर्तों के आधार पर कंपनी ने गारंटी दी है, इससे कंपनी को हानि नहीं होगी।
- xvi. हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार की सावधिक ऋण नहीं ली है। कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xvi) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xvii. हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन पत्र को समग्र रूप से परीक्षा के बाद हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि के आधार पर उगायी गयी निधि को दीर्घावधि निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया।
- xviii. हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर किये जानेवाले पार्टियाँ एवं कंपनियों को वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का प्रिफरेंशियल आवंटन नहीं किया। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xviii) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं हैं।
- xix. कंपनी ने किसी प्रकार के डिबेंचरों को जारी नहीं किया। जारी किया गया डिबेंचर पर सेक्यूरिटी क्रियेट करना, कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xix) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।

**Annexure referred to in Paragraph B
of our report of even date**

Company's Replies

- xiii. The Company is not a chit fund or nidhi / mutual benefit fund / society. Therefore, the provisions of clause 4(xiii) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- xiv. The Company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. Accordingly, the provisions of clause 4(xiv) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- xv. In our opinion the terms and conditions on which the company has given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions are not prejudicial to the interest of the company.
- xvi. In our opinion and as per the information and explanations given to us the company has not taken any term loans during the year. Accordingly, the provisions of clause 4(xvi) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- xvii. According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investments.
- xviii. The Company has not made any preferential allotment of shares to the parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act. Accordingly, the provisions of clause 4(xviii) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- xix. The Company has not issued any debentures and creation of security or charge is not applicable to the company. Accordingly, the provisions of clause 4(xix) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ “बी” में अनुबन्ध का संदर्भ लें

कंपनी द्वारा उत्तर

xx. कंपनी ने पब्लिक इश्यू पर किसी प्रकार की निधि उगाही नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xx) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं हैं।

xxi हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं वित्तीय विवरणों का 'सत्य एवं फेयर दृष्टिकोण' हेतु अपनायी गयी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें कंपनी में किसी प्रकार का छल व्यवहार दिखाई नहीं दिया।

कृते आंजनेयुलु एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(वी. एस. वेंकटेश्वर्लू)

भागीदार

एम. नं. 025805

स्थान : तिरुपति (शिविर)

दिनांक : 29.06.2011

(वाई.एस. मय्या)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 26.08.2011

**Annexure referred to in Paragraph B
of our report of even date**

Company's Replies

- xx. The Company has not raised any funds by public issue during the year. Accordingly, the provisions of clause 4(xx) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company
- xxi. According to the information and explanations given to us and based upon the audit procedures performed for the purposes of reporting 'true and fair view' of the financial statements, we report that no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

For ANJANEYULU & CO
Chartered Accountants,

(V.S.VENKATESWARLU)
Partner
M.No. 025805

Place: Tirupati (Camp)
Date: 29th June, 2011

For and on behalf of the
Board of Directors

(Y S MAYYA)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: Hyderabad
Date: 26th Aug, 2011

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध - IV

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद के लेखे पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुरूप 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये ईसीआईएल, हैदराबाद का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबन्धन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिये कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा परीक्षक का दायित्व है जो आईसीआई द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक पर आधारित है। यह विदित हुआ कि दिनांक 29-06-2011 के साथ लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिये ईसीआईएल, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से मैंने अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य स्वतन्त्र रूप से किया गया और यह सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकार्डों का परीक्षण तक सीमित है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में उल्लेखनीय बात कुछ भी नहीं है जिससे कोई टिप्पणी करनी पडती या सांविधिक लेखा परीक्षा में जोड़नी पडती।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(वाई. एन. ठाकरे)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और
लेखा परीक्षा मंडल के पदेन सदस्य, हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 16.08.2011

Annexure- IV to the Directors' Report

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LIMITED, HYDERABAD FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2011

The preparation of financial statements of Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad for the year ended 31 March 2011 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 June 2011.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad for the year ended 31 March 2011. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to enquiries of the statutory auditor and Company personnel and selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Y.N. Thakare)

Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board, Hyderabad

Place: Hyderabad

Date: 16 August, 2011